खण्ड-254, अंक-5
शुक्रवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(26 फरवरी, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 254 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. ३९९–४०३
प्रश्नोत्तर	.. ४०३–४३३
श्री शिवमंगल द्वारा 'पायनियर' में छपे समाचार पर आपत्ति	.. ४३३–४३५
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें ..	.. ४३५
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास, अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय, अनुदान संख्या २१—उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन (स्वीकृत)	.. ४३५–४९०
नत्थियां	.. ४९१–४९८

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २६ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जो० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमारकरुण कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री

गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीश शरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदय ल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री

पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुदगल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहरसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री

रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री

शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुमनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २६ फरवरी, १९६५]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गूजर इन्टर कालेज, दादरी के विद्यार्थियों पर परीक्षा में बैठने की रोक

**१—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गूजर इण्टर कालेज, दादरी जिला बुलन्दशहर के ५०० लड़कों को हाई स्कूल के इम्तिहान देने से क्यों रोक दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

सन् १९६४ की हाई स्कूल परीक्षा में सामूहिक नकल करने के आरोप में ४५४ विद्यार्थियों की १९६४ की परीक्षा रद्द करने के साथ-साथ उन्हें १९६५ की हाई स्कूल परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है ।

**२—श्री मुहम्मद रफी खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह पाबन्दी तुरन्त हटाने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह निर्णय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पूर्ण जांच के उपरान्त लिया गया है । शासन द्वारा पुनर्विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पटेल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

**३—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको कोई पत्र योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक मेहता का कुछ माह पहले प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने पटेल कमीशन की रिपोर्ट को अन्य पूर्वी जिलों पर लागू करने हेतु योजना बनाकर भेजने के सम्बन्ध में लिखा है ?

यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

जी नहीं । ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पूर्वी जिलों के रहने वाले विधायकों और संसद सदस्यों की तरफ से कोई पत्र प्लानिंग कमीशन को दिया गया और उसके रिफरेन्स में प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन ने कोई पत्र सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह तो मैंने बता दिया कि उपाध्यक्ष प्लानिंग कमीशन ने हमें कोई पत्र नहीं लिखा है । वैसे पटेल आयोग की जो सिफारिशें हुई हैं उनके बारे में तो माननीय सदस्य जानते ही हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

पटेल आयोग ने सेम्पिल सर्वे करके सिफारिशें की थीं । क्या सरकार उन चार जिलों के अलावा और जिलों में भी उन सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसका प्राक्कलन क्या होगा ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसी प्रकार के एक सवाल के जवाब में मैं जवाब दे चुका हूं कि चार पूर्वी जिलों में तो पटेल आयोग की योजना को लागू कर ही दिया गया है लेकिन बाकी के लिये जैसे जैसे साधन उपलब्ध होते जायेंगे हम और जिलों में भी इस योजना को लागू करते जायेंगे । यह भी बताया था कि सरकार ने पिछड़े जिलों के जिलाधीशों को लिखा है कि वे चौथी पंचवर्षीय योजना को पटेल आयोग के आधार पर ही बनायें ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पटेल आयोग ने जो रिकमेंडेशन की हैं उनके अनुसार कितना रुपया सरकार को खर्च करना पड़ रहा है और यदि उसको और पूर्वी जिलों में एक्सटेंड कर दिया जाय तो कितना और रुपया उसके लिये खर्च करना पड़ेगा ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

अभी तो तीसरी योजना का जो अवशेष वर्ष है उसमें ही १० करोड़ ४९ लाख रुपया रखा गया है । चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने करोड़ रखा है उसको बाद में देखेंगे । अभी यह अनुमान नहीं लगाया गया कि इसके आधार पर जो पूर्वी जिलों में एक्सेलरेटेड प्रोग्राम होगा उसमें कितना रुपया खर्च किया जायगा ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या पटेल योजना को और जिलों में लागू करने की सिफारिश जिलाधीशों की तरफ से आयेगी या उसके लिये सरकार एक अलग कमेटी बनायेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

अन्तिम निर्णय तो सरकार का ही होगा । जिलाधीश तो अपने अपने जिलों की योजना बना कर भेजेंगे, सरकार साधनों को देखकर उनको स्वीकार करेगी ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन चार जिलों में जहां पटेल आयोग की योजना लागू है, उसमें भी ऐसे हिस्से हैं जिनमें कोई काम नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उनके बारे में जिलाधीशों को लिखने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना बनाते समय उन हिस्सों को भी ले लें ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

४ जिलों के लिये तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता । १० करोड़ ४९ लाख की योजना है और किन-किन मदों पर वह खर्च होगा उसको मैं कई बार इस सदन में बतला चुका हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इस बात को देखते हुये कि जब से पटेल आयोग की रिपोर्ट छपी है और उसकी रिपोर्ट वितरित हुई है तब से आम लोगों में इसके प्रति दिलचस्पी बढ़ी है, तो क्या सरकार या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि पटेल आयोग की रिपोर्ट पर एक व्यापक चर्चा इस सदन में किसी दिन करायी जाय ?

श्री अध्यक्ष—

जब पटेल आयोग के सम्बन्ध में चर्चा की बात उठी थी तो मैंने कहा था कि इस पर चर्चा करा दी जायगी । तो इसको तो आप रहने दें, इस पर डिस्कशन कर लिया जायगा ।

तारांकित प्रश्न

[राजस्व मन्त्री की प्रार्थना पर १९ फरवरी, १९६५ के स्थगित प्रश्न]

सलेमपुर तहसील में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*१—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में कितने गांव गत बाढ़ या पानी के जमाव से प्रभावित हुये हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस तहसील में ५५४ ग्राम गत बाढ़ या पानी के जमा होने से प्रभावित हुये थे ।

*२—श्री कैलाश—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उपरोक्त जिला के उपरोक्त तहसील में उक्त सम्बन्ध में कितनी तकावी और मुफ्त सहायता किस-किस गांव में दी गई है और कितनी मालगुजारी की छूट तथा अन्य सहायता दी गई ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

तकावी ऋण हेतु इस तहसील में ३१,७०० रु० का वितरण किया गया जिन ग्रामों में तकावी बांटी गई। उनका ग्रामवार विवरण संलग्न है। अहेतुक सहायता का ग्रामवार विवरण अभी एकत्र किया जा रह है और सूचना एकत्र होने पर सदन में प्रस्तुत की जावेगी। मालगुजारी में नियमानुसार छूट कालांतर में दी जावेगी। इसके अतिरिक्त पूर्वी जिले में ३,००० रु० आपदाकालीन छात्रवृत्ति एवं ९,६०० रु० नावों के निर्माण हेतु गांव सभाओं को अनुदान देने के लिये भी स्वीकृत किया गया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९१–४९३ पर)

श्री कैलाश—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने गांव नदियों की बाढ़ से और कितने गांव पानी के जमाव से बर्बाद हुये ?

राजस्व मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

यह ब्योरा हमारे पास नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब कुदरती आफतों से फसल बर्बाद होती है तो राजस्व विभाग और उसके कर्मचारी नुकसान का सही अन्दाजा केवल इस डर से नहीं लगाते हैं कि कहीं सरकार हम पर नाराज न हो जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी सूचना हमको नहीं है।

श्री कैलाश—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अहेतुक सहायता है, उसको वे कब तक सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जितनी जल्दी हो सकेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बाढ़ और पानी के जमाव की वजह से काश्तकारों से १ लाख २२ हजार मालगुजारी की वसूली जो स्थगित कर दी गयी है, उसे वे माफ कर देने का आदेश देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो तादाद माननीय सदस्य बतला रहे हैं उससे मैं ऐग्री नहीं करता लेकिन जो रेमिशन होने वाली रकम होती है उसी का रियलाइजेशन सस्पेंड हो जाता है।

श्री कैलाश—

उस तहसील में जहां सबसे ज्यादा बाढ़ आयी थी, खरवा और बड़कागांव, इन दो गांवों को तकावी न देने का क्या कारण है, इसे माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उनको देना उचित न समझा गया होगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ और पानी के जमाव से खरीफ की फसल तो मारी गयी जिसके लिये आपने छट दी है लेकिन रबी की फसल भी न बोयी गयी, तो ऐसे किसानों की मालगुजारी बैशाख में माफ कर देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह मथुरा का मामला नहीं है, यह देवरिया का मामला है ।

सिकन्दराबाद तहसील में लगान वसूली का स्थगन

*३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मत्री कृपया बतायेंगे कि अतिवर्षा व बाढ के कारण खरीफ की फसल के नष्ट होने के कारण तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के कितने गांवों में लगान की पूरी छूट दी गई है ? क्या उन गांवों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

खरीफ १३७२ फ़सली की फ़सल को अतिवर्षा, जलप्लावन तथा बाढ़ से हुई क्षति स्वरूप ३५७ ग्रामों में २,६५,३२६ रु० ४६ पैसे की मालगुजारी की वसूली स्थगित है। छूट का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त ग्रामों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

*४—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि पुरानी लगान की वसूली बन्द करने के लिये भी कोई आदेशादि दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं, आवश्यकता नहीं थी।

आवास व्यवस्था के विरुद्ध विधायकों का कथित नोटिस

*५—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि श्री नरोत्तम सिंह जी एम० एल० ए० ने और कई विधायकों ने सरकार को और राज्य सम्पत्ति अधिकारी लखनऊ को इस प्रकार के नोटिस अगस्त, १९६४ ई० में दिये हैं कि हम लोग छोटे कमरों में रह रहे हैं जिसके लिये करीब दो साल का क्षतिपूरक भत्ता मिलना चाहिये ? जो यदि शीघ्र ही न दिया गया तो वे लोग अदालत में उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी नहीं।

* * * * *

बदायूं जिले में नायब रजिस्ट्रार कानूनगो का चुनाव

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि २४ मार्च, १९६४ ई० को जिला चकबन्दी अधिकारी बदायूं ने नायब रजिस्ट्रार कानूनगो के पद के लिये चुनाव किया था, जिसमें नौ उम्मीदवार चुन लिये गये हैं पर उनमें परिगणित जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

---

† छापी नहीं गयी।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

नायब रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों के लिये चुनाव, जो लेखपालों में से बतौर तरक्की के होता है, लेखपालों की योग्यता इत्यादि देख कर नियमों के मातहत किया जाता है जिनमें परिगणित जाति के लेखपालों के लिए अलग से कोटा नहीं है। बाकी प्रश्न नहीं उठता है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लेखपालों में से नायब रजिस्ट्रार कानूनगो बनाये जाते हैं क्या वे उसी जिले में रखे जाते हैं या दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिये जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह तो वेकेन्सी पर मुनहसर है। प्रोमोशन हो गया तो जहां वेकेन्सी होगी वहीं भेज दिये जायंगे।

* * * * *

राजस्व परिषद् लेखा संघटन की सेवा नियमावली

*१७—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् लेखा संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये क्या शासन द्वारा कोई सेवा की शर्तों की नियमावली बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी तथा बतायेगी कि उक्त नियमावली विभाग पर कब से लागू है ? यदि कोई सर्विस रूल्स नहीं है तो इसका क्या कारण है तथा वह बन कर कब से लागू कर दिये जायेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

राजस्व परिषद् के लेखा संगठन के लिये सेवा नियमावली परिषद् द्वारा तैयार की जा रही है और वह शासन द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद लागू कर दी जायगी। इसमें अभी कुछ समय और लगेगा।

श्री रक्षपालसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सेवा नियमावली बनाने के आदेश शासन द्वारा कब दिये गये और वह कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसमें एक बात बता दूं कि एक मर्तबा बोर्ड ने सेवा नियम बनाये थे लेकिन वह मिसप्लेस हो गये। लिहाजा फिर आदेश दिये गये और उम्मीद है कि जल्दी बन कर तैयार हो जायंगे।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सेवा नियमावली बनाने का काम कब से शुरू हो गया है और अब तक कितना काम हो चुका है और कब समाप्त होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तारीख निश्चित करना तो मुश्किल है। लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा बनेगी, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि न बने।

* * * * *

तहसीलदार बिसवां के खिलाफ कथित आरोप

*३०—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय गृह सचिव के आदेशों पर मास नवम्बर, सन् १९६४ में तहसीलदार बिसवां, जिला सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई जांच सरकारी स्तर पर की गई ? यदि हां, तो उन आरोपों के तथ्य क्या हैं और इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रक्षपालसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तहसीलदार के खिलाफ कोई और आरोप आये हैं और उसकी जांच हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसकी इत्तला नहीं है इस समय, नोटिस चाहिये।

* * * *

उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा का निर्णय

*३२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार सीमा विवाद को सुलझाने लिये जो आयोग नियुक्त किया गया था उसने दोनों सरकारों के बीच समझौता कराने में सफलता प्राप्त कर ली है ? यदि हां, तो समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

कोई आयोग नियुक्त नहीं किया गया था। दोनों सरकारों की अनुमति से श्री चन्दूलाल त्रिवेदी मध्यस्थ बनाये गये थे। उनकी सिफारिश प्रधान मंत्री ने स्वीकार कर ली है जिसके अनुसार दोनों प्रदेशों के बीच वर्तमान परिवर्तनशील नदी की धूर धारा की सीमा के स्थान पर निर्णय में दी गई स्थायी सीमा होगी।

*३३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार के पास उक्त समझौते की रिपोर्ट आ गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है और उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मध्यस्थ की रिपोर्ट आ गई है। उसमें स्थायी सीमा का निर्णय है। स्थायी सीमा निर्धारण का कार्य मौके पर आरम्भ हो गया है। इस सीमा को विधिवत् रूप देने के लिये पार्लियामेन्ट अधिनियम बनायेगी।

*३४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त दोनों प्रदेशों के बीच जो समझौता हुआ है उसे मूर्तरूप देने से पूर्व दोनों प्रदेशों की सीमावर्ती जनता से कोई राय ले ली गई थी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

समझौता नहीं हुआ। पंच-निर्णय हुआ है जिसमें मध्यस्थ द्वारा वहां की जनता की राय का काफी ध्यान रखा गया है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जैसा मंत्री जी ने बताया कि प्रधान मंत्री ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया है तो क्या अभी ऐसा कोई गांव बच गया है जिसके सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हुआ, अब तक भी विवादग्रस्त है ? यदि हां, तो वह कौन-सा गांव है मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी हमें कोई सूचना नहीं है। जितना सरहदी मामला था करीब-करीब तय हो गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, उसमें २, ३ गांव ऐसे रह गये हैं जिनका रेफरेंस न यू० पी० में हुआ और न बिहार में हुआ, जैसे रुद्रपुर, चोल्हन चक गांव हैं लेकिन आयोग ने न इनको यू० पी० में लिखा है और न बिहार में, क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जब सरहद कायम हो जायगी तो जो इस तरफ होंगे हमारे गांव हो जायंगे और जो उधर होंगे वह बिहार में होंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री त्रिवेदी ने जो निर्णय किया है उस सम्बन्ध में क्या उन्होंने यह निर्णय दिया है कि बीसूपुर, जगदीशपुर जो दो गांव बिहार के थे, १८८२ के पहले और १८८२ में आकर जवई मौजे मे विलीन हो गये, उन विवादग्रस्त गांवों की सूची में उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से विशुपुर बिहार को दे दिया गया है और जो हमारी तरफ गांव होंगे उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौन से गांव हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तकिल सरहद कायम हो जाय। दूसरे जो रिपोर्ट हमारे पास आयी है उसको हम पूरी तरह से देख लें तब कुछ बता सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी का कहना है कि अभी तक हमने रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं देखी है जब कि त्रिवेदी पंच निर्णय को बिहार सरकार ने मन१ भी कर लिया है और उसके जो संक्षिप्त विवरण हैं, उन्हें अपने यहां के सरहद के किसानों में वितरण भी कर दिया है, पर यहां अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वयं अध्ययन तक नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष—

एक पंच मुकर्रर किया गया। उन्होंने एक निर्णय दे दिया है। प्रश्न अब केवल यह हो सकता है कि वह कब कार्यान्वित होगा। एक-एक गांव के बारे में वे नहीं बता सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि उन्होंने उस रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है जबकि बिहार सरकार ने उसका अध्ययन कर लिया है और अध्ययन ही नहीं बल्कि उस निर्णय को संक्षेप मे छपवाकर बिहार के किसानों में बंटवा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी पूरी तरह से पढ़ा भी नहीं तो क्या माननीय मंत्री जी अपने माल विभाग की अकर्मण्यता को दूर करेंगे और उस निर्णय की एक प्रतिलिपि माननीय सदस्यों और सम्बन्धित किसानों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जैसा मैंने कहा हम रिपोर्ट को देखेंगे लेकिन जहां तक बलिया का ताल्लुक है वे लोग तो स्वयं चतुर हैं उनको बताने की जरूरत नहीं। यह हमारी सरकार ने तय कर दिया है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे गांव हैं जो इस सीमा निर्धारण में बिहार में जायेंगे और कितने ऐसे गांव हैं जो उत्तर प्रदेश में आयेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इसके लिये मुझे नोटिस की जरूरत है। इस वक्त मैं बताना भी नहीं चाहता हूं।

श्री मैनेजरसिंह---

जो निर्णय त्रिवेदी जी का हुआ है उससे काफी गांव बिहार में चले गये हैं और जो समिति का सर्वे होगा उसमें सेंट्रल सर्वे डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं तो क्या सरकार एक स्पेशल आफिसर नियुक्त करेगी जिसे बलिया की जानकारी हो ताकि वह मौके पर देख-रेख कर सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

बलिया की जानकारी मुझे खुद है। कहिये तो मैं ही चलूं।

श्री मैनेजरसिंह---

मैं यह जानना चाहता था कि सरकार ऐसा अधिकारी नियुक्त करेगी जो हमारी रक्षा कर सकेगा ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि किसी ऐसे आफिसर को नियुक्त कर दिया जाय जो वहां पर यू० पी० के इंटरेस्ट्स को वाच करे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वह तो सब होगा ही। गफलत हम नहीं करेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

इस उधेड़बुन में कितने आदमी उखड़ेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

तादाद बतलाना बड़ा मुश्किल है।

* * * *

ग्राम सभा, बिजईपुर की सम्पत्ति को क्षति

*५१---श्री रक्षपालसिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम सभा बिजईपुर, जिला फतेहपुर के प्लाट नं० ८२७ में खड़े महुवा के ८ पेड़ जो ग्राम सभा की सम्पत्ति थी, जनवरी या फरवरी, १९६४ में काट डाले गये ? यदि हां, तो क्या प्रधान ने उन्हें काटने वालों को बेंच दिया था ? यदि नहीं, तो प्रधान के सम्बन्धित कार्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

जी हां, ऐसा आरोप है। जिला अधिकारी आवश्यक जांच व कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रक्षपालसिंह—

गांव समाज की सम्पत्ति नष्ट करने का यह प्रश्न है और यह पिछले सत्र में भी आया था तो इतने महत्वपूर्ण कार्य के करने में देरी क्यों लग रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कानूनी कार्यवाही जिलाधीश कर रहे हैं। प्रधान और लेखपाल की साजिश पाई गयी है। उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। लेखपाल डिसमिस कर दिया गया है।

× × ×

यू० पी० हाउस कौटिल्य मार्ग, दिल्ली पर व्यय

*५५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० हाउस कौटिल्य मार्ग दिल्ली के निर्माण पर सरकार का कितना धन व्यय हुआ तथा उसके मेनटेनेन्स पर जुदा-जुदा मदों में कितना वार्षिक व्यय हो रहा है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

निर्माण पर दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक रु० ४,८२,५३३.४२ पैसे व्यय हुआ।

मेन्टीनेन्स पर जुदा-जुदा मदों पर वार्षिक व्यय निम्नलिखित है :—

	रुपये
(१) इमारत पर	२०,०००.००
(२) सहवर्ग पर (staff)	१४,४००.००
(३) मोटर गाड़ी पर	४,२००.००
(४) टेलीफोन पर	४,१००.००
(५) बिजली आदि पर	७,५००.००
(६) बगीचे पर	३,७००.००

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस यू० पी० निवास के अन्दर सिवा मंत्रियों के और किन-किन लोगों को रहने की सुविधा दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी तो मंत्रियों के अलावा बड़े-बड़े जो अफसर हैं उनको ही सुविधा दी जाती है क्योंकि जगह कम थी। लेकिन अब जगह बढ़ गयी है तो विधायकों के लिये भी इन्तजाम हो सकता ह। दो कमेटियां गयी थीं, उनको जगह दी गयी थी।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यू० पी० निवास के मेनटिनेन्स के लिये यू० पी० सरकार की ओर से कोई लियाजां आफिसर नियुक्त है ? यदि हां, तो उसको क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं जैसे गाड़ी इत्यादि की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लियाजां आफिसर का निवास से कोई ताल्लुक नहीं है।

× × ×

पुखरायां तहसील में चकबन्दी के विरुद्ध प्रदर्शन

*५९—श्री शिवनार्यासिह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि तहसील पुखरायां जिला कानपुर में हो रही चकबन्दी से क्षुब्ध होकर वहां के किसानों ने वहां के एस० ओ० सी० और उसके द्वारा चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ११ मार्च, १९६४ और १९ अगस्त, १९६४ को प्रदर्शन किये ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

११ मार्च, १९६४ का प्रदर्शन चकबन्दी के खिलाफ था। व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने और दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने की मांग थी। कोई निश्चित (स्पेसिफिक) बात नहीं बताई गई। प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों को बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी ने आश्वासन दिया कि निश्चित (स्पेसिफिक) बात बताने पर कार्यवाही की जायगी।

× × ×

हस्तिनापुर पावर हाउस

*६६—श्री सुखलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले के हस्तिनापुर गंगा खादर योजना के लिये हस्तिनापुर में कोई बिजलीघर स्थापित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर शासन का कितना धन व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, बिजलीघर स्थापित करने में शासन का ५,३८,०८१ रुपया व्यय हुआ।

*६७—श्री सुखलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि अब वह पावर हाउस तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उसकी मशीनरी तथा अन्य सामान का क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, हाइडेल विभाग द्वारा खादर क्षेत्र को विभागीय लाइनों से मिला देने के फलस्वरूप पावर हाउस की कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी।

पावर हाउस की मशीनरी तथा अन्य सामान को नीलाम करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

हाजीपुर, ग्राम समाज की भूमि का पट्टा खारिज करना

*६८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हाजीपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों का प्रार्थना-पत्र दिनांक २१ जुलाई, १९६४ का भेजा हुआ माननीया मुख्य मन्त्री एवं जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है जिस में गांव समाज की परती भूमि को गलत ढंग से विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा लिखा लेने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और परिणाम क्या हुआ ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी हां। प्रार्थना-पत्र पर तारीख १९-७-१९६४ थी, २१-७-१९६४ नहीं। उप-मण्डलाधीश घोसी के द्वारा अनियमित पट्टे खारिज कर दिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पहले दाखिल खारिज के आदेश किस अधिकारी द्वारा हुये थे और उसने ऐसे व्यक्ति को क्यों पट्टा देने का आदेश दिया जिसके पास स्वयं की जमीन थी और वह स्वयं गांव का प्रधान था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दाखिल खारिज की कार्यवाही जुडिशियल होती है, उस में हम कैसे दखल दें ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

श्रीमन्, नियम यह है कि गांव समाज की जमीन के लिए जब प्रस्ताव किया जाता है तो उस की डुग्गी होती है कि कौन-कौन लेने वाले हैं। लेकिन इस तरह की कार्यवाही नहीं हुई और जिस व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र दिया था वह गांव समाज का प्रधान था और उस ने अपनी स्त्री के नाम प्रस्ताव करा दिया और उसके लिए हुक्म हो गया। जब हरिजनों को मालूम हुआ कि गांव समाज की जमीन प्रधान ने अपनी स्त्री के नाम करा ली तो उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया और तहसीलदार ने अनियमितता देखकर पट्टा खारिज कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने नियम की पाबन्दी नहीं की उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो गयी।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब प्रधान ने स्वयं अपनी बीबी के नाम पट्टा करा लिया था तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पट्टा रद्द कर दिया गया।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि जब प्रधान ने स्वयं भ्रष्टाचार का कार्य किया तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उनको वार्निग दे दी गयी है। दूसरी बात यह है कि उन की जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली थी जिससे उन के पास थोड़ी सी जमीन रह गयी थी। इसलिए जितनी उन के पास जमीन थी उस हद तक पट्टा रखा गया है बकिया के लिए वार्निग दे दी गयी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, गांव समाज की जमीन सबसे पहले उनको दी जाती है जिनके पास भूमि नहीं होती है। अगर उनकी जमीन ले ली गयी थी तो इस नियम का उल्लंघन कर दिया गया कि जिनके पास जमीन नहीं है उन को न देकर, उनकी बीबी के नाम पट्टा कर दिया गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह तो जुज आराजी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या इन परिस्थितियों में नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमने नहीं किया। जिन लोगों की प्रायरिटी है, उनको होनी चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, प्रधान के पास अब भी गांव समाज की कितनी जमीन है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

जितनी जमीन मिलकर सवा छै एकड़ होती है उतनी जमीन उन को दे दी गयी। सब मिलाकर सवा ६ एकड़ या उससे कुछ कम है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि इस गांव समाज में रहने वाले ज्यादा तादाद में हरिजन हैं और भूमिहीन हैं, उनकी दरख्वास्त नहीं ली गयी और बिना डुग्गी कराये प्रस्ताव पारित करा लिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

करा देंगे, इसमें क्या है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

श्रीमन्, नियम यह है कि सबकी एप्लीकेशन्स ली जायं। लेकिन हरिजनों को मालूम नहीं हुआ कि ऐसा प्रस्ताव होने वाला है और गांव सभा के प्रधान ने अपनी स्त्री के नाम प्रस्ताव पारित करा लिया। मैं जानना चाहता हूं कि जब नियम है तो उसका उल्लंघन क्यों किया गया ? फिर से ऐसी व्यवस्था की जाय कि यदि हरिजन चाहे तो उसको जमीन मिल जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अगर दरख्वास्त आ जाय तो मैं देखूंगा कि क्या कार्यवाही हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--

आप कह दीजिये कि दरख्वास्त दे दी जाय।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

श्रीमन्, दरख्वास्त पड़ने पर ही पट्टा खारिज हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामसुन्दर जी आप का प्रश्न यह है कि जो जमीन है, उस सम्बन्ध में दरख्वास्तें ली जायं और वह हरिजनों को दे दी जायें ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

श्रीमन्, हरिजनों की दरख्वास्तें तो पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष--

एक बात थी अनियमित दरख्वास्तों को रद्द कराने की।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

वह कह रहे थे कि जितनी जमीन का प्रधान ने अनियमित रूप से पट्टा कराया था उस में से कुछ पट्टा प्रधान की स्त्री के नाम से रहने दिया गया, तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि स्त्री के नाम जो पट्टा है वह गलत है, क्योंकि जब सारे गांव के लोगों को इत्तिला ही नहीं हुई कि गांव समाज की जमीन उठायी जा रही है, तो सारे लोगों को खबर करवाकर फिर से जमीन दिये जाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

आप सब यही चाहते हैं कि हरिजनों को जमीन मिले और मैं भी यही चाहता हूं कि हरिजन को जमीन मिले। इसलिए आप दूसरी दरख्वास्तें मेरे पास भेज दें। मैं उस पर कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

अब जमीन ही नहीं है, दरख्वास्त किस लिए भेजी जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

नहीं है तब भी उस के लिए कोई प्रबन्ध किया जायगा, दरख्वास्त तो आये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि थोड़ी जमीन किस नियम के अनुसार रद्द हुई और थोड़ी किस नियम के अनुसार उसके पास रहने दी गयी जो कि रद्द नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जिस अदालत ने यह मामला तय किया, उसने अपने डिस्क्रीशन का प्रयोग किया। मैं इसके बारे में नियम नहीं बता सकता।

श्री मैनेजरसिंह--

गांव समाज की भूमि को बन्दोबस्त करने का जो नियम है, उस नियम के अनुसार भूमि का बन्दोबस्त नहीं किया गया है और आपने कहा कि उसमें से थोड़ी भूमि रद्द की गयी है और शेष अब भी छोड़ दी गयी है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आप जानते हैं कि बन्दोबस्त में अनियमितता हुई है तो आप उसे भी रद्द करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह तो मैं ने रामसुन्दर जी से कह दिया, दरख्वास्तें आ जायें, तो हम कार्यवाही करेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियामवली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

बहराइच कलेक्टरी-कर्मचारी श्री दीनानाथ के विरुद्ध जांच

*१--श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

क्या सरकार यह बताने की श्री कृपा करेगी कि इरशाद अली, पुत्र असगर अली, निवासी मोहल्ला बड़ी हाट, शहर बहराइच, द्वारा दीनानाथ, मुहाफिज दफ्तर, माल, कलेक्टरी कचहरी, बहराइच के विरुद्ध दिनांक १ मई, १९६३ को रिश्वत मांगने के आरोप में थाना कोतवाली में जो रिपोर्ट लिखायी गयी थी, उस पर कोई कार्यवाही उक्त कर्मचारी के विरुद्ध की गयी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

चूंकि पुलिस द्वारा जांच करने पर जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए श्री दीनानाथ के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

*२--श्री प्रेमसिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मामले में पुलिस का उपेक्षात्मक रुख देख कर श्री इरशाद अली ने उक्त दीनानाथ पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक आज्ञा प्राप्त करने के लिए बहराइच के दो वकीलों द्वारा दिनांक १६ सितम्बर, १९६३ को धारा १९७ दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा धारा ६ अपराध निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत जो आवेदन-पत्र जिलाधीश, बहराइच के समक्ष प्रस्तुत किया था, उस पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

दिनांक १६ सितम्बर, १९६३ के आवेदन-पत्र को पुलिस अधीक्षक के पास प्रश्न संख्या १ में उल्लिखित आरोप की जांच की प्रगति के बारे में प्रतिवेदन हेतु भेजा गया था। उनके यह सूचित करने पर कि जांच उस समय तक पूरी नहीं हो पायी थी, उक्त आवेदन-पत्र को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के सन्दर्भ में फाइल कर दिया गया तथा इसके बारे में श्री इरशाद अली को सूचित कर दिया गया। पुलिस के उपेक्षात्मक रुख सम्बन्धी आरोप निराधार थे, क्योंकि १६ सितम्बर, १९६३ को पुलिस की जांच जारी थी।

श्री प्रेमसिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्क्वायरी किसने की और क्या इरशाद अली से भी बयान लिये गये या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है, कि किस पुलिस अधिकारी ने इन्क्वायरी की।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी कृपा कर के एक सैम्पुल जांच अपने बहराइच में ही कराने की कृपा करेंगे कि जो उनके सरकारी कर्मचारी हैं वह किस हद तक रिश्वत लेते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हम बलिया में ही क्यों न करायें, वहां भी कर सकते हैं। (हंसी)।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब रिपोर्ट गलत थी, तो रिपोर्ट करने वाले के विरुद्ध धारा १८२ के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री प्रेमसिंह--

इस सम्बन्ध में क्या मन्त्री जी डिपार्टमेंटल जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जब कोई तथ्य नहीं मिले तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में क्या होगा ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी इसका उत्तर ठीक तौर पर देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

पहले आप धमकाते क्यों हैं ? (हंसी)।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

जिस वक्त दरख्वास्त दी गयी तो जांच करने वाले अफिसर ने उस से कोई जानकारी भी नहीं प्राप्त की। अब जांच करने वाले आफिसर ने अपने मन से जो चाहे रिपोर्ट लगाकर भेज दी। इसलिए फाइनल रिपोर्ट हो गयी। मैं चाहता हूं कि आप फिर से इन्क्वायरी करायें कि दरख्वास्त देने वाले इरशाद से पूछताछ क्यों नहीं हुई ? अगर नहीं, तो उस से क्या फिर से पूछताछ की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मुझे इसके बारे में सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

तो फिर आप इस के बारे में करने क्या जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

जब माननीय प्रेम सिंह सन्तुष्ट हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

[२६ फरवरी, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

[हटा दिये गये।]

*३-५--श्री रामचन्द्र विकल--

[चौथे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ७२-७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६--श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

स्वतन्त्रता संग्राम में जब्त की गई भूमि की वापसी का सुझाव

*७--श्री गणेशचन्द्र काछी--

विधान सभा के दिनांक ४ सितम्बर, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के क्रम में सरकार विचार करने की कृपा करेगी कि बहुत से देशभक्त जिन की भूमि स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण सन् १९३१-३२ ई० के करबन्दी आन्दोलन में विदेशीय सरकार को हटाने के सिलसिले में चली गयी है और उनके पास जिलाधीश द्वारा दिये गये सार्टिफिकेट भी मौजूद हैं, पर वह बिला जमीन के भटक रहे हैं, ऐसी दशा में सरकार कोई ऐसा नियम बनाने पर विचार करने की कृपा करेगी जिससे कि गई हुई भूमि के बराबर की कीमत की भूमि उनके ही ग्राम या पड़ोसी ग्राम में मिल जावे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

ऐसा नियम बनाना सम्भव नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

उन लोगों को जमीन दिलाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

तब से बहुत जमाना हो गया और नये-नये हकूक पैदा हो गये। बहुत से लोगों ने जमीनों पर इधर से उधर कब्जा कर लिया है। फिर ऐसा भी है कि जिस गांव को जमीन है उसी गांव के रहने वाले को दी जाय तो जिस गांव के ये आदमी हैं उसमें कोई जमीन नहीं है। शायद पन्त जी के जमाने में भी यह प्रश्न उठा था, लेकिन यह बात असम्भव प्रतीत हुई, इस लिए ड्राप हो गयी।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)---

माननीय मन्त्री जी ने बहुत सी कठिनाइयां जमीन दिलाने में बतलायीं इसलिये क्या सरकार उनको राजनैतिक पीड़ित की संज्ञा दे कर उनको पेंशन और अन्य सुविधायें दिलाने के लिए कोशिश करेंगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं ठीक तरह से नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान है बहुत से लोग पेंशन पाते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

क्या मन्त्री जी मेरे सुझाव पर विचार करेंगे कि सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत जो जमीन इस प्रदेश में निकली है उसको इन राजनीतिक पीड़ितों को दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वह जमीन तो लैन्डलेस हरिजनों के लिए है, उनकी दशा बहुत खराब है, उसको उन्हीं के लिए रहने दीजिये।

श्री मैनेजरसिंह---

सरकार पिछले वर्षों में स्वतन्त्रता संग्राम के विरोधियों, राय बहादुरों, और खान बहादुरों के वंशजों की सर्विसेज वगैरह में काफी तरक्की दिलाती रही है तो क्या अबसे सरकार ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी लोगों के वंशजों को भूमि दिलाने में प्राथमिकता देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा १९८ में लैन्डलेस को प्रिफ्रेंस दिये जाने का प्राविधान है। जब लैन्डलेस हो गये हैं तो उसमें आ जाते हैं।

*८---श्री गणेशचन्द्र काछी---

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*९---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*१०-११---[हटा दिये गये।]

*१२---श्री गणेशचन्द्र काछी---

[हटा दिया गया।]

*१३---[हटा दिया गया।]

अराजकीय डिग्री कालेजों के अध्यापकों का वेतन

*१४—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश के अराजकीय डिग्री कालेजों में काम करने वाले अध्यापकों का वेतन-क्रम क्या है, तथा उन्हें मासिक भत्ता कितना मिलता है और राजकीय डिग्री कालेजों में तथा राजकीय इन्टर कालेजों में क्या वेतन-क्रम और भत्ता है ?

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

†सूचना संलग्नक "क" में दी है ।

*१५—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम में कब संशोधन हुआ था और आज की बढ़ती महंगाई को देखते हुये सरकार उक्त अध्यापकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कौन-सा तात्कालिक कदम उठाने जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

†सूचना संलग्नक "ख" में दी है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सूची है उसको वह सदन की जानकारी के लिए पढ़ दें ताकि मालूम हो जाय कि उनको क्या सुविधा है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में इस प्रकार है :—

प्रधानाचार्य—रु० ८००—५०—१,०००—द० रो०—५०—१,२०० ।

प्रोफेसर तथा हेड आफ डिपार्टमेंट—रु० ३५०—२०—५५० द० रो०—२५—६५० द०रो०—३०—८०० ।

असिस्टेंट प्रोफेसर—रु० ३२५—२०—५२५—द० रो०—२५—६२५ ।

लेक्चरर्स—रु० २५०—१५—४०० —द०रो०—२०—५०० ।

डिग्री कालेज

प्रधानाचार्य—रु०६५०—४०—८५०—द० रो०—५०—९०० ।

प्रोफेसर तथा हेड आफ डिपार्टमेंट—रु० ३००—२०—५००—द० रो०—२५—६०० ।

असिस्टेंट प्रोफेसर—रु० २७५—१५—४१०—द०रो०—२०—५५० ।

लेक्चरर्स—रु० २२५—१५—३६०—द०रो०—१५—४५० ।

गैर सरकारी डिग्री कालेजों के अध्यापकों को सरकार द्वारा महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

---

†अनुपूरक प्रश्न देखिये।

राजकीय डिग्री कालेजों के अध्यापकों को निम्न दर से महंगाई भत्ता मिलता है :

५० रु० तक ३८ रु०, ५१ रु० से १५० रु० तक ४० रु०, १५१ रु० से ४५० रु० तक ४५ रु०, ४५१ रु० से ४५४ रु० तक उतना धन महंगाई-भत्ता के रूप में दिया जाता है जितना ४९५ रु० पूरा करने से कम पड़ता है।

४५५ रु० से ८५० रु० तक ४० रु०।

८५१ रु० से ८८९ रु० तक उतना धन मंहगाई भत्ता के रूप में दिया जाता है जितना ८९० रु० पूरा करने में कम पड़ता है।

२—राजकीय इन्टर कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम तथा भत्ता निम्नवत हैं :—

प्रधानाचार्य—रु० २५०—२५—४०० द० रो०—३०—७००—५०—८५०।

लेक्चरर्स—रु० २००—२१०—२५०—द०रो—११०—३१०—द० रो०—१४—४५०।

भत्ता

५० रु० तक ३८ रु०, ५१ रु० से १५० रु० तक ४० रु०।

१५१ रु० से ४५० रु० तक ४५ रु०, ४५१ रु० से ४५४ रु० तक उतना धन महंगाई भत्ता के रूप में दिया जाता है जितना ४९५ रु० पूरा करने में कम पड़ता है।

४५५ रु० से ८५० रु० तक ४० रु०।

८५१ रु० से ८८९ रु० तक उतना धन महंगाई भत्ता के रूप में दिया जाता है जितना ८९० रु० पूरा करने में कम पड़ता है।

संलग्नक (ख)

जुलाई सन् १९५९ में गैर सरकारी डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम में संशोधन किया गया था।

राजकीय डिग्री कालेजों के अध्यापकों का वेतन-क्रम अगस्त, १९६१ में संशोधित किया गया है।

राजकीय इन्टर कालेजों के अध्यापकों का वेतन-क्रम अप्रैल, सन् १९४७ में संशोधित हुआ था।

सरकारी इन्टर तथा डिग्री कालेजों के अध्यापकों को १ जनवरी, १९६५ से निम्नलिखित दर से अन्तरिम महंगाई-भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय हुआ है :—

१ रु० से ५० रु० तक ५ रु० प्रतिमास।

५१ रु० से १५० रु० तक १० रु० प्रति मास।

१५१ रु० से ४५० रु० तक १२॥ रु० प्रति मास।

इसी प्रकार गैर सरकारी डिग्री कालेजों के ऐसे अध्यापकों को जिनका वेतन ३५० रु० या इस से कम है, २० रु० मासिक महंगाई-भत्ता वित्त मन्त्री के बजट भाषण के अनुसार स्वीकार किया जा रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या शिक्षा मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी डिग्री कालेजों के अध्यापकों को भत्ता देने के लिए १॥ रु० प्रति विद्यार्थी लेकर उन्हें आज तक भत्ता दिया जा रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश---

मुझे मालूम हुआ है कि कुछ कालेजों में भत्ते की फीस लेकर डिग्री कालेजों में गैर सरकारी अध्यापकों को भत्ता देते हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

इस प्रश्न के महत्व को देखते हुये क्या मन्त्री जी इसके उत्तर की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?)

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अवश्य रखेंगे।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)---

प्रश्न १५ के द्वितीय भाग का उत्तर शिक्षा मन्त्री जी की ओर से नहीं आया है ।

श्री कैलाश प्रकाश---

बजट के भाषण में जो घोषणा की गयी है वह माननीय सदस्यों के सामने है और इसके अतिरिक्त बजट में दो करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

बैल तथा ट्रैक्टर खरीदने के लिए तकावी

*१६---सर्वश्री मुमताज मुहम्मद खां, कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा मुहम्मद रफी खां---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि कृषकों को बैल खरीदने के लिये अब तकावी बन्द कर दी गई है, किन्तु बड़े-बड़े कृषकों को ट्रैक्टर्स खरीदने के लिये तकावी दी जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

जी नहीं । बैल की तकावी बन्द नहीं की गई है।

*१७---सर्वश्री मुमताज मुहम्मद खां, कमलासिंह यादव तथा मुहम्मद रफी खां---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यदि कृषकों को बैलों के खरीदने के लिये तकावी दी जाती है तो १ जनवरी, सन् १९६४ से ३१ दिसम्बर, सन् १९६४ तक कितना रुपया किसानों को तकावी के रूप में दिया गया और कितना रुपया बड़े-बड़े कृषकों को ट्रैक्टर्स खरीदने के लिये तकावी के रूप में दिया गया ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

बैलों को खरीदने के लिये सन् १९६४ ई० में दी गई तकावी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इस सूचना को जिलों से एकत्रित किया जा रहा है। इस समयावधि में ट्रैक्टर खरीदने के हेतु तकावी के रूप में १,३१,३४५ रु० वितरित किया गया ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी क्या वजह है कि ट्रैक्टर्स की तकावी के आंकड़े तो मंत्री जी के पास हैं और बैलों की तकावी के आंकड़े अभी इकट्ठा किये जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वह आम तकावी में दे दिये जाते हैं, लिहाजा उनको इकट्ठा करने में काफी समय लगेगा ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

बैलों के लिये तकावी का एलाटमेन्ट बढ़ाने तथा ब्लाकों द्वारा तकावी बांटने के प्रश्न पर क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह समय तो निकल गया। हर समय ऐसे प्रश्नों पर विचार नहीं होता।

श्री कमलासिंह यादव—

तकावी लेने में किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका एक चौथाई रुपया वेरीफिकेशन में ही खर्च हो जाता है, इसलिये क्या सरकार कोई ऐसी पुस्तिका उनको देने की सोच रही है कि जिसमें उनकी सारी जायदाद दर्ज हो और उनकी तकावी आदि दर्ज हो जिसे देख कर ही तकावी दी जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

स पर विचार किया गया था, लेकिन यह ठीक चलता नहीं।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी उन इलाकों में जहां बाढ़ आयी है, गरकी है, ओला या पाला पड़ गया है और किसानों की फसल नष्ट हो गयी है, तकावी में छूट देने की घोषणा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

छूट दिलाने की आदत लोगों में न डालिये। इससे डिमोरेलाइजेशन होता है। जिनको दिक्कत होती है और दरख्वास्त आती है उनको हम छूट देते हैं।

श्री मैनेजरसिंह —

क्या मंत्री जी को मालूम है कि किसानों को तहसील से तकावी दी जाती है और उसमें उनको बड़ी परेशानी का सामान करना पड़ता है और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिये क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि भविष्य में उनको विकास खण्डों से ही तकावी दी जाया करे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील हमारे पुराने विभाग से संबंधित हैं, विकास खण्ड नहीं। उन पर हमको ज्यादा कंट्रोल है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी इसे ध्यान में रखते हुए कि तकावी देने का इन्तजाम बहुत गलत है, और जिसे चाहिये उसे नहीं मिलती, बीच के दलाल खा जाते हैं, इस प्रथा को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं तो उन्हीं को देने की चेष्टा करता हूं जिनको जरूरत हो, दलालों को नहीं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जो बैलों की तकावी शासन की तरफ से दी जा रही है यह तमाम जिलों में दी जा रही है या चन्द जिलों में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिन-जिन जिलों से डिमांड होती है वहां भरसक दी जाती है। हर जिले में नहीं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मंत्री जी यह क्या बात कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसमें नाराज होने की कौन-सी बात है ? जहां से डिमांड होती है वहीं तो दी जा सकती है ?

श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)—

मुरादाबाद में संभल और बिलारी तहसीलों में ५ वर्ष से बैलों की तकावी का कोई पैसा नहीं दिया गया और डेढ़ हजार दरख्वास्तें तहसीलदारों द्वारा खारिज हो गयीं, क्या मंत्री जी को जानकारी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लिख कर दे दीजिये, मैं इन्क्वायरी कराऊंगा।

रजवाड़ी—डिब्रूगढ़ सड़क

*१८—श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ओड़िहार से वाया सैदपुर भीतरी रोड़ तक रजवाड़ी-डिब्रूगढ़ रोड जो बहुत पहले से पी० डब्लू० डी० द्वारा काफी चौड़ी बनायी गयी थी वह यातायात के लिये काफी अच्छी है? फिर भी सरकार बस्ती के बीच से सड़क निकाल कर जब देश में अन्न की काफी कमी है तो कछियाना भूमि को लेकर किसानों को क्यों भूमिहीन बना रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

गोमती नदी पर जो नया पुल निर्माण हो रहा है उसको मिलाने के लिये नई सड़क का निर्माण आवश्यक है। इसका संरेखण बहुत सोच-समझ कर निश्चित किया गया है।

*१९—श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों की भूमि इस सड़क के संबंध में ली जा रही है उनको जमीन का दाम निरख बाजार के रेट पर देने की कोई व्यवस्था करेगी और जो सड़क का भाग गांव के बीच से होकर जाता है उसके गांव के बाहर से ले जाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उक्त नई सड़क के लिये भूमि भारत सुरक्षा अधिनियम, १९६२ के अन्तर्गत ली गई है। अतः इसका मुआवजा इसी अधिनियम की धारा ३७ के अनुसार देय होगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्री जी को पता है कि जिस जिले से यह सड़क निकाली जा रही है उसमें चकबन्दी हो रही है और इस तहसील में भी हो गयी है और इस योजना के द्वारा चकों को खराब किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी उपयुक्त निरीक्षण करवायेंगे ताकि चकबन्दी खराब न की जाय ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जहां तक इस सड़क का सवाल है उसमें बहुत कुछ काम हो चुका है, बाकी जहां काम नहीं हुआ है वहां की बाबत ध्यान दिलायेंगे तो मैं देखूंगा।

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने जिस सड़क के संबंध में प्रश्न किया है वह ६६–६७ में बनकर तैयार होगी, अभी तो २–३ साल का मौक है, वहां कुछ भी काम नहीं हुआ है तो मैं प्रार्थना करूंगा और लिखकर भी मैंने दिया है, एक रिप्रेजेन्टेशन भी हो रहा है, उस रिप्रेजेन्टेशन को देखते हुए क्या मंत्री जी खुद मौका मुआइना करेंगे ? जहां आपने सड़कों का जाल बिछाया हुआ है वहां चकबन्दी से जो भूमि लोगों को मिली है उसको खराब न करके सही ढंग से सड़क बनायी जाय और लोगों का नुकसान न हो ऐसा कदम उठायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिस सड़क के संबंध में प्रश्न है उसके बारे में मेरी सूचना यह है कि काफी काम शुरू हो चुका है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं सूचना दे रहा हूं कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और खड़ी फसल को माननीय मंत्री जी ने गिरवा दिया कई फर्लांग। गांव के बीच से सड़क ले जा रहे हैं, इस तरह से लोगों का कितना नुकसान होगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह जो बात कह रहे हैं क्या आप फिर से सूचना मंगवायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं दोबारा सूचना मंगवा लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—

मूल प्रश्न में कहा गया है कि सड़क बस्ती के बीच से होकर निकाली जा रही है तो कृषि योग्य भूमि का नुकसान बस्ती में से सड़क निकालने पर ज्यादा होगा या आबादी के बाहर निकालने पर होगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो जाहिर है, मान ली जायगी आपकी बात।

श्री कमलासिंह यादव—

मुआवजे का जो रेट आपने रखा है वह बहुत ही कम है, तो क्या जैसा कि गाजियाबाद के लिये किया है वहां भी मार्केट वेल्यू से मुआवजा दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

मुआवजा तो ऐक्वीजीशन ऐक्ट में निर्धारित है।

श्री कमला सिंह यादव—

स्पेशल प्रावीजन गाजियाबाद के लिये है।

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो अधिनियम इस संबंध में है उसमें मार्केट रेट का ही जिक्र है।

छात्र-वृत्तियां

*२०—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० में सन् १९६४–६५ से हर जिले से मिडिल क्लास पैरेंट कैटेगरी के अन्तर्गत स्टाइपेंड के लिये छात्रों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र तथा एजूकेशन कोड की धारा २२८ (बी) वन के मातहत महिलाओं द्वारा एवार्ड के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र को आधे से ज्यादा साल खत्म हो गया है और अभी तक उपर्युक्त संबंधित व्यक्तियों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली ? क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि यह छात्रवृत्तियां स्कूल प्रारम्भ होने के शीघ्र से शीघ्र मिल जाया करें ?

श्री कैलाश प्रकाश—

छात्रवृत्तियों को शीघ्र उपलब्ध कराने के ध्येय से ही इस वर्ष से शासन द्वारा छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने का अधिकार मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक तथा बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं को दे दिया गया है और उनको यह भी आदेश दे दिया गया था कि वे समस्त छात्रवृत्तियां ३०–९–१९६४ तक अवश्य स्वीकृत कर दें। परन्तु गत वर्ष के परीक्षा फल के अंक संबंधित प्रधानाचार्यों से समय से प्राप्त न होने के कारण छात्रवृत्तियां शीघ्र स्वीकृत न की जा सकीं। उक्त अधिकारियों को इस संबंध में और शीघ्रता करने तथा विद्यालय के खुलने के उपरान्त शीघ्र ही छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये आदेश दिये जा रहे हैं।

जहां तक महिलाओं को रिवार्ड दिये जाने का संबंध है, प्रादेशिक बालिका विद्यालय निरीक्षिका, लखनऊ तथा इलाहाबाद ने क्रमशः ३ तथा १ रिवार्ड स्वीकृत किया है। अन्य प्रादेशिक बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा महिलाओं के प्रार्थना-पत्र प्राप्त न होने के कारण रिवार्ड स्वीकृत नहीं किये गये।

*२१–२२—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

[पांचवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२३–२४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[पांचवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

बोर्ड आफ रेवेन्यू का एकाउन्ट्स आर्गेनाइजेशन

*२५—श्री रक्षपालसिंह—

(३१–७–६४) के लिये निर्धारित श्री रक्षपालसिंह एवं श्री हरिनाथ तिवारी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६–२७ के उत्तर से संबंधित क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—(अ) उक्त लेखा अधिष्ठान में कितने नान-गजटेड अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारी हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का विवरण क्या है ? (ब) जो अस्थायी हैं उनमें ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो कि गत १० वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं तथा कितने ऐसे हैं जो ७ वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

(अ) वांछित सूचना नत्थी में दी हुई है।

(ब) वांछित सूचना नत्थी में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९४ पर।)

*२६—श्री रक्षपालसिंह—

कार्य के महत्व तथा व्यापक दायित्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकर इस लेखा अधिष्ठान में ३ वर्ष से अधिक समय से कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

कर्मचारियों का स्थायीकरण स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर किया जाता है । अतः स्थायी पद उपलब्ध होने पर उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायगा ।

*२७—श्री रक्षपालसिंह—

इस प्रसंग में क्या सरकार यह बतायेगी कि दिनांक १ अप्रैल, १९६२ तथा दिनांक १ अप्रैल, १९६३ में विभाग की जो संख्या स्थायी घोषित की जा चुकी है उसके लिये नामों की घोषणा अब तक न किये जाने का क्या कारण है तथा घोषणा कब तक कर दी जायगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

स्थायी पदों में से लेखाकारों के दस पदों पर तथा निम्न श्रेणी कर्मचारियों के २२ पदों पर स्थायी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं । ज्येष्ठता के संबंध में कर्मचारियों के प्रत्यावेदन इस समय राजस्व परिषद के विचाराधीन है । उन पर निर्णय होते ही पदों पर भी स्थायी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

निम्न-श्रेणी कर्मचारियों के शेष दो पदों पर चुनाव के लिये पात्र दो कर्मचारियों की चरित्र पंजी ठीक न होने के कारण अभी स्थायी नियुक्ति के आदेश नहीं दिये गये हैं । उनका कार्य कुछ समय तक देखने के बाद उक्त पदों पर स्थायीकरण के संबंध में निर्णय लिया जायगा ।

श्री रक्षपालसिंह—

मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि ८६ कर्मचारी ऐसे हैं जो अस्थायी हैं और ७३ ऐसे हैं जो १० साल से अधिक से काम कर रहे हैं और कुछ ७ साल से काम कर रहे हैं, तो इन कर्मचारियों को स्थायी किये जाने में क्या कारण बाधक हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जब परमानेन्ट वेकेंसी होती है तभी स्थायी किया जा सकता है ।

धरम्मरपुर की बंजर भूमि

*२८—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के मौजा धरम्मरपुर के ग्राम कोटियां करकटपुर तथा धरम्मरपुर में कितनी कितनी बंजर भूमि तथा कहां-कहां ग्राम पंचायत के अधीन है ? क्या सरकार अलग-अलग गांव की अलग-अलग बंजर भूमि की एक लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मौजा धरम्मरपुर के अन्तर्गत कोटियापुरवा, करकटपुरपुरवा तथा धरम्मरपुर खास में कुल ८ बि० ७ बि० ३ बि० बंजर भूमि है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९५ पर ।)

*२९—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त ग्रामों की कुछ बंजर भूमि पर ग्राम के धनीवर्ग तथा जबरदस्त लोगों अपना नाम दर्ज करा कर अनधिकृत तरीके से जोतते बोते चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो कितनी बंजर भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने अनधिकृत तरीके से अपना अधिकार जमा रखा है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उक्त बंजर भूमि पर कोई अनधिकृत कब्जा नहीं है ।

विधायक निवास में बाहरी लोगों के रहने की शिकायत

*३०—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास पर विधायक दूसरों को भी ठहराते हैं और उनसे किराया भी चार्ज करते हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस प्रकार की कुछ शिकायतें अवश्य आई हैं। कुछ अनधिकृत व्यक्ति विधायकों को दिए गए निवास स्थानों में रहते पाए गए हैं। किराया लिया जाता है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता ।

*३१—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि विधायक निवास में बाहरी स्त्री पुरुषों को जो विधायक नहीं हैं, टिका कर उसे दूषित बना रखा है ? क्या सरकार ऐसे गन्दे तथा दूषित तत्वों की जांच करा कर समूल नष्ट करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जैसा ऊपर कहा गया है, इस प्रकार की कुछ शिकायतें अवश्य आई हैं। आवास समिति इन शिकायतों को देख रही है । विभाग भी यथाशक्ति उनको दूर करने का प्रयत्न करता है । ऐसी आशा है कि विधायक लोग भी अधिक जिम्मेदारी से काम लेंगे ताकि ऐसी शिकायतों को कोई स्थान न मिले ।

श्री मतोलासिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मुख्य मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह तो आप ही बतायेंगे ।

श्री जगन्नाथसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि "बी" ब्लाक के ६० नम्बर के कमरे में कोई व्यक्ति रहता है, वह स्त्री है या पुरुष ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस समय तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं । आवास समिति की एक उप-समिति मुकर्रर हुई है जो जांच कर रही है । उसकी रिपोर्ट आ जाने पर सही स्थिति मालूम होगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नम्बर ३ कौंसिलर्स रेजीडेन्स, जिसको पुराना विधायक निवास कहते हैं, उसमें ३ कमरे ऐसे हैं जिनको मैं ३ साल से देख रहा हूं कि वह बाहरी व्यक्तियों के कब्जे में हैं और जिन माननीय सदस्यों के नाम से वह अलाट हैं वह किराया उन व्यक्तियों से लेते हैं। वह कौन कौन लोग हैं जिनके नाम कमरे अलाट हैं और बाहरी कौन-कौन व्यक्ति हैं जिनकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैंने अर्ज किया कि आवास समिति की एक उप-समिति मुकर्रर कर दी है सब विधायक निवासों की जांच करने के लिये। मैं उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। रिपोर्ट आ जाने पर जो भरसक हम से होगा वह हम करने की चेष्टा करेंगे।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

मंत्री जी "बी" ब्लाक के ६० नम्बर कमरे में स्वयं गये थे और वहां चाय पीकर आये, तो कृपया वह बतायेंगे कि उसमें कोई लड़का रहता है या लड़की रहती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं किसी लड़के लड़की को नहीं जानता और न मैं चाय पीकर आया।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि 'बी' ब्लाक के ६० नम्बर कमरे में बहुत से ऐसे व्यक्ति आते रहते हैं क्योंकि उनको यह पता नहीं कि वह लड़का है या लड़की, इससे बड़ी अनैतिकता फैल रही है, तो क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ? यदि हां, तो क्या उसको दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जानकारी तो हमें नहीं है, जो आप लोग कहते हैं वही ठीक होगा। अगर आप लोग सहायता दें और सहयोग दें तो हम कोशिश करेंगे रिमूव करने की। विधायकों के सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता।

दि इन्स्टीट्यूट आफ यौगिक थिरेपी ऐण्ड कल्चर, लखनऊ

*३२—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ नगर में १, प्रयागपुर हाउस विश्वविद्यालय रोड पर कोई विश्व पंचायतन योगाश्रम नामी संस्था कायम है जिसे सरकार प्रतिवर्ष कुछ रुपया अनुदान में देती है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से और प्रत्येक वर्ष कितना-कितना दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, "दी इंस्टीट्यूट आफ यौगिक थिरेपी एण्ड कल्चर" नाम की संस्था, जिसका पहले नाम "विश्वायतन योगाश्रम" था, लखनऊ विश्वविद्यालय मार्ग पर स्थित है। इस संस्था को निम्नलिखित अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया गया :—

	रु०
१९६१–६२	२,०००
१९६२–६३	६,०००
१९६३–६४	६,५००
१९६४–६५	९,०००

नोट—तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*११—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त आश्रम के प्रधान, श्री आर० के० शर्मा, को योग की डिग्री कब, कहां से, किसके द्वारा प्रदान हुई इस बात की अनुदान देने के पूर्व जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो किस के द्वारा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्री आर० के० शर्मा के पास योग की कोई डिग्री नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

*३४-३५—[पांचवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिला परिषद् के अध्यापकों से चन्दा लेने की शिकायत

*३६—श्री उग्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, जिला परिषद्, देवरिया ने नेहरू कोष हेतु देवरिया के ५५० प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों से जो एक-एक माह का वेतन चन्दा के रूप में काटने का आदेश गत जुलाई मास में दिया था उस आदेश के विरुद्ध कोई पत्र उन्हें अगस्त, सन् १९६४ में मिला कि इसकी कार्यवाही तत्काल रोक दी जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—

दिनांक ३१ अगस्त, १९६४ का एक तार देवरिया से प्राप्त हुआ था जिससे कुछ इस प्रकार ज्ञात होता था कि अध्यक्ष, जिला परिषद्, देवरिया द्वारा नेहरू कोष के लिए अध्यापकों से जबरन चन्दा वसूल किया जा रहा था ।

*३७—श्री उग्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उपर्युक्त उत्तर में उल्लिखित तार प्राप्त होने के पहले ही शिक्षा विभाग को इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हो गई थी । मामले में सविस्तार जांच कराई गई और अध्यापकों से जबरन चन्दा वसूल करने की बात सिद्ध नहीं हुई ।

*३८—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया ।]

विधूना तहसील में चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

*३९—श्री शिवनार्थसिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत ए० सी० ओ० सर्किल असेनी, तहसील विधूना के विरुद्ध ग्राम इकधरा फफूंद से कितने शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री व चकबदी डाइरेक्टर को १ अगस्त, १९६४ से २० सितम्बर, १९६४ तक प्राप्त हुए और उनमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

केवल चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) इटावा के पास भेज दिया गया है ।

*४०-४२—चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच) तथा श्री प्रेमसिंह—

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये]

कोल्हुई-लोटन सड़क

*४३—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के कोल्हुई लोटन, खोटन लेहड़ा, कोल्हुई-बृजमनगंज-धानी सड़कों के बनाने हेतु जो भारतीय नेपाली सीमा पर स्थित है, कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो सड़कों के कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

केवल कोल्हुई लोटन सड़क का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसका आगणन तैयार किया जा रहा है और उसकी स्वीकृति के बाद इस पर निर्माण कार्य आरम्भ होगा। अन्य दोनों सड़कों के निर्माण की कोई योजना इस समय सरकार के विचारधीन नहीं है।

*४४—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*४५-४७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

चकबन्दी अधिकारियों का घर से सामीप्य

*४८—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन एस० ओ० सी० तथा सी० ओ० उनके होम डिस्ट्रिक्ट्स के समीपवर्ती जिलों में कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

केवल बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, सर्वश्री जहीर उल्ला, बृहस्पति शर्मा, राजेन्द्र नारायण सक्सेना, राजेन्द्र कुमार शर्मा, राजेन्द्र बहादुर सिंह तथा रमा शंकर निगम ही अपने होम डिस्ट्रिक्ट के समीपवर्ती जिले में कार्य कर रहे हैं। चकबन्दी अधिकारी कोई नहीं।

*४९—श्री बसन्तसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसे एस० ओ० सी० तथा सी० ओ० हैं जो एक ही जिले में ३ वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या-क्या हैं तथा उनका नियमानुसार स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, तीन एस० ओ० सी० हैं और चार सी० ओ० हैं। उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से ५ अधिकारियों को जन हित में रोका गया। बाकी दो अधिकारियों को पिछले वर्ष के सामान्य स्थानान्तरण के समय तीन वर्ष नहीं हुये थे।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४९६ पर)

*५०-५१—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*५२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*५३—श्री कमलासिंह यादव—

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*५४-५५—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

[पांचवें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ५५-५६ के अन्तर्गत निर्धारित किए गये।]

*५६-५७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[पांचवें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ५७-५८ के अन्तर्गत निर्धारित किए गये।]

हिन्दी टाइपराइटर की-बोर्ड

*५८—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिंदी टाइप राइटर्स के की-बोर्ड का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय ने हाल में अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी टाइपराइटर्स के लिए मानक हिंदी-मराठी की-बोर्ड स्वीकार किया है। इसे अपनाने पर विचार किया जा रहा है।

*५९—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कभी हिंदी टाइप राइटर्स के की-बोर्ड के संबंध में कोई कमेटी बैठाई गई थी ? यदि हां, तो उसके निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई कमेटी नहीं बैठाई थी, किंतु सन् १९४७ में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में जो देवनागरी लिपि सुधार कमेटी बनाई गई थी उसके विचार क्षेत्र में रखे गये लिपि सुधार के संबंध में किए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर हिंदी टाइपराइटर में आवश्यक संशोधन करना भी एक विषय था। इस कमेटी ने १९४९ में एक टाइपराइटर उप-समिति बनाई। इस उप-समिति की संस्तुतियां तथा उन पर कमेटी का निर्णय संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३९७-४९८ पर)

*६०-६१—श्री रामआधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित किए गये।]

राज्य की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

*६२—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष, डा० बलजीत सिंह के निर्देशन में कोई रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में तैयार हुई है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट के नतीजे क्या हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से रिपोर्ट तैयार करवाई है ?

*६३—श्री उमाशंकर—

क्या सरकार उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर मय उस पर क्या लागत है, रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय ने सरकार से अनुदान मांगा था और इसके लिए ३०,३८३ रु० ६० पैसा दिया गया । रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

*६४—श्री उमाशंकर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर सरकार ने कोई कार्यवाही की या करने जा रही रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

रिपोर्ट विचाराधीन है ।

वृहत् जोत-कर

*६५—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में कुल कितना बृहत् जोत-कर लगाया गया और कुल कितना नया-पुराना कर एक्जेम्प्ट कर दिया गया और कितना बकाया कुल था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बृहत् जोत-कर अधिनियम, १९६३ के अन्तर्गत १०, ३५,३७३ रु० का कर लगाया गया । मुक्त कुछ नहीं हुआ । ३९,०९६ रु० वर्ष में ही देय था । वृहत् जोत-कर अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत ५,८२,८१४ रु० का कर लगाया गया । वर्ष में ४,३२,७११ रु० मुक्त किया गया । ४,४६,३३४ रु० वर्ष में देय था ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया ।]

श्री शिवमंगल द्वारा "पायनियर" में छपे समाचार पर आपत्ति

श्री शिवमंगल (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । कल प्रश्नोत्तर काल में मेरे नाम की कोई चर्चा नहीं हुई थी, मगर "पायनियर" पेपर में गलत समाचार छापा गया है और उसमें मेरा नाम भी है .....

श्री अध्यक्ष—

मैंने खुद उसे पढ़ा है.....

श्री शिवमंगल—

एक मिनट में मेरा निवेदन सुन लें। जो छपा है उसमें मिनिस्टर साहब से मेरा रिलेशन बताया गया है। उसमें इस प्रकार छपा है—

"A relation of his, Mr. Shiv Mangal Singh, M. L. A., was involved in cases of embezzlement committed in the Cooperative Bank of Ballia as well as in the District Cooperative Society—which explained the reluctance of the Minister for Cooperation....."

मैं निवेदन कर दूं कि मेरा तो कोई रिश्ता माननीय हरगोविंद सिंह जी से है नहीं। पता नहीं यह किस बेसिस पर छपा है? दूसरी बात यह है कि मेरे ऊपर कोई केस इम्बेजिलमेंट का नहीं चल रहा है, किन्तु पेपर में गलत समाचार छपा है। तो न मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है और न ही मेरा कोई रिश्ता माननीय मंत्री जी से है। इस प्रकार के भ्रामक समाचार छापकर मुझे बदनाम करने की चेष्टा की गयी है। आप सभी माननीय सदस्यों के संरक्षक हैं। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि आप संबंधित व्यक्ति को आदेश दें कि वे उसका कंट्राडिक्शन भी छापें और माफी भी मांगें। मुझे आशा है आप इसकी भी व्यवस्था करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार के भ्रामक समाचार न छपें।

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने स्वयं यह समाचार-पत्र में पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ। कार्यवाही देखने से यह मालूम हुआ कि माननीय शिवमंगलसिंह का नाम नहीं लिया गया है। उसमें यह था—"जैसा कि मैंने पहले बताया, भूतपूर्व वहां के जो मैनेजिंग डाइरेक्टर थे, श्री शिवशंकर, उनके विरुद्ध शिकायत भेजी गयी थी। उनमें यह था कि मैनेजिंग डाइरेक्टर बहुत सी अनियमितता करते हैं।" अब जैसा कि समाचार पत्र में छपा है, उस संबंध में मैं यह कहूंगा कि उनको एक बात का तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का सार्वजनिक जीवन में एक अपना स्थान होता है। समाचार पत्रों को चाहिए कि जब कभी भी वे ऐसे नाम छापें तो पहले कार्यालय से इस बात की जांच कर लें कि क्या किसी विधायक के विरुद्ध कोई बात यहां सदन में कही भी गयी है। इस समय तो मैं समझता हूं कि गलती से छप गया होगा, लेकिन इस तरह की अगर लापरवाही हुई तो सदन कार्यवाही भी कर सकता है। लापरवाही अगर ऐसी होती है जिसे अंग्रेजी में "ग्रास" कहते हैं तो वह बहुत ही अनुचित है। इस वजह से आवश्यकता इस बात की है कि चूंकि इस सदन में माननीय शिव मंगल सिंह जी का नाम नहीं लिया गया, मैं आशा करूंगा कि वह समस्त समाचार-पत्र, जिन्होंने यह समाचार छापा है, वह इसका प्रतिवाद कृपा करके छाप देंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय शिवमंगलसिंह जी इसमें कम्प्लेनेंट है। मैंने हल्ला में माननीय शिवमंगलसिंह जी का नाम लिया और आपने कहा कि यह अनियमित है। (व्यवधान) वे अब भी इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो बात मैं कहता हूं कि अनियमित है, वह अखबार में छप नहीं सकती है। जो बात कह दी गई है कि वह अभिलिखित नहीं होगी, वह बात अखबार वाले भी नहीं छाप सकते हैं। यह निश्चित संसदीय प्रथा है। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आप इतने नाराज हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए ।

श्री उग्रसेन—

जब अध्यक्ष नाराज होता है, तो वह अध्यक्ष नहीं रह जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा आप बैठ जाइए, या सदन छोड़िए ।

श्री उग्रसेन—

आप अखबार वालों पर मुकदमा चलाइये, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अच्छा किसी का नाम लिया हो आपने और हमने कह दिया अभिलिखित नहीं होगा, तो समाचार-पत्र वाले छाप नहीं सकते । यह संसदीय प्रथा है और इस संसदीय प्रथा का पालन इस सदन में होगा और मेरे द्वारा होगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनाएं आई हैं, उन सबको मैंने अस्वीकार किया है, मैंने उसमें लिख भी दिया है, आप उसे देख लेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा वाला तो बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष—

वह सब अनियमित हैं ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

मैंने जो नियम ५२ के अन्तर्गत दिया था, वह बहुत महत्वपूर्ण है...

श्री अध्यक्ष—

अब यह समाप्त हुआ ।

१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय, अनुदान संख्या २१—उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत ८,७२,४५,२०० २०· की मांग सन् १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय ।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १७,०७,७७,५०० रुपय की मांग सन् १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—उपनिवेशन के अन्तर्गत ३,६८,४०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत ४,५६,९५,८०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, कृषि विकास पर हमारे प्रदेश का ही नहीं, देश का भविष्य निर्भर है और मुझे बड़ी खुशी है कि धीरे-धीरे अपने प्रदेश और देश भर में कृषि के महत्व को महसूस किया जा रहा है और उस सिलसिले में जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। यह अहसास, हमारे देश-वासियों को विशेषकर जनवरी, १९६४ से हुआ है जबकि खाद्यान्नों की कीमतें बहुत बढ़ गईं। वैसे तो हर मुल्क में, गरीब मुल्क में विशेषकर, खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो और चीजों की कीमतें जरूर ही बढ़ जाती हैं। हमारे जैसे गरीब देश में जिसमें ९०–९५ फीसदी गरीब हैं उनका सालाना खर्च और आमदनी का बेशतर हिस्सा भोजन पर खर्च होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

हम सब लोग आपको सुनना चाहते हैं, जोर से बोलिए।

श्री चरणसिंह—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जितने आदमी गरीब होंगे उनकी आमदनी का उतना ही प्रतिशत भोजन पर खर्च होगा। एक आदमी गरीब है और इसके अलावा दूसरी तरफ एक आदमी की एक हजार रुपए की आमदनी है, वह १५० रु० खर्च कर सकता है। लेकिन जिस आदमी की आमदनी ७० रु० है वह भोजन पर साठ रुपए खर्च करेगा। इसका मतलब हुआ कि वह अपनी आमदनी का ८० प्रतिशत तो भोजन पर ही खर्च कर देगा। हमारे देश में अधिकतर लोग गरीब हैं इसलिए जरूरी है कि भोजन पर उनका ज्यादा खर्च होता है। इसके साथ जो और जरूरियात हैं उनकी भी कीमतें बढ़ जाती हैं। फूड प्राइसेज रेफ्लेक्ट होंगी नान–एग्रीकल्चरल प्राइसेज पर। इसकी वजह से सब कीमतें ज्यादा बढ़ गयीं। जैसा मैंने अर्ज किया था कि देश का ध्यान कृषि के महत्व की ओर ज्यादा गया है। जितना वादविवाद हुआ उस मौके पर या पिछले बजट सेशन में या अगस्त, सितम्बर में, उसका बहुत बड़ा हिस्सा केन्द्रित था कृषि पर और वह सही तौर पर केन्द्रित था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसकी मुझे बड़ी खुशी है और जहां तक अपने प्रदेश की कृषि का सम्बन्ध है, जैसा कि हम सबको मालूम है कि कृषि की पैदावार ६०–६१ में जितनी हो गई थी उसके बाद वह बराबर घटती गई। सन् १९६०–६१ में हमारी पैदावार १४२.५७ लाख टन थी, उसके बाद ६१–६२ में १३८.३९ लाख टन, ६२–६३ में पैदावार हुई १३२.८३ लाख टन और ६३–६४ में ११६.१९ लाख टन ही रह गई। अब इसमें एक बात विचारने योग्य है कि यह जो टोटल पैदावार यानी दोनों फसलों का जो मीजान है पैदावार का, उसमें जो घटोत्तरी हुआ शायद हमारा सबका खयाल है कि दोनों फसलों में पैदावार घटी है। खरीफ पैदावार नहीं घटी बल्कि बढ़ी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह शायद आपने रबी का ब्यौरा दिया है ?

श्री चरणसिंह—

मैंने यह दोनों फसलों की मीजान बतायी है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

खरीफ का ब्यौरा भी आप बता दीजिए।

श्री चरणसिंह—

अब मैं सब ही बतलाए देता हूं। तो खरीफ की पैदावार में ६०-६१ के आंकड़े से शुरू करता हूं। ६०-६१ में ५० लाख २१ हजार टन, ६१-६२ में ५० लाख ७० हजार टन, ६२-६३ में ५६ लाख ७३ हजार टन, ६३-६४ में वह रही ५४ लाख ६९ हजार टन और इस साल हमको आशा है ५८ लाख ७५ हजार टन हो जावेगी यानी रिकार्ड हो जावेगी। जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। ६०-६१ में ५० लाख २१ हजार, फिर ५० लाख ७० हजार, और फिर हुई ५६ लाख ७३ हजार। तो खरीफ की फसल की पैदावार का रूजहान बढ़ोत्तरी की तरफ है। रबी की पैदावार कम होने से टोटल प्रोडक्शन कम हुआ। ६०-६१ में सब से ज्यादा पैदावार हमारे प्रदेश में हुई। उस पैदावार के लिए आल इंडिया शील्ड भी मिली, ६०-६१ की रबी की। वह थी ९२ लाख ३६ हजार टन। उसके बाद रह गई ८७ लाख ६८ हजार टन, फिर ७६ लाख १० हजार और पिछले वर्ष वह रह गई ६१ लाख ५० हजार टन। यानी ६०-६१ में जो पैदावार थी ठीक उसका तिहाई घट गई। ९२ से ६१ लाख टन रह गई। इसलिए टोटल प्रोडक्शन १४२ से ११६ लाख टन रह गया। इस साल रबी की पैदावार ६०-६१ तक तो शायद न पहुंचे लेकिन ८५ लाख टन के करीब हो जायगी। मेरा अपना अनुमान तो था ८० लाख टन का, लेकिन डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर का है ९० लाख टन का। इसलिए मैं उसे ८५ लाख टन माने लेता हूं। आज ही उस पर काउन्ट करना फिर भी मुनासिब नहीं होगा, जब तक फसल किसान के खलियान में न आ जावे तब तक वह मौसम पर निर्भर है। अगर अब भी तेज हवा चल जाय या बारिश हो जाय तो हानि हो सकती है। कभी-कभी तो अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको भी अपने तजुर्बे से मालूम होगा, किसान यह समझता है कि फसल बहुत अच्छी है और जब तक वह उसे हारवेस्ट करता है तब तक भी यही समझता है कि अच्छी है, लेकिन जब उसे खलियान में तोलने लगता है तो वह पाता है कि उसे धोखा था।

तो फसल के गिरने का मुख्य कारण है मौसम, जिसे मेरे माननीय मित्र भानुप्रतापसिंह जी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं आपकी इजाजत से उनके विचार के लिए २ दलीलें रखना चाहता हूं। अगर हमारी इनएफिशिएंसी ही पैदावार के गिरने का कारण है तो खरीफ की फसल की पैदावार में वह क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होती है ? हमारी योजनायें, राज्य कर्मचारी और गवर्नमेंट तो सभी फसलों के लिए एक ही हैं। तो प्रोडक्शन के गिरने का कारण केवल, केवल तो नहीं, लेकिन मुख्य कारण मौसम है। मैं यह मानता हूं कि मौसम का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक केवल। मौसम के असरात का बिलकुल बेअसर करना मनुष्य की शक्ति के बाहर है, खेती में विशेषकर। खेती एक बायोलाजिकल, नेचुरल प्रोसेस है। एक कारखानेदार कच्चा माल मशीन में डालता है, वह हिसाब लगा सकता है कि इतना पक्का माल मशीन के दूसरे किनारे से निकलेगा। लेकिन एक बीज जो किसान खेत में डालता है, यह जरूरी नहीं है कि वह यह प्रेडिक्ट कर सके कि उससे कितनी पैदावार होगी। बीज की पैदावार में जितने कारण हैं मनुष्य की शक्ति के बहुत कुछ बाहर हैं। मैं इसके लिए एक दलील

[श्री चरणसिंह]

पेश करना चाहता हूं और वह है रूस की। मेरे माननीय मित्र झारखंडेराय जी मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में कम से कम वह मेरी ताईद करेंगे। रूस में ५४ करोड़ एकड़ जमीन जेरेकाश्त है। हमारे देश में जमीन है ३३ करोड़ एकड़ जेरेकाश्त। यू० एस० एस० आर० की आबादी है २३ करोड़ और अपने देश की है ४८ करोड़। मतलब यह हुआ कि साढ़े तीन गुनी जमीन फी व्यक्ति एक आदमी के पास आती है रूस में, बमुकाबले हिन्दुस्तान के। रूस में सारी खेती गवर्नमेंट के कन्ट्रोल में है। अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ और उत्पत्ति के साधन उनके पास हैं। वहां किसान अलग-अलग खेती नहीं करते हैं। जैसा हमारा किसान अज्ञानी और साधनहीन है वैसी बात रूस में नहीं है। ये कठिनाइयां रूस की एग्रीकल्चर के सामने नहीं हैं। लेकिन सन् ६३ में मौसम का असर वहां यह हुआ कि वे अपने लायक भी गल्ला पैदा नहीं कर सके और १२ मिलियन टन उन्होंने यू० एस० ए० और आस्ट्रेलिया से मंगाया। इसके लिए अरबों रुपए का सोना उन्होंने फ्रांस और इंगलैंड में बेचा, अपने लोगों को खिलाने के लिए। मैं रूस वालों को इसमें दोष नहीं देता हूं, क्योंकि खेती की पैदावार के बाबत बुनियादी बात मौसम की है, बायोलाजिकल प्रोसेस की है, जो मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। दूसरी बात यह है कि वही मनुष्य वही सरकार, वही योजनायें और वही राज्य कर्मचारी खरीफ और रबी की फसलों में आते हैं। एक बात और है। ६१ की रबी फसल, जिसमें हिन्दुस्तान में हमें इनाम मिला, उस समय इत्तिफाक से मैं एग्रीकलचर मिनिस्टर था और वही एग्रीकल्चर मिनिस्टर ६४ की रबी में था। इन सब बातों से जाहिर है कि जहां खेती की पैदावार घटने के और बहुत से कारण हैं, जिनमें मैं नहीं जाऊंगा, और जो कम से कम २ पीढ़ियों में दूर होंगे, वहां मुख्य कारण वही मौसम है और वह, जैसा मैं अर्ज कर चुका हूं, मनुष्य की शक्ति के बाहर है।

अब मैं जो खेती का मुहकमा है उसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहां कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें हर फसल की पैदावार पर जोर दिया जा रहा है, जो कि इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोडक्शन, आई० ए० डी० पी० है। फोर्ड फाउन्डेशन के तहत सारे देश में ७ जिले लिए गए। एक हमारे यहां और ६ दूसरे राज्यों में। उनमें भी एक-एक जिला लिया गया। हमारे यहां इसके लिए अलीगढ़ का जिला चुना गया। यहां पर हर फसल की पैदावार पर जोर दिया जा रहा है। शेष जिलों में किसी मखसूस फसल की पैदावार पर जोर दिया जा रहा है। मस्लन मूंगफली की पैदावार के लिए, हरदोई, मुरादाबाद, बदायूं, फर्रुखाबाद और सीतापुर, पांच जिलों में जोर दिया जा रहा है। इन जिलों में मूंगफली का रकबा ८–१० गुना बढ़ गया है। गेहूं की पैदावार के लिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, फैजाबाद और गोंडा को चुना गया है। पेड़ी की पैदावार के लिए बनारस, बस्ती, बांदा और सहारनपुर, चार जिलों को चुना गया है, लेकिन अलीगढ़ जिले में पैकेज प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। वहां सब फसलों पर जोर दिया जा रहा है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

इस पैकेज प्रोग्राम के लिए अलहदा स्टाफ क्यों रखा गया है, ब्लाक के स्टाफ से ही काम क्यों नहीं ले लिया जाता है?

श्री चरणसिंह—

जहां तक ज्यादा स्टाफ की बात है, यह स्कीम आल इंडिया लेविल पर बनायी गयी थी। उसमें हमारे राज्य कर्मचारी भी जो विशेषज्ञ थे, शामिल थे। हमारे अधिकारियों ने वहां जो आवश्यकता समझी उतना स्टाफ वहां रखा। और जिलों में चकबन्दी को पूरा करने में कई वर्ष लग गए, लेकिन अलीगढ़ जिले में वह एक वर्ष में ही समाप्त हो गयी। वहां हम बहुत तेजी से सब काम कर रहे हैं। इसी तरह से खाद, बीज, पानी के मामले में भी तेजी से काम हो रहा है। दूसरे जिलों में जो स्टाफ है वह नाकाफी है। अगर वह हर किसान को कान्टैक्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता है। आज कम्युनिटी डेवलपमेंट यह दावा नहीं कर सकता कि वह हर

किसान को कान्टैक्ट कर लेता है। १० गांवों पर एक विलेज लेविल वर्कर है। यह दूसरी बात है कि कोई अच्छा काम करता हो, लेकिन वह हर किसान को कान्टैक्ट नहीं कर सकता। उसके पास इसके लिए समय ही नहीं है। लेकिन पैकेज प्रोग्राम में खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिए जितनी भी सहूलियतें और साधन हो सकते हैं, सबके सब इकट्ठा करके हर किसान तक पहुंचा देने का हमारा इरादा रहता है। और फिर यह भी देखा जाता है कि दूसरे जिलों के मुकाबले में पैदावार बढ़ी है या नहीं ताकि दूसरे जिलों के लोगों को देखकर होड़ लग जाय और एक जनरल रिएक्शन इस तरह का पैदा हो। इसीलिए एक-एक स्टेट में एक-एक जिला लिया गया है। इसलिए यहां पर अधिक स्टाफ रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि कुछ मित्रों का यह खयाल है कि अलीगढ़ में कुछ नहीं हो रहा है, स्टाफ केवल बढ़ा है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं है, अलीगढ़ में काफी काम हुआ है। अलीगढ़ पश्चिमी जिलों के उन जिलों में है जिसमें ड्रेनेज की समस्या बहुत गम्भीर है। सन् ५५ से पंजाब में और पश्चिमी जिलों में बनिस्बत पहले के वर्षा दुगुनी शुरू हुई तो उससे सारे जिले प्रभावित हुए, लेकिन उसमें अलीगढ़, मथुरा और आगरा विशेष प्रभावित हुए। मस्लन अलीगढ़ में १५ सितम्बर, १९६३ को २४ घंटे में १२ इंच वर्षा हुई और पिछले साल २१-२२ सितम्बर को फिर उतनी ही वर्षा हुई। लेकिन बावजूद इसके---जबकि आसपास के जिलों में खेती की पैदावार घटी बराबर इन तीन चार सालों में अलीगढ़ जिले में पैदावार घटी नहीं, बल्कि बढ़ी। अगरचे इनक्रीज बहुत कम रही लेकिन पैदावार घटी नहीं। अब उसके आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

मथुरा अलीगढ़ और आगरा में इन तीन सालों के अन्दर टोटल कितनी पैदावार हुई और आपके पैकेज स्कीम का क्या असर हुआ, इसको भी जरा बतला दें।

श्री चरणसिंह---

मैं बतला रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं माननीय राधेश्याम जी को बतला दूं कि कोई बात मैं ऐसी नहीं कहूंगा जिसके लिए आंकड़े या कोई एविडेंस मैं नहीं दे सकता। अलीगढ़ में सन् १९५६ से लेकर १९६१ तक---पांच साल की औसत पैदावार थी ३ लाख ५९ हजार टन। यह सन् १९६१-६२ में हुई ३ लाख ५७ हजार टन और सन् १९६२-६३ में हो गयी ४ लाख २१ हजार टन यानी ६४ हजार टन बढ़ी। और सन् १९६३-६४ में वह रही ३ लाख ६१ हजार टन और लास्ट ईयर २ हजार टन बढ़ी बजाय घटने के।

अब मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा और एटा का लें। मस्लन मेरठ में सन् १९५६ से लेकर १९६१ तक ३ लाख २३ हजार टन पैदावार हुई और सन् १९६३ में २ लाख ६१ हजार टन हुई। मैं माननीय राधेश्याम जी को बतला दूं कि जमीन उतनी की उतनी ही है, कभी किसी साल १० हजार एकड़ ज्यादा जमीन में फसल हो गयी, किसी साल १० हजार एकड़ कम जमीन में फसल हुई। लेकिन जमीन में कोई सब्स्टेंटिव फर्क नहीं पड़ा है। जमीन उतनी ही है।

(श्री राधेश्याम शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

देखिए, आप जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आलोचना करना हो तोबाद में कर लीजिएगा।

श्री चरणसिंह---

तो मेरठ में तीन साल की औसत पैदावार ३ लाख २३ हजार टन रही, जबकि बाद में वह २ लाख ६१ हजार टन हो गयी। इस तरह से वहां पैदावार घटी है। बुलन्दशहर में ३ लाख १० हजार टन पिछले सालों की औसत पैदावार रही जो बाद में घट कर २ लाख ८३ हजार टन हो गयी। मथुरा की थी २ लाख २७ हजार टन। वह घट कर रह गयी २ लाख ५ हजार टन। एटा की थी २ लाख ९६ हजार टन। वह घट कर रह गयी २ लाख ३६ हजार टन। यह जिले हैं चारों तरफ के जिनकी पैदावार के ५ साल के औसत आंकड़े मैंने बताए। इन सब जिलों में घटी है पैदावार २० से २५ फीसदी, लेकिन अलीगढ़ की पैदावार अगर बढ़ी नहीं तो कम से कम ज्यों की त्यों है, हालांकि २ हजार टन बढ़ी है। इसका क्या कारण है? मेरी राय में सिवाय पैकेज प्रोग्राम के और कुछ नहीं हो सकता। यह भी बात विचारणीय है कि फर्टीलाइजर की खपत वहां पहले से कई गुना बढ़ गयी। इत्तिफाक से अलीगढ़ जिला ऐसा है जिसमें कैश क्राप नहीं के बराबर है, यानी गन्ना कम होता है, जबकि गन्ने में और तम्बाकू में फर्टीलाइजर की सबसे ज्यादा खपत है। हमारे यहां तीन जिलों में फर्टीलाइजर की काफी खपत है, मुजफ्फरनगर, जौनपुर और फर्रुखाबाद। इन जिलों में हायेस्ट पर एकड़ फर्टीलाइजर का कन्जम्प्शन है, क्योंकि वहां कैश क्राप में फर्टीलाइजर काफी दिया जाता है। अलीगढ़ में गन्ना बहुत कम पैदा होता है, वहां कैश क्राप की बहुत कमी है। इसके बावजूद भी वहां कई गुना फर्टीलाइजर का कन्जम्प्शन बढ़ा है।

इसी तरह से वहां बाजरे का बहुत बड़ा रकबा है, शायद सूबे में सबसे अधिक, करीब ढ़ाई लाख---२ लाख ५१ हजार एकड़, रकबा बाजरा का है अलीगढ़ में, और गेहूं का २ लाख ५० हजार एकड़ है। तो अलीगढ़ में बाजरे की पैदावार सबसे ज्यादा बढ़ी है। वह है ३२.६ परसेन्ट। जब कि नियरेस्ट ६ जिलों में २१ परसेन्ट है। इसी तरह से मक्का की पैदावार ५३ परसेन्ट बढ़ी है जबकि पंजाब में २४.६ परसेन्ट बढ़ी है। इसी तरह से जौ की पैदावार अलीगढ़ में २१.६ परसेन्ट बढ़ी है जबकि राजस्थान के पास वाले जिलों में १४.९ परसेन्ट बढ़ी है। चने की भी अच्छी पैदावार है। गेहूं में पंजाब प्रथम है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मन्त्री जी, जरा यह बता दें कि कन्नौज, अलीगढ़ ार बलिया में फूल की पैदावार बढ़ी है कि नहीं?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां समस्या है कि लोगों का पेट भरे, लेकिन माननीय काशीनाथ को फिक्र है कि उनके बालों में तेल पड़ जाय।

श्री उग्रसेन---

अलीगढ़ में १० हजार एकड़ में गुलाब का फूल बोया जाता है।

श्री चरणसिंह---

जहां तक श्रीमन्, बागात का ताल्लुक है मैंने आम की फसल की बाबत तो बता दिया है। बागात लगाने का थर्ड फाईव ईयर प्लान में जितना भी हमारा लक्ष्य था उससे भी कहीं ज्यादा पूरा हुआ। मस्लन १९६४-६५ में टार्गेट था २० हजार एकड़ में नए बागात लगाए जायं, लेकिन ३६ हजार एकड़ लगाए गए। एक हमारा टार्गेट रिजुवनेशन का था, कि जो पुराने बागात हैं, उनका जीर्णोद्धार हो तो वह था १५ हजार एकड़, पर इसके बदले हो गया ३५ हजार एकड़। पोटेटोज सीड्स ६० हजार एकड़ के लिए आशा थी मगर यह कम रहा---केवल ३० हजार और उसकी वजह यह थी कि पिछले साल पोटेटो पर मौसम का बहुत ज्यादा असर हुआ और नष्ट हो गया। पंजाब से भी नहीं मिला। इसलिए हमारे पास शिकायत आयी। हमने किसानों

को समझाया कि इसमें हमारे कर्मचारियों का दोष नहीं है। वेजीटेबिल सीड जो है वह ६,००० एकड़ का टार्गेट था उसमें भी ३० हजार एकड़ के लिए हमने दिया। इसके बाद सवाल आता है पानी का, बीज का, खेती का और कृषि की प्रोडक्शन का और भूमि संरक्षण का। मैं तफसील में इनकी बाबत अर्ज किए देता हूं।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है मैं तफसील में तो नहीं बता सकूंगा पर यह अज करूगा कि सिंचाई के साधन २ हैं, एक मेजर और दूसरा माइनर। जो बड़े-बड़े साधन हैं वे तो सिंचाई विभाग के पास हैं और उनकी बाबत माननीय सिंचाई मन्त्री अपनी बात रखेंगे और जो छोटे साधन हैं वे कम्युनिटी डेवलपमेंट के पास हैं अर्थात् कुएं आदि। उन पर तफसील में सम्बन्धित माननीय मन्त्री जी आपको बतावेंगे, लेकिन मैं माननीय मित्रों की इत्तला के लिए यह बता देना चाहता हूं कि इर्रीगेटेड एरिया जो है, यानी जिसमें सिंचाई होती है वह १, करोड़ १८ लाख से बढ़कर १ करोड़ ३२ लाख एकड़ हो गया है। यह ऐक्चुअल इर्रीगेटेड एरिया है। पोटेन्शियल उसका कितना पैदा किया है ? जो साधन हमने उपस्थित किए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। कितनी एकड़ और आबपाशी हो सकती है वह तो सिंचाई मन्त्री ही बतायेंगे, लेकिन जो ऐक्चुअल सिंचाई है वह मैंने बता दी है।

जहां तक माइनर इर्रीगेशन अर्थात् कुओं आदि का ताल्लुक है, उसके लिए किसानों को पहली योजना में २ करोड़ ६२ लाख रुपया दिया गया था, दूसरी योजना में ७ करोड़ ७३ लाख और तीसरी प्लान में शुरू में १२ करोड़, ९० लाख रखा गया था। अब ११ करोड़ १२ लाख और दिया जा रहा है। तफसील में माननीय राममूर्ति जी बतायेंगे। जहां तक बीज का ताल्लुक है, मैं यह तसलीम करूंगा कि बीज तकसीम करने की जो हमारी स्कीम थी वह बहुत सफल नहीं हुई है। गवर्नमेंट आफ इंडिया का पैटर्न था कि खेती का विभाग फाउन्डेशन सीड पैदा करेगा। सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स पर वह प्योर सीड ही पैदा करेगा और वह तकसीम किया जायगा। उसमें कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का भी सहयोग होगा। यह स्कीम सभी सूबों में नाफिज हो गयी लेकिन वह स्कीम सफल नहीं हुई और अब यह धारणा चल रही है कि बोर्ड आफ मेम्बरों में हमारे डिपार्टमट में और पार्टी के दोस्तों में और उनका यह सुझाव भी था कि नहीं डिपार्टमेंट को ही यह जिम्मेदारी फिर लेनी चाहिए जैसी कि पहले उनकी थी। बोर्ड आफ एग्रीकल्चर में एक सब कमेटी मुकर्रर हो गयी थी जिसमें भानुप्रतापसिंह जी भी थे। उनकी एक तजवीज थी। उस पर दो दिन बहस हुई। उसकी रिपोर्ट आने वाली है। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे उनमें जो खराबियां थीं वे खराबियां न हों और जो सीड की स्कीम है उसमें खराबियां एलिमिनेट हो जायं, सीड लोगों को मिल जाय इस बात की कोशिश की जा रही है। वह आसान बात नहीं है। उस कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी तो उसके अमल पर, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर विचार होगा। वैसे आपकी इत्तला के लिए बतला दूं कि पिछले साल हमने १ लाख ७२ हजार मन फाउन्डेशन सीड तकसीम किया और मल्टीप्लिकेशन फार्म्स जो हैं उनकी पैदावार बढ़ती जा रही है। इससे जाहिर होगा कि हमारे सीड फार्म्स की एफिशियेंसी और कार्यक्षमता बढ़ती जा रही है। २० मन फी एकड़ से ज्यादा पैदा करने वाले जो फार्म्स थे, उनका हमने वर्गीकरण कर दिया है वे 'ए' क्लास में हैं। १५ से २० मन फी एकड़ तक पैदा करने वाले फार्म्स 'बी' क्लास में, १० से १५ मन फी एकड़ तक पैदा करने वाले फार्म्स 'सी' क्लास में और १० मन फी एकड़ से कम पैदा करने वाले फार्म्स 'डी' क्लास में हैं। ६०-६१ में ऐसे फार्म्स जो २० मन फी एकड़ से ज्यादा पैदा करते थे यानी 'ए' क्लास में, ५७ फार्म्स थे। ६१-६२ में ५७ से बढ़ कर वे ७५ हो गए और ६२-६३ में ७५ से बढ़ कर ८१ हो गए। तीन साल के अन्दर 'ए' क्लास के फार्म्स की संख्या ५७ से बढ़ कर ८१ हो गयी जिनकी पैदावार २० मन फी एकड़

[श्री चरणसिंह]

से ज्यादा है। 'बी' कैटेगरी की संख्या २५ थी पहले। पिछले साल ३२ थी और अब ३४ है। ३२ मानी जाय तो भी बढ़ी है। 'सी' और 'डी' कैटेगरी के फार्म्स की पैदावार नेचुरली घटी है और 'ए' तथा 'बी' की बढ़ी है। आम तौर पर हमारे दोस्त आडिट रिपोर्ट को उठा कर या जो भी इत्तला उनको मिलती है वह सही होती है उससे यह नतीजा निकालते हैं कि गवर्नमेंट के फार्म्स घाटे पर चल रहे हैं और घाटे के कारण नतीजा यह निकालते हैं कि कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों को क्या खेती करना सिखायेंगे जब उनकी ही पैदावार फी एकड़ इतनी कम है और क्योंकि घाटा है इसलिए नतीजा यह निकालते हैं कि पैदावार सरकारी फार्म्स की कम है और कृषि विभाग के कर्मचारी नाकाबिल हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घाटे के कारण और हैं, पैदावार ही कम होना नहीं है। मसलन एकाउंटिंग के तरीके इसके लिये जिम्मेदार हैं। सामान, इम्पलीमेंट्स और जमीन सब का, डिप्रीसियेशन फण्ड और इंटरेस्ट वगैरह लगाया जाता है, लेकिन जब किसान मुनाफा देखता है, जैसे माननीय भगनुप्रतापसिंह जी हैं, जब वे अपना हिसाब लगाते हैं तो सामान की और जमीन की कपीटल वैल्यू नहीं निकालते हैं। वे निकालेंगे कि खेत पर इतना खर्च हुआ, इतनी मालगुजारी दी, इतनी आबपाशी पर खर्च हुआ, इतना माल मंडी में बेंचा और इतना मुनाफा हुआ। लेकिन गवर्नमेंट के जो सीड मटिप्लीकेशन फार्म्स हैं उनमें जो डिडक्शन्स होते हैं यह सब किसान के हिसाब में नहीं होते हैं।

दूसरी बात यह है कि हमारी हर चीज पेमेंट पर होगी। जैसे मैनेजर हैं, स्टाफ है और लेबरर्स हैं। लेबरर्स मिनीमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत काम करते हैं। वैसे खेत में छुट्टी नहीं हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कानून बनाया है कि हर इतवार को छुट्टी जरूर होगी। कारखानों में छुट्टी कर लें, दुकान में कर लें, खेत पर छुट्टी नहीं होनी चाहिये, लेकिन वहां भी छुट्टी होगी। जैसे एक कहावत है कि खेत सूख जाता है, फसल सूख जाती है किसान के साफा बांधने में। मेरे कहने का मतलब यह है कि खेती का काम इतनी जल्दी का है। इसके अलावा यह भी है कि इतनी तनख्वाह जरूर दी जायगी और इतनी मजदूरी भी जरूर दी जायगी मजदूरों को हमारे फार्म्स पर, चाहे दूसरी जगह सस्ते मजदूर मिल जायं। वे सब एक्सपेंसेज लगाये जाते हैं। लेकिन किसान अपनी और अपने लड़के की मजदूरी नहीं लगाता है और इतवार की छुट्टी भी नहीं करता है। लेकिन जब फार्मों का लेखा-जोखा लगाया जाता है तो ये सब एक्सपेंसेज लगाये जाते हैं। कुछ फार्म्स जो "सी" और "डी" कैटेगरी के हैं उनमें घाटा मालूम होता है। लेकिन हमारे मित्र सब फार्मों के लिये कह देते हैं कि घाटा हुआ है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्लास फार्मों की तादाद ५७ से बढ़ कर ८१ हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैन्योर की बात है। इसके बाबत भी जाने या अनजाने में, मैं समझता हूं कि अधिकतर अनजाने में, यह प्रचार लोग करते हैं कि इसका कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। इस साल तो इतनी मांग थी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया पूरी नहीं कर सकी। एक अखबार "नार्दन इंडिया पत्रिका" ने निकाल दिया कि इन्होंने प्लान नहीं किया, गवर्नमेंट आफ इंडिया कहां से देती, मांग ही इन्होंने नहीं रखी। कौन उनकी कलम पकड़ता है, जो चाहे वह लिखें। लेकिन हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं दिखाई गई, बार-बार हम तकाजा करते रहे, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी, दे नहीं सकते थे। अबकी बार यह रहा है कि सारे मुल्क में फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन बढ़ा है। इसलिये आज किसान की जितनी मांग हो गई उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिये १९६२-६३ में २५ हजार टन यह बांटा गया था। कोई स्कीम नहीं थी, लेकिन कानूनी तरीके से ही हुआ होगा। लेकिन बाद में स्कीम बनी। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के जिम्मे था फर्टिलाइजर तक्सीम करने का काम।

अब वहां जो हमारे कोआपरेटिव सोसाइटियों के मेम्बर हैं और यहां एम० एल० एज० हैं और जो दूसरे लोग भी हैं, जिससे हम उम्मीद नहीं करते थे, वह बराबर कहते हैं कि

कोआपरेटिव सोसाइटियों द्वारा किसानों को कर्जा नकद मिलना चाहिये और उन पर किसी प्रकार की शर्त नहीं लगनी चाहिये कि इतनी खाद, इतना बीज या अन्य सुविधा अवश्य ली जाये। उनका कहना है कि सोसाइटियों के द्वारा किसानों को मजबूर न किया जाये। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो कोआपरेटिव सोसाइटियां एक नान आफिशियल सोसाइटियां हैं, एक गैर सरकारी आर्गेनाइजेशन हैं, वह कहती हैं कि हम पर यह चीज क्यों थोपी जा रही है, हम पर इस प्रकार का प्रेशर क्यों विल्ड अप किया जाता है कि नकद रुपया दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से और उन लोगों से कहना चाहता हूं कि नकद रुपया किसानों को क्यों दिया जाय? गवर्नमेंट आफ इंडिया, हमारी सरकार या किसी भी प्रदेश की सरकार जो देती है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि खेती की पैदावार बढ़ाई जाये, वह केवल एक लेनदेन करने के लिये साहूकारों की कोई संस्था नहीं है। दूसरे मुल्कों में भी जो कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं, उनका भी इसी प्रकार का उद्देश्य होता है। दरअसल कोआपरेटिव मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य है खेती की पैदावार बढ़ाना। और उसके जितने साधन हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हैं जैसे पानी गवर्नमेंट की तरफ से है और यदि आप अपना पानी का इंतजाम करना चाहते हैं तो उसके लिये गवर्नमेंट २५ फीसदी और ५० फीसदी अनुदान कुवें और टयूबवेल बनवाने के लिये देती है। बीज बाजार में ठीक मिलता नहीं है, इसलिये कोआपरेटिव सोसाइटी बीज देती है। बाजार से कर्ज नहीं मिलता, इसलिये गवर्नमेंट करजा देती है। अब जहां तक खेती के औजार का सम्बन्ध है, उन पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। फर्टिलाइजर भी बाजार से नहीं मिलता है तो वह भी सरकार देती है। इस प्रकार से खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिये जितने साधन आवश्यक हैं वह सभी यह सरकार और कोआपरेटिव सोसाइटीज देने का प्रयत्न करती हैं।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

नकद तो इसलिये वह चाहते हैं कि वह उन्हें कोआपरेटिव सोसाइटीज से समय पर नहीं मिल पाती हैं, उनमें उनको परेशानी होती है।

श्री चरणसिंह--

तो मेरी बात आप ध्यान से सुनें, मैं वही कह रहा हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि कृषि के सारे साधनों का एकीकरण कर दिया जाये यानी सिंचाई, कोआपरेटिव और डेवलपमेंट आदि के विभाग एक मिनिस्टर के पास रहें तो ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ सकता है या अलग-अलग रहने से, इसमें आपकी क्या राय है?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा सवाल है जो मुझे नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी को एड्रेस होना चाहिये था। तो मैं कोआपरेटिव वाली बात बता रहा था। माननीय विजयपालसिंह जी ने एक शंका की कि वह नकद रुपया इसलिये चाहते हैं कि वे चीजें समय पर नहीं मिलती हैं। अगर वक्त पर कोआपरेटिव सोसाइटीज से या केन यूनियन से नहीं मिलता तो बाजार से कहां मिलता है? इसलिये जो यह कहा जाता है कि २५ फीसदी, २० फीसदी जो यह लीकेज है वह नहीं होना चाहिये, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। नकद रुपया किसान क्या करेगा? खेती की चीजों के जितने साधन हैं, उनके बारे में मैंने गिना दिया। अब यदि वह नकद रुपया लेते हैं तो वह मकान बनवायेंगे, व्याह-शादी में खर्च करेंगे या मुकदमा लड़वायेंगे। ४० फीसदी किसान

[श्री चरणसिंह]

कोआपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर थे और ६० फीसदी ऐसे थे जो उसके मेम्बर नहीं थे। कोआपरेटिव सोसाइटी की तरफ से जितनी मैं चाहता था फर्टिलाइजर वितरित हो वह नहीं हो रही थी। अतः एक एग्रीकल्चर सप्लाई आर्गनाइजेशन खुला है जो डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत वादविवाद के बाद साल भर पहले ६३ में खुला है। केन फेडरेशन, प्रांविशियल कोआपरेटिव फडरशन और एग्रीकल्चरल सप्लाईज आर्गनाइजेशन तीनों संस्थाओं की तरफ से तकसीम हुआ फर्टिलाइजर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चरल सप्लाईज आर्गनाइजेशन की तरफ से ६२-६३ में २५ हजार टन, ६३-६४ में जब टारगेट १ लाख टन का था १ लाख १७ हजार टन सप्लाई हुआ और अब यह वर्ष जो बीता है उसमें १ लाख ५० हजार टन जो टारगेट था वह पूरा तकसीम हुआ। प्रांविशियल कोआपरेटिव फेडरेशन की तरफ से जब एक लाख १६ हजार टन तकसीम करने का टारगेट था तब १ लाख ४६ हजार टन तकसीम हुआ। अब की १ लाख ५० हजार टन यानी जिनकी सोसाइटीज का जाल सारे प्रदेश में बिछा हुआ है उनका भी १ लाख ५० हजार तकसीम हुआ और एग्रीकल्चरल सप्लाईज आर्गनाइजेशन से भी १ लाख ५० हजार टन हुआ। केन फेडरेशन की तरफ से ४२ हजार, ४९ हजार और ५० हजार टन तीन साल में अलग-अलग तकसीम हुआ। अब जो टोटल तकसीम हुआ है वह ६२-६३ में १ लाख ८६ हजार टन, ६३-६४ में ३ लाख १२ हजार और ६४-६५ में ३ लाख ५० हजार, पिछले साल से कुछ ज्यादा और हमारा अनुमान यह था कि इस साल ५ लाख टन हो जाता अगर हमको वहां से मिल जाता।

अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर सप्लाईज आर्गनाइजेशन जो कायम हुआ है उसके मुताल्लिक जब गवर्नमेंट आफ इंडिया और दूसरे स्टेट्स के डाइरेक्टर्स और सेक्रेटरीज को मालूम हुआ तो उन लोगों ने उस मीटिंग में जिसमें सरदार स्वर्णसिंह आये थे तारीफ की। खुद सरदार स्वर्णसिंह जब ६ तारीख को रबी की पैदावार के सिलसिले में स्वर्ण कलश देने आये थे तब उन्होंने भी तारीफ की थी। डाक्टर राम सुभग सिंह ने भी तारीफ की, लेकिन सेन्टर की कम्युनिटी डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ने यह कहा कि यह काम सिर्फ कोआपरेटिव्ज के जरिये होना चाहिये। उन्होंने कहा कि इसको वाइन्ड अप कर देना चाहिये। हमने यह कहा कि हम इससे इन्कार करते हैं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय सदन मेरा समर्थन इस विषय में करेगा।

इम्प्लीमेंट्स का जहां तक ताल्लुक है हमारे यहां एक इम्प्लीमेंट्स कमेटी है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया और सारे स्टेट्स में गई और उन सबने इम्प्लीमेंट्स के बारे में हमारे प्रोग्राम को सराहा। उन्होंने गालिबन अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मेरे पास वह रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने उसको निहायत सन्तोषजनक बताया है। इम्प्लीमेंट्स के सिलसिले में जो इम्प्लीमेंट्स नहीं बनाये गये हैं उनको बनाने का इन्तिजाम किया है। हमारे लिये जो हैंडीकैप पड़ रहा है वह सिर्फ यह है कि हमें लोहा नहीं मिल रहा है, जैसा हमको चाहिये। गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहा भी जा चुका है, लेकिन फिर भी वह नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहां तालकटोरा वर्कशाप है वहां हम सीड ड्रिल, बुलक ड्रिवेन हारवेस्टर और बुलक ड्रिवेन पावर प्रेशर बनाना चाहते हैं।

एक सदस्य--

यह कास्टली होगा।

श्री चरणसिंह--

अगर कास्टली होगा तो चलेगा नहीं, किसान खरीदेगा नहीं और हम जबरदस्ती किसी पर लादना नहीं चाहते। खैर, तो हम उसका एक्स्पेंशन करना चाहते हैं लेकिन उसके सामने जो बाधा है वह केवल लोहे की है कि वह नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय, अब प्लांट प्रोटेक्शन की बात है। यह मैं अपने माननीय मित्रों को बता देना चाहता हूं कि प्लान्ट प्रोटेक्शन का काम जिस स्थिति में है उससे हमें सन्तोष है और लोगों की भी यही राय है जो हमारे स्टेट से वास्ता नहीं रखते। प्लान्ट प्रोटेक्शन की जो हमारे यहां योजना थी उसका टारगेट भी हमने पूरा कर दिया है। मसलन् सन् १९६१-६२ में जो १० लाख एकड़का टारगेट प्लान्ट प्रोटेक्शन करने का था उसको २१ लाख ८५ हजार एकड़ में किया है। १९६२-६३ में १५ लाख एकड़ में प्लान्ट प्रोटेक्शन करने का टारगेट था उसको ३० लाख २२ हजार एकड़ में किया। १९६३-६४ में २० लाख एकड़ में करने का टारगेट था उसको ३० लाख ८९ हजार एकड़ में किया गया है और १९६४-६५ में ३० लाख एकड़ में करने का था उसको ३५ लाख एकड़ में किया है। किसानों को ट्रेनिंग देने का टारगेट १९६१-६२ में ४,८०० फार्मर्स के लिये रखा गया था, लेकिन ट्रेनिंग जो दी गई वह ५,५७६ किसानों को। १९६२-६३ में ७,२०० किसानों को ट्रेनिंग देने का टारगेट था वह १७,९५८ किसानों को दी गई। १९६३-६४ में भी ७,२०० किसानों को ट्रेनिंग देने का टारगेट था जो १०,२१२ किसानों को दी गई और १९६४-६५ में १६,००० किसानों को ट्रेनिंग देने का टारगेट था जो १८,००० किसानों को देकर पूरा किया गया। अगर कोई साहब इन आंकड़ों को फर्जी समझते हों तो मैं उनके पास ये आंकड़े भेज दूंगा और वे जाकर जांच कर सकते हैं। अगर ये आंकड़े गलत पाये जायं तो जिसने मेरे पास गलत आंकड़े भेजे होंगे उनको मैं सख्त सजा देने के लिये तैयार हूं।

देवरिया के मित्र मेरी ताईद करेंगे कि वहां पर १९६३-६४ में ६३ हजार एकड़ में १२ ब्लाक्स के अन्दर लाल बालवाले कीड़े पैदा हो गये थे उनको प्लान्ट प्रोटेक्शन सर्विस के लोगों ने साफ किया। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और उस सारे एरिया को इनसे क्लीयर कर दिया गया। इस कीड़े को रेड हैयरी कैटर पिलर कहते हैं। इसमें सिर्फ १९ लाख रुपया खर्च किया गया। इस साल यह कीड़ा फिर दिखाई दिया और ११ हजार एकड़ में यह नुकसान पहुंचा रहा था तो फिर इसकी उन्हीं लोगों के द्वारा सफाई की गई।

श्री उग्रसेन---

इसकी सूचना किसानों को दी जाय तो वे भी इसमें सहायता कर सकते हैं और उनको भी मालूम हो सकता है। किसानों को इनकी सूचना पहले से मिलनी चाहिये।

श्री चरणसिंह---

यह टिड्डी तो आसमान से आती है लेकिन यह कीड़ा जमीन के अन्दर से निकलता है। तो यह कब आने वाला है इसका पता होना मुश्किल है। तो ११ हजार एकड़ से इस कीड़े को साफ किया गया। माननीय उग्रसेन जी को पता होगा और वह समर्थन करेंगे कि किसानों को इससे लाभ पहुंचा और उनको सन्तोष हुआ।

आजमगढ़ जिले में इस साल ३० हजार एकड़ में पैडी की रूट वीविल नाम का कीड़ा लग गया था और १३ हजार एकड़ की पैडी तो इससे बहुत अधिक प्रभावित थी, लेकिन हमारे इन लोगों ने उस कीड़े को मार कर साफ किया। अगस्त के महीने में बाकी एरिया में काम नहीं हो सका। केवल १३ हजार एकड़ में इस काम को किया गया क्योंकि जब सूखा होता है और नमी नहीं रहती है तो उस जमीन के अन्दर वह कीड़ा और गहराई तक घुस जाता है। इसलिये उपर से वह काम नहीं हो सकता था। इसी प्रकार से वाराणसी में पेडो में एक बीमारी थी जो वहां पर पिछले साल हो गई थी। अभी तक हमारे विशेषज्ञों के द्वारा कोई उसका इलाज सम्भव नहीं था तो इधर हमने वाराणसी में इस प्रोग्राम को चालू किया और उसको पेकेज डिस्ट्रिक्ट बनाया। वहां हमने रुपया और स्टाफ ज्यादा लगाया और उस प्रोग्राम को लांच किया, लेकिन

[श्री चरणसिंह]

उसका इलाज हम निकाल नहीं पाये, बल्कि यह बात हमको पहले से मालूम थी। हमने बाराबंकी के और बस्ती के जिले के लिये पेडी के लिये यह एरिया बहुत ज्यादा था लेकिन इसको लेने के बाद ध्यान में यह बात आई कि इतने ज्यादा एरिया में बीमारी का इलाज होना कठिन है और इतने एरिया को ले बैठे तो यह गलती होगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि उसका इलाज भी हमारे विभाग वालों ने निकाल लिया और इस साल मैं हर माननीय मित्र को दावत देता हूं कि जहां यह कीड़ा पिछले साल लगा था वहां उन गांवों में जा कर वे मालूम करें, वह कीड़ा नष्ट हो गया है। यही नहीं, पहले की अपेक्षा वहां की पैदावार भी बढ़ी है और पड़ोस के इलाकों से ज्यादा बढ़ी है। हमारे गवर्नमेंट आफ इंडिया के डाक्टर सन्तोष सिंह भी आये थे, वे बहुत सन्तुष्ट हो कर गये हैं। कुछ मरक्यूरियस कंपाउन्ड्स होते हैं जिनसे बीजों का ट्रीटमेंट किया गया और उन सीडलिंग्स का ट्रीटमेंट किया गया जिसके कारण यह नष्ट हो गया है। जहां यह कार्यवाही नहीं की गयी थी उनकी अपेक्षा इन खेतों में ६ मन की एकड़ के हिसाब से अधिक पैदावार हुई है। तो प्लान्ट प्रोटेक्शन की बाबत मैंने यह अर्ज किया।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद मुरादाबाद पीठासीन हुए।)

अब रही स्वायल कंजरवेशन की बात। मैंने कल भी इस ओर थोड़ा संकेत किया था कि स्वायल कंजरवेशन हमारे देश और प्रदेश की एक बड़ी समस्या है। असल में खेती के क्षेत्र में हम अपने कामों को दो भागों में ही बांट सकते हैं। एक स्वायल यूटिलाइजेशन तथा दूसरा स्वायल कंजरवेशन। जो भूमि हमारे पास है उसका बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग और उसकी रक्षा करना हर सरकार का फर्ज है। और हर पीढ़ी का फर्ज यह है कि जिस हालत में जमीन हमको अपने पुरखों से मिली है, जब हम यहां से जायं तो उसे बेहतर हालत में छोड़ कर जायं बजाय बदतर हालत में करने के। अगर हम अपनी जमीन को कटने देते हैं या ऐसे काम करते हैं कि जिनसे वह खराब होती है तो वह आने वाली पीढ़ियों के घर में डकैती डालने के समान होगा जिसकी कि वे रक्षा भी नहीं कर सकते। जिसकी हिफाजत के लिये वह मौजूद नहीं हैं। अगर हम जमीन खराब करके अपनी औलाद को देते हैं तो हमारा मुल्क रेगिस्तान हो जायगा। मैंने कल भी कहा था, २२ सभ्यतायें नष्ट हो गयी हैं इतिहास के अनुसार और उसका मुख्य कारण यह है कि वहां स्वायल इरोजन होता रहा। लिहाजा स्वायल का कंजरवेशन, खराब जमीन का रिक्लेमेशन पर हमें बड़ा बल देना होगा। अध्यक्ष महोदय, सन् ५४ में मैंने एक स्वायल कंजरवेशन ऐक्ट बनाया था जब कि भारतवर्ष में कोई माडल हमारे पास नहीं था। चार, पांच सालों में उसके नियम बनाये और उस पर काम शुरू हुआ। लेकिन कोई माडल न होने के कारण कुछ खराबी रह गयी। फिर १९६३ में पहले बिल को रिपील करते हुए एक बिल लाया गया जिसका नाम था स्वायल ऐंड वाटर कंजरवेशन बिल और उसमें माननीय मित्रों को याद होगा कि कंजरवेशन की तारीफ है "कंजरवेशन मीन्स रिक्लेमेशन, कंजरवेशन ऐंड इंम्प्रूवमेंट आफ दि स्वायल"। खराब जमीन का जीर्णोद्धार, अच्छी जमीन का कायम रखना और यही नहीं बल्कि उसे बेहतरीन बनाना। तो यह कृषि विभाग का काम है और हमें अपने पुराने उद्देश्य को कि केवल पैदावार बढ़ाना ही हमारा काम हो, बदल डालना चाहिये। ५० फीसदी हमको ध्यान देना है जमीन की पैदावार बढ़ाने में और ५० फीसदी जमीन के क्षरण को रोकने का। तो स्वायल कंजरवेशन के सिलसिले में, अधिष्ठाता महोदय, आपको स्टेट में ऐसा काम हो रहा है जो मैं उम्मीद करता हूं कि वह आपको भी सन्तोषजनक प्रतीत होगा और कम से कम मुझे तो पूरा सन्तोष है और मेरी आत्मा यह तसलीम करती है कि इन मौजूदा परिस्थितियों में कम से कम इससे बेहतर काम नहीं हो सकता, वैसे बेहतरी की तो हमेशा गुंजायश रहती है।

पहले हमारे यहां ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से और स्टेट की तरफ से ३ और ६ महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी, कोई बाकायदा कोर्स यूनिवर्सिटी और कालेजेज में नहीं था। बी० एस-सी० पास कर लिया, डिप्लोमा लिया या न लिया यही होता था। अब हमने एक पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स कानपुर में खोला है २ साल का। बी० एस-सी० पास करने

के बाद एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जायगी। अब तक हमारे अफसरों को अमरीका जाना पड़ता था। मैं रहमानखेड़ा गया था, वहां एक अफसर हैं, गुप्ता, पूरा नाम तो मालूम नहीं, वह अमरीका से लौट कर आये तो मैंने पूंछा कि तुम बताओ सही बात कि कुछ सीख कर आये हो? वह ६ महीने रहे थे। उन्होंने कहा कि जितना सीख सकते थे उतना नहीं सीख पाये। हमें जो खयाल था कि यह बात वहां बतायी जायगी, वह बतायी नहीं गयी। वहां सिवाय फंडामेंटल्स को साइंस ही तो हो, बाकी हमारे नौजवानों को या अफसरों को अमरीका आदि जाना, कम से कम मुझको तो अच्छा नहीं लगता और उसको मैं गैर जरूरी समझता हूं। वहां जाकर उनका दिमाग खराब हो जाता है, वहां की चहल-चहल से। यू० एस० ए० को छोड़िये, मुझको बतलाया कि हालैण्ड जैसे छोटे देश में ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आफिसर्स का जो सेक्रेटेरियट है वह हमारी दोनों सेक्रेटेरियट की बिल्डिंग्स को मिला कर उनसे भी बड़ा है---अमरीका का तो न मालूम क्या होगा? आफिसर्स वहां से आकर झींकते रहते हैं कि गवर्नमेंट यह नहीं करती, वह नहीं करती और किसानों को गाली देते हैं कि वह ट्रेक्टर नहीं चलाते हैं। तो क्या वह स्कीम बनायेंगे हमारे देश के लिए? हमारी जो परिस्थितियां हैं उनमें हमारा किसान तो गोबर ही इस्तेमाल करेगा, बैल ही इस्तेमाल करेगा और छोटी मशीन इस्तेमाल करेगा जैसा कि जापान में है। अब तो जमीन ऐसी होती जा रही है कि बैल रख सकेगा, यह भी डाउटफुल बात है। तो यहां की परिस्थितियां और हैं। वहां जाने से तो दो नुकसान होते हैं कि एक तो बहुत सी किताबें पढ़ लीं वहां की और दूसरा रद्दा लग गया कि वहां की चहल-पहल में भरमा गये। तो मेरे अपने खयाल में उनको थोड़ा अनलर्न करना, थोड़ा भूलना होगा। तो उलटा हो रहा है।

एक सदस्य---

साइंटिफिक तरीके वहां के या यहां के दो तरह के होते हैं?

श्री चरणसिंह---

मैंने कहा कि फंडामेंटल साइंस के लिए वहां जाया जा सकता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे किया जाय उसके लिए अमरीका में जाने की जरूरत नहीं है और फिर फंडामेंटल्स तो किताबों में मौजूद हैं, सभी पढ़ सकते हैं। क्या जो खेती अमेरिका में होती है, यहां हो सकती है? नहीं हो सकती। स्वाइल कंजर्वेशन के जो फंडामेंटल्स हैं, मेड़ बनाना है, पानी का सर्वे करना है, दरख्त लगना है, उस लेविल पर यहां हो सकता है? तो फंडामेंटल नालिज की कमी नहीं है जितना कि उसके करेक्ट एप्लीकेशन की है।

तो अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि भूमि संरक्षण का कोई कोर्स नहीं था। भूमि संरक्षण में तीन प्रकार के ज्ञान की जरूरत है---ऐग्रोनोमी, फारेस्ट्री और इंजीनियरिंग। अब तक एग्रीकल्चर के जो ग्रेजुएट निकलते थे वह ऐग्रोनोमी जानते थे, लेकिन एक मल्टी-परपज वर्कर हमको पैदा करना था। भूमि संरक्षण के काम में ओवरसीयर्सकी जरूरत पड़ती थी। ओवर-सीयर आना नहीं चाहते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। वह पी० डब्लू० डी० और इरिगेशन को पसन्द करते हैं---कारण जो भी रहे हों। हम परेशान हो गये। हमने इंजीनियर और पी० डब्लू० डी० चीफ इंजीनियर सबसे कहा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता। काम रुक रहा था, इसलिए यह काम शुरू हमने किया। हमने मालूम किया था, हिंदुस्तान भर में किसी और जगह नहीं है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो एग्रोनामी जानते हैं उनमें से ४० आदमियों का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया उनको साल भर की ट्रेनिंग दी जायगी। रहमान खेड़ा में ओवरसियर और इंजिनियरिंग की। तो जो ओवरसियर न मिलने से काम रुक रहा था वह हमने पूरा कर दिया।

श्री कमलासिंह यादव—

पे क्या देंगे ?

श्री चरणसिंह—

पे तो हम और वे तय कर लेंगे, आप क्यों फिक्र करते हैं ? वह लोग आ गये। जिस पे को हम देना चाहते हैं उस पर आ गये। मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं कि जो एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स हैं उनसे उनकी ज्यादा पे नहीं है। आज हमारे यहां २४ इंस्टीट्यूशन हैं जहां ग्रेजुएट्स बनते हैं जबकि सारे देश में ३५ हैं। तो हमारे यहां एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स की बहुत बड़ी तादाद है। इल-इक्विप्ड है। नतीजा यह है कि एग्रिकल्चरल ग्रेजुएट्स मारे-मारे फिर रहे हैं। सेकेंड क्लास पास को नौकरी नहीं मिलती, फर्स्ट क्लास को ही मिलती है। तो सेकेंड क्लास वालों ने बड़ी खुशी से एप्लाई किया। बेरोजगारी का मामला था इसलिए उनको साल भर की ट्रेनिंग देकर बारोजगार कर दिया, हमारा भी काम हो गया। मैं तो कमलासिंह जी को इनवाइट करता हूं कि जब जाना चाहें देखने के लिए तो मैं इन्तजाम करा सकता हूं। सभी लड़के बड़े ऐलर्ट और इनर्जेटिक दिखाई देते हैं। अगर्चे रहने का इन्तजाम हम नहीं कर पाये हैं, बिल्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुश हैं। तो स्वायल कंजर्वेशन के लिए क्लासेज खोल दिए गये और ट्रेनिंग का इन्तजाम हो गया। अब उसके आंकड़े बताये देता हूं—

थर्ड प्लान में जो यूनिट्स रखे गये थे टार्गेट, तो १९६१–६२ में ३ यूनिट रखे गये, अचीवमेंट में भी ३ यूनिट। १९६२–६३ में ४ यूनिट, अचीवमेंट में भी ४ यूनिट। १९६३–६४ में ६ यूनिट, अचीवमेंट में ७ यूनिट। १९६४–६५ में ४ यूनिट, अचीवमेंट ८ यूनिट। और ४ यूनिट इनके अलावा हम पहली मार्च से यानी परसों से स्टार्ट कर रहे हैं। फील्ड में लड़के पहुंच जायेंगे और १२ यूनिट हो जायेंगे और ५ यूनिट सितम्बर में खोलना चाहते हैं। अधिष्ठाता महोदय, राधेश्याम जी का एप्रूवल किसी गवर्नमेंट के काम के लिए मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मथुरा में जो काम स्वायल कंजरवेशन की तरफ से हुआ उससे उनको पूर्ण संतोष हुआ होगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—

चौधरी साहब पहले से पेशबन्दी कर रहे हैं। मैंने तो निरीक्षण किया ही नहीं, जरूरत पड़ेगी तो करूंगा।

श्री चरणसिंह—

तो लखीसिंह ने तो किया होगा ?

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मेरी तहसील में आपका काम नहीं पहुंचा, राधेश्याम जी की में पहुंच गया।

श्री चरणसिंह—

अच्छे काम को देखने में भी नुकसान है ? मैं मथुरा वेटरिनरी कालेज की मीटिंग में गया था। छुट्टी मिली तो एक रोज का देहात में दौरा किया। कई गांवों में चला गया। एक ज्वाला नाम का किसान मिल गया। वह इतना खुश था, उसने इतनी मेहनत की थी कि अपना कुआं बना लिया और इतनी तारीफ करता था कि मैं उसको आशीर्वाद देकर आया हूं कि १० साल में तू लखपति हो जायगा। आगरे में बहुत कुछ काम हुआ है, मिर्जापुर में अच्छा काम हुआ है। स्वायल कन्जर्वेशन का काम बहुत अच्छा चल रहा है, किंतु यह चलता रहे। मेरी किसानों से भी बात हुई, वे कहते हैं कि हम इसकी रक्षा करेंगे। किसानों में आज जागृति हुई है। वे

यह समझने लगे हैं कि जमीन के अलावा और दूसरी कोई चीज नहीं है जिसके आधार पर वे जिन्दा रह सकें ।

एक स्वायल कन्जर्वेशन बोर्ड भी है, स्वायल ऐन्ड वाटर कंजरर्वेशन ऐक्ट के मातहत, जिसके ठाकुर फूलसिंह जी भी मेंबर हैं और उनकी अध्यक्षता में एक सब-समेटी भी बनी है जो यह देख रही है कि स्वायल कन्जर्वेशन वर्क्स में क्या खराबी है, उसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है ? अगली बोर्ड की मीटिंग में शायद उनकी रिपोर्ट भी आ जायगी ।

इस संबंध में मैं इतना और बता देना चाहता हूं कि प्लान के पिछले तीन सालों में २ लाख १ हजार एकड़ में स्वायल कन्जर्वेशन का काम कर सके हैं। इस साल २ लाख ५० हजार एकड़ में यह काम हो जायगा और अगले साल का टार्गेट हमने ३ लाख एकड़ का रखा है ।

अध्यक्ष महोदय, यह काम ऐसा है कि पूरे सूबे में कवर करने के लिए अभी ५० वर्ष का समय लग जायगा । यह काम ऐसा है जो हमेशा होते रहना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं और यह फिर दोहराता हूं कि आपसे निवेदन है कि आप अपने रचनामत्क सुझाव दें, जो कमियां हैं उनको बतायें । खेती से संबंधित जो लोग हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका काम निहायत संतोषजनक रहा है, लेकिन फिर भी बेहतर काम के लिए और गुंजायश रहती है, हमें और तेजी से काम करना है । मैं चाहता हूं नुक्ताचीनी हो, मगर वह रचनामक हो, अगर कुछ सुझाव भी आयेंगे, तो मुझे खुशी होगी । बिना आप सब के कोआप-रेशन के, कृषि विभाग अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता । इतना कह कर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं ।

श्री उग्रसेन—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । जब माननीय कृषि मंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे तो माननीय अध्यक्ष बीच में ही उठ कर चले गये । मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि क्या बीच से उठ कर वे जा सकते हैं, यह असंसदीय परम्परा है ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री उग्रसेन—

तो हमारी भावनायें उन तक पहुंचा दीजिएगा ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये है उनके संबंध में मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदानों के अधीन मांगों की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो इतना लम्बा भाषण दिया उसको मैंने बड़े गौर से सुना । माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रारंभ में ही यह शब्द कहे कि अब कृषि विकास की आव-श्यकता महसूस हुई है जबकि खाद्यान्न के मूल्य इतने बढ़े हैं। श्रीमन् इन शब्दों से आभास होता है कि कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए हमारी सरकार अब तक ऐसी चिन्तित नही थी,

[श्री राजेन्द्रसिंह]

जिससे कि सन् १९४७ की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और सन् १९६१ तक इसी प्रकार की कोई आवश्यकता महसूस की जाती। कृषि का महत्व सर्वविदित है। उसका महत्व प्रत्येक देश में एकरूप है। वह हमारे जीवन का प्राण है। कृषि उत्पादन की उन्नति और घटोत्तरी जो है, वह हमारे आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बद्ध है। यदि हम कृषि के उत्पादन में तुलनात्मक दृष्टि से नहीं बढ़ पाये, तो कोई भी अर्थ व्यवस्था, कोई भी विकास योजना, इस विकास के युग में टिक नहीं सकती। वह निश्चित ही असफल हो जायगी।

श्रीमन्, हमको कृषि उत्पादन का विकास इस दृष्टि से करना चाहिए कि जो हमारे कृषि पर श्रमिक वर्ग लगा हुआ है, उसका प्रतिशत घटे। यदि आप विश्व की जन गणना के आंकड़े देखें तो पायेंगे १९५० में १०० व्यक्तियों में से जहां १३ व्यक्ति कार्य करते थे, वहां १९६४ में १३ व्यक्तियों के बजाय ८ रह गये। अर्थात् कृषि का वह भार, उसका, वह कम हुआ। इसके साथ ही हमारे उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है। इसके लिए कृषि का विकास आवश्यक है। इसके अलावा जो कृषि से बाहर काम कर रहे हैं, उद्योग, नौकरी इत्यादि में, उनके विकास के लिए भी कृषि की वृद्धि परम आवश्यक है। एक तरफ देखें कि जो हमारे कारखाने की उत्पादन क्षमता है, उस क्षमता का ५० से ७५ प्रतिशत वे आज उत्पादन कर रहे हैं, जहां उनका मुख्य कारण यह है कि उनके पास बाजार नहीं है। ८७ प्रतिशत जनता जो हमारी देहात में रहती है, उसमें क्रय शक्ति नहीं है, और वह इसलिए नहीं है कि खेती का व्यवसाय जो है, वह एक अत्यन्त घाटे का व्यवसाय बना हुआ है। यदि हमने कृषि के उत्पादन को एक बार बढ़ा लिया तो बाकी समस्त जो पहलू हैं, आर्थिक विकास के, वे अपने आप विकसित होंगे। जब तक कृषि घाटे में होती है, तब तक हम अन्य विकास नहीं कर सकते। अगर कृषि का उत्पादन बढ़ता है, तो प्रति एकड़ रकबा बढ़ेगा। यदि रकबा बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा और क्रय शक्ति बढ़ेगी तथा बाजार बढ़ेगा। इसी प्रकार से हमारे उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे। यह सर्वतोन्मुखी विकास का सर्किल जो है, वह अपने आप ही बढ़ता जायगा। यदि आप इस ओर ध्यान दें और देखें कि कृषि उत्पादन की वृद्धि जो अत्यन्त आव यक थी, जिसका कृषि मंत्री जी ने बयान किया कि इसकी ओर अब आवश्यकता महसूस हुई है, जब १९६४ से अन्न की कमी हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह आवश्यकता जो आज १९६४ में माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा महसूस हुई है, कदाचित् यह प्रारम्भ में महसूस हो जाती, तो बजट में उस प्रकार का प्राविधान प्रारम्भ में ही किया जाता। उसके अनुसार ही धनराशि नियुक्त की जाती, तो शायद वह सन् १९६४ का दिन न देखना पड़ता। श्रीमन् १९५०–५१ के बजट को देखें, जहां पर १ करोड़, ७१ लाख, ६४ हजार, ४७४ का प्राविधान है कृषि पर, वहां पर आज केवल १३ लाख, १३ हजार हुआ। इसी प्रकार से १९५४–५५ में १ करोड़, ८० लाख का प्राविधान था, जिसमें कि कृषि शिक्षा पर १२ लाख ७ हजार है। सन् १९५८–५९ में कृषि पर कुल व्यय २,८९,८४,००० रु० है तो कृषि शिक्षा पर व्यय १३,९२,०३६ रु० है। सन् १९६१–६२ में ४,८१,००,००० रु० कृषि पर व्यय है तो कृषि शिक्षा पर १५ लाख ९ हजार रु० व्यय हुआ है। सन् १९६३–६४ में कृषि पर कुल व्यय ६,२३,८३,००० रु० हुआ और कृषि शिक्षा पर व्यय १५,६३,००० रु० हुआ। सन् १९६४–६५ में जब यह आवश्यकता महसूस हुई और हम अपनी सरकार और माननीय मंत्री जी से आशा करते थे कि कृषि का बजट दुगुना कर दिया जावेगा, परन्तु प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए इसका हमें अभाव दिखाई दिया है। सन् १९६४–६५ में जो ७,७७,३५,००० रु० कृषि पर व्यय है, कृषि शिक्षा पर व्यय १६,६६,००० रु० रक्खा गया। इसी तरह अब १९६५–६६ में जब कृषि पर कुल व्यय ८,७२,४९,००० रु० रक्खा गया तो कृषि शिक्षा पर व्यय १६,५३,५००, रु० रक्खा गया है।

भारत में ही अन्य प्रांतों की तुलना में हम बजट को देखें तो उत्तर प्रदेश के ६२–६३ के बजट में कृषि पर ५०८·४२ रु० रक्खा गया जबकि कुल बजट १८,८१०·०६ था और पश्चिमी

बंगाल में कुल बजट ११,१८८.८८ था तो कृषि पर व्यय ७७०.६३ था। हम कहते हैं कि हमारी उपज बढ़े, परन्तु इन आंकड़ों को देखकर क्या हम नहीं कह सकते कि हमारा ध्यान कृषि के विकास की ओर नहीं रहा ? छोटे से प्रांत पश्चिमी बंगाल के मुकाबले में हमारे प्रदेश में कृषि पर व्यय कम है। इसी का परिणाम यह हुआ कि भारत को विदेशों से अन्न मंगाना पड़ा है। भारत के कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत में आयात अन्न १९५१ में ४.७ मिलियन टन था, १९६० में ५.१३८ मिलियन टन और १९६३ में ४.५३६ मिलियन टन था। श्रीमन् एक पहलू तो यह रहा कि हमारे बजट में प्रारम्भ से ही कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया जो कि दिया जाना चाहिए था।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ भी धन दिया गया है और जितना भी प्राविधान बजट में किया गया है उससे भी महसूस होता है कि समुचित रूप में उसका भी प्रयोग नहीं हो पाया है। श्रीमन्, कृषि की जाने वाली भूमि भी प्रतिवर्ष बढ़ती रही है, परन्तु उस अनुपात से पैदावार में वृद्धि नहीं हुई है। जैसा कि आंकड़ों से मालूम होता है कि १९५०-५१ में कृषि की जाने वाली भूमि ९०,१८,५४२ एकड़ थी और १९६१-६२ में वही ४,११,७५,१७६ एकड़ हुई और वही १९६२-६३में ४,११,२१,२०२ एकड़ रही, परन्तु उत्पादन देखा जाय तो वह उसी अनुपात से नहीं बढ़ा है जैसा कि उन वर्षों के अन्न उत्पादन के आंकड़ों से पता चलता है ---५०-५१ के कुल उत्पादन १,१५,८८,६१६ टन हुआ, जिसमें गेंहूं २६,७८,१३८ टन हुआ और चना १४,३०,७८४ टन हुआ। १९५५-५६ में कुल अन्न उत्पादन १,१६,६७,३२३ टन, गेहूं ३२,८३,९९३ टन और चना १७,७४,८०१ टन हुआ। १९६३-६४ में कुल अन्न उत्पादन १,१६,१९,९३९ टन और गेहूं जिसमें २६,९१,८९२ टन और चना १४,१८,०३१ टन हुआ। वैसे देखें तो उत्पादन के योग्य भूमि बमुकाबले ५०-५१ के चौगुनी हो गई, परन्तु उत्पादन वहीं का वहीं रहा है। क्या जिस अनुपात में कृषि योग्य भूमि बढ़ी है उतना उत्पादन बढ़ा है ? अगर और प्रांतों से भी तुलना करें। आपको मालूम होगा कि मद्रास में चावल की फसल १,२७५ पौंड प्रति एकड़ होती है जब कि हमारे यहां ५७५ पौंड प्रति एकड़ है। पंजाब में गेंहूं ९०७ पौंड प्रति एकड़ होता है, हमारे यहां १०७ पौंड प्रति एकड़ होता है। पंजाब में मक्का १,१२६ पौंड प्रति एकड़ होती है जबकि हमारे यहां ६९४ पौंड प्रति एकड़ होती है। श्रीमन्, इस घटती हुई प्रति एकड़ उपज का क्या कारण है ? मैं इसका मूल कारण यही समझता हूं कि जिस समय योजनायें बनाई जाती हैं उस समय लक्ष्य ऊपर से ही निर्धारित कर दिये जाते हैं। जब योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए रीति नीति निर्धारित की जाती है, किसानों और कृषि दोनों को दुर्लक्ष्य किया जाता है, व्यावहारिक नीति नहीं अपनायी जाती।

५ लाख टन नत्रजन खाद और १.२० लाख टन फासफोरस खाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन उसमें से केवल २.४० लाख टन और ०.१९ लाख टन ही हम दे पाये। अपने लक्ष्य के केवल ४२ प्रति की ही हम पूर्ति कर पाये। ६४-६५ में उन्नति शील खेती का लक्ष्य था १०३ लाख एकड़ भूमि पर करने का जिसमें से केवल ६७ लाख एकड़ भूमि में ही खेती की गयी।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि खरीफ में हमने वृद्धि की है, लेकिन रबी में इसलिए नहीं कर पाये कि मौसम खराब रहा। मैं मौसम को फसल के खराब होने का एक कारण मानता हूं, लेकिन एकमेव कारण नहीं मानता। खरीफ की फसल को जिसने बीज, खाद और पानी की आवश्यकता होती है उतनी रबी को नहीं होती। रबी में कृषि विभाग का उतना विशेष कार्य

[श्री राजेन्द्रसिंह]

नहीं होता जितना कि खरीफ में होता है । जो कार्य कृषि विभाग द्वारा हुआ है उसको अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि--

		लक्ष्य	पूर्ति (क्विंटलों में)
१--शुद्ध बीज की मात्रा जो खंड बीज सहायकों में वितरित किया गया	खरीफ ..	३,९४९	२,९०४
	रबी ..	११,७०२	४
२--शुद्ध बीज की मात्रा जो ग्राम बीज सहायकों में वितरित किया गया	खरीफ ..	१९,४४९	१८,६३९
	रबी	४,६८०	१५०
३--मात्रा शुद्ध बीज जो ग्राम बीज सहायकों में बढ़ाया	खरीफ ..	३,७४,२४४	२२,१२५
	रबी ..	६,१४,०१९	१,३२,७८५
४--मात्रा शुद्ध बीज जो ग्राम सहायकों ने दूसरे किसानों से बीज लेकर बदलो में दिया	खरीफ ..	२,७२,७९६	४५,२२६
	रबी ..	४,४५,२०९	२७,९३६

यदि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे तो उनको मालूम होगा कि खरीफ के पैदावार के कम होने में विभाग की निष्क्रियता भी मुख्य कारण है। क्योंकि खरीफ की फसल को ही बीज पानी और खाद की अधिक आवश्यकता पड़ती है।

इसके अलावा मेरी व्यक्तिगत राय में एक कारण और भी है हमारे इस पिछड़ेपन का। हमारे विभाग में ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिनको केवल किताबी ज्ञान है और वह भी विदेशी पद्धतियों के अनुसार सीखे हुए हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि खेती एक बायलाजीकल प्रोसेस है, उसके लिए हर एक कर्मचारी के हृदय में जिस प्रकार की भावनायें चाहिए, उनका अभाव है। इस ओर भी हमें देखना होगा। प्रत्येक कर्मचारी का उद्देश्य केवल नौकरी करने मात्र तक ही सीमित रहे तो कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। माननीय मंत्री जी ने इस बात की ओर संकेत किया कि कृषि संबंधी नीति केंद्र से ही निर्धारित होती है। मेरा ऐसा खयाल है कि वहां के योजना आयोग में बैठने वाले जो प्रमुख लोग हैं उनमें कोई कृषि विशेषज्ञ नहीं हैं। उन लोगों को इस राज्य के विविध भागों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस राज्य के समस्त जिलों की आवश्यकतायें एक ही प्रकार की नहीं हैं। चूंकि उनको इसका कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है इसीलिए उनके द्वारा कृषि संबंधी गलत नीति निर्धारित की जाती है।

इसके अलावा जिन नेतागण द्वारा यह योजना प्रारम्भिक रूप में प्रारंभ की गयी, उनके मस्तिष्क में इस देश की संस्कृति और इस देश की वास्तविकता के बारे में सही परिकल्पना नहीं थी। कृषि के प्रति अत्यन्त गलत धारणायें हैं। पंडित नेहरू जी के ये शब्द हैं "भारतवर्ष में कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक उन्नति का पूरा लाभ उठाना है। लेकिन यह तब तक संभव नहीं जब तक भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। इन पर कोई भी वैज्ञानिक पद्धति कैसे अपनायी जा सकती है। सहकारिता की आवश्यकता है। छोटे कृषकों के लिए एक मात्र उचित मार्ग सहकारी खेती ही है।"

सहकारी खेती जैसी परिकल्पना जिस देश के शासनकर्ता के दिमाग में घर कर गयी हो, उस देश में कृषि का विकास कदापि नहीं हो सकता। सहकारी खेती के जो परिणाम है

उससे स्पष्ट है कि उसमें उत्पादन घटा ही है। सन् १९६०-६१ में ८२,५८३ एकड़ भूमि में खेती हुई जबकि उत्पादन ३ लाख ५९ हजार रुपये का हुआ। सन् ६१-६२ में ९६,२०९ एकड़ में खेती हुई जबकि उत्पादन ९३,०७० रुपये का हुआ, ६२-६३ में १ लाख दस हजार एकड़ भूमि में खेती हुई और उत्पादन हुआ ६४ लाख रुपये का, अर्थात् ५२ रुपया प्रति एकड़ उत्पादन हुआ। यह कानसेप्ट आपने विदेशों से लिया है, रूस से लिया है, वहां भी सरकारी सेक्टर की औसत पैदावार ७.१ और प्राइवेट सेक्टर में ११.६ है। सरकारी सेक्टर में भूमि अधिक और उत्पादन कम और प्राइवेट सेक्टर में भूमि कम और उत्पादन अधिक। कृषि से प्रति व्यक्ति आय ५०० रुपया है जब कि खानों और कारखानों से १,७०० रुपया। यह अन्तर निश्चित ही योजना और गलत नीतियों के कारण है। मेरा यह निश्चित मत है कि सहकारी खेती के नारे जो लगाये जाते हैं इनको बिलकुल वापस लिया जाय क्योंकि इससे निश्चित है कि पैदावार कम हुई है और कम होगी। नीति किसान के हित में निर्धारित नहीं होती इसीलिए कृषि में लगे हुए प्रति व्यक्ति की आय इतनी कम है और इस प्रकार कृषि व्यवसाय के साथ घाटे का दुश्चक्र चलता रहता है। यह सब सरकार द्वारा गलत नीतियां निर्धारित करने का फल है। मूल्यों में भी गलत नीति ही निर्धारित की जाती है जो किसानों के हित में नहीं होती और इस प्रकार कृषि व्यवसाय आज घाटे का व्यवसाय बना हुआ है और इसीलिए इस व्यवसाय में कोई रुचि नहीं दिखाता। जब से अन्न के भाव में कुछ तेजी आयी है तब से किसान भी उधर कुछ विशेष रुचि दिखाने लगे हैं और आशा है कि इससे निश्चित रूप से कृषि उत्पादन बढ़ेगा। जब तक उसका उत्पादन प्रति एकड़ न बढ़े तब तक उसकी रुचि, क्रय शक्ति, समाज में नहीं बढ़ सकती और जब तक कृषक की स्थिति नहीं बढ़ सकती तब तक किसी भी आर्थिक विकास की परिकल्पना करना ही एक भूल होगी।

३० वर्षों के अन्तर को यदि देखा जाय तो प्रति व्यक्ति जो कृषक भूमि थी, प्रदेश में पैदा करती हुई खेती का रकबा बढ़ने पर भी, वह घटी है। जहां १९५१ में १०९ सेंट्स प्रति व्यक्ति थी, वह १९५१ में २४ सेंट्स प्रति व्यक्ति कृषक भूमि रह गयी। इन सब कमियों के लिए एक ही रास्ता है और वह है कि हम सघन खेती के द्वारा प्रति एकड़ उपज बढ़ायें तथा कृषक की स्थिति को सुधारें। अगर हमने इस मार्ग में सफलता पा ली तो अन्य सभी विकास के पहलुओं का विकास स्वतः होगा। और जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं, मुख्यतः इसी दृष्टि से जब तक नहीं बनाये जायेंगे, कृषि और कृषक का ध्यान नहीं रखा जायगा तब तक प्रति एकड़ उपज बढ़ना सम्भव नहीं होगा। मैं समझता हूं कि कृषि और कृषक की उन्नति के लिए प्रति एकड़ उपज की वृद्धि के लिए, सघन खेती के लिए, प्राविधिक और सांस्थिक दो पहलू हैं। प्राविधिक पहलू से मेरा मतलब है कि खेती में उपज बढ़ाने के लिए कौन-कौन से साधन अपनाये जायं, विधियां अपनायी जायं और उनसे अधिक मात्रा में, कम से कम समय में तथा कम से कम पूंजी के द्वारा कितना लाभ उठाया जा सकता है? मन्त्री जी ने बताया कि हमारे प्रदेश में ३४ कृषि विद्यालय हैं, पर इनमें से शायद बहुत ही कम ऐसे होंगे जो देहातों में स्थित होंगे।...

श्री चरणसिंह—

मैंने २४, २५ कहा था।

श्री राजेन्द्रसिंह—

तो उन २४ में से अधिकतर भी कृषि विद्यालय शहरी क्षेत्रों में हैं। मेरा सुझाव है कि अब जो भी कृषि विद्यालय खोला जाय, मैं चाहता हूं कि अधिक खोले जायं, तो वह पहले उन भागों में खोले जायं, जहां कृषि विद्यालय नहीं है और केवल देहाती क्षेत्र में खोले जायं।

श्री चरणसिंह—

हम तो नहीं खोलना चाहते। प्राइवेट लोग खोलना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

अनुदान तो देते हैं, विश्वविद्यालय को इस तरह के इन्स्ट्रक्शन्स दे सकते हैं। और उन विद्यालयों को रिसर्च का काम अधिक से अधिक दिया जाय।

दूसरा सुझाव यह है कि जहां तक सम्भव हो वहां तक विभाग में कर्मचारियों का चयन करते समय उन कृषि ग्रेजुएट्स को प्रिफरेंस दिया जाय जो कृषक के परिवार से आते हों, जिन्हें देहाती वातावरण का ज्ञान हो।

इसके अलावा सिंचाई कार्य अत्यन्त आवश्यक है। यद्यपि यह काम कृषि विभाग के पास नहीं है, परन्तु फिर भी आवश्यक है कि कृषि उत्पादन के लिए छोटी सिंचाई योजनाओं का ऐसा जाल फैलाया जाय कि एक भी एकड़ जमीन असिंचित न रहने पाये। बड़ी योजनाओं से काम नहीं चलेगा। छोटी योजनाओं में जहां ९५ फी सदी पानी का उपयोग होता है वहां बड़ी योजनाओं से केवल ५५ फी सदी का ही उपयोग किसान कर पाते हैं। इस लिये मैं चाहता हूं कि छोटी योजनाओं पर अधिक जोर दिया जाय, क्योंकि यह योजनायें किसान के कन्ट्रोल में भी होती हैं।

जहां तक बीज, खाद और औजारों के प्रदान किये जाने तथा उनका उपयोग किये जाने का प्रश्न है, किसान में जागरूकता उत्पन्न करने का काम अब भी हमारे यहां बहुत पिछड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देकर जो नये तौर तरीके रिसर्च के द्वारा निकाले जा रहे हैं उन को शीघ्रता पूर्वक किसान तक पहुंचाया जाय, उनका उपयोग उन्हें सिखाया जाय और उन के प्रति जागरूकता पैदा की जाय। हरी खाद केवल १०३ लाख एकड़ में लगायी गयी है। मेरा इस सम्बन्ध में व्यवहारिक ज्ञान भी है। मैं अपने खेतों में देखता हूं कि रबी का जो रकबा होता है, उस में हरी खाद बो दी जाती है और फिर जमीन पलट दी जाती है। तो मेरा सुझाव है कि प्रदेश में जो रबी की भूमि है उस में हरी खाद का बोना अनिवार्य कर दिया जाय या इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाय कि कृषक अपने समस्त खेतों में हरी खाद बोयें। दूसरे, हमारे प्रदेश में गोबर की खाद का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि इस में से ५० प्रतिशत की उपले बन जाते हैं। अतः इसके लिए आप को किसान में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, अभी ३ मिनट मुझे और बोलने दीजिये।

श्री चरणसिंह—

उसके सामने सवाल है ईंधन का।

श्री राजेन्द्रसिंह—

जो फसल मूंग वगैरह की मई और जून में बोयी जाती है, उस के सम्बन्ध में जो अन्वेषण किया गया है वह किसानों के पास तक नहीं पहुंच पाया है। कृषि के यन्त्रों का प्रयोग भी अभी तक किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। अभी तक ब्लाकों में ही कृषि इन्जीनियरिंग की सुविधायें प्राप्त हैं। इसलिए साधारणतया कृषि यन्त्रों का प्रयोग करने में किसान झिझक रहा है।

कृषि और कृषक दोनों का पशु से बड़ा गहरा सम्बन्ध है, कृषि की दृष्टि से। इस प्रदेश में २७ चिकित्सालय हैं और ७५ स्टाकमैन सेन्टर्स हैं। ये बहुत कम हैं। उन के स्थान पर २० हजार ग्रामीणों की आबादी पर एक स्टाकमैन का लक्ष्य निर्धारित हो और इस ओर तुरन्त कार्यवाही की जाय जिससे पशुओं की दशा में सुधार हो सके। हमारे प्रदेश में लैन्ड रिफार्म्स

भी काफी मात्रा में हुये हैं। यह कार्य अन्य प्रदेशों में इतना नहीं हो पाया है। दूसरे सन् १९६२ में कृषि पर ब्याज की दर ५ प्रतिशत थी वह १९६३ में ८ ३/४ हो गयी है। मैं चाहता हूं कि ब्याज की दर घटायी जाय।

इसके अलावा आज किसान सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में परेशान है। उसके लिए यद्यपि यह सीधे-सीधे कृषि विभाग से सम्बन्ध होना चाहिये। पर सभी विभागों से इसका समन्वय है, जैसे लेखपाल, अमीन, पतरौल, ग्राम सेवक, पंचायत सेक्रेटरी, टयूब वेल आपरेटर वगैरह। मेरे विचार में एक लम्बे चौड़े ग्राम के क्षेत्र में एक ग्राम सेवक रखा जाय और इस प्रकार से उसके द्वारा समन्वयता की एजेंसी डेवलप की जाय ताकि प्रत्येक गांव सभा पर एक कर्मचारी रहे और वह ही पूरा काम काज देखे और उस सीमित क्षेत्र के कार्य का निर्वहन करे। यह काफी समय लेगा पर मैं चाहूंगा कि इस पर भी सोच विचार कर के संगठन बनाया जाय।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि माननीय कृषि मन्त्री को इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए बधाई दूं। माननीय कृषि मन्त्री हमारे प्रदेश के उन इने गिने व्यक्तियों में हैं जिनका सारा जीवन सार्वजनिक सेवा में ही व्यतीत हुआ है। कृषि ऐसा विषय है जिसकी तरफ सारे देश का ध्यान विशेषकर गया है ताकि कृषि का उत्पादन बढ़ सके। यदि हम कृषि में उत्पादन नहीं बढ़ा सके तो क्या स्थिति होने वाली है, यह समस्या आज हम सबके समक्ष विकराल रूप से उपस्थित है। कैसे उत्पादन बढ़े, यह सब नेताओं के सामने, हाई कमान्ड के सामने, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के सामने विचारणीय प्रश्न है। माननीय कृषि मंत्री स्वयं इस पश्न पर गम्भीरता से विचार करते हैं और करते रहेंगे, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। हम सब लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय ?

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सम्बन्ध में, मेरे भी कुछ सुझाव हैं और मैं आशा करता हूं कि मन्त्रिमण्डल और विशेष कर माननीय मुख्य मन्त्री इस पर विचार करेंगी। आज जिस तरह से विभागों का वितरण किया गया है वह असंगत है। कृषि के साथ सिंचाई, बिजली, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता का बहुत ही निकट सम्बन्ध है। आश्चर्य यह है कि कृषि के साथ हमने पशुपालन लगा दिया है, लेकिन बिजली तथा सिंचाई को अलग कर दिया है। गन्ना विभाग दूसरे मन्त्री को दे दिया गया है। बीज भंडार कृषि तथा सहकारिता विभाग दोनों के नियन्त्रण में हैं, दोनों विभागों से बीज वितरित किया जाता है। सिंचाई के बहुत से कार्यक्रम सामुदायिक विकास के अन्तर्गत चले गये हैं और बिजली दूसरा विभाग कन्ट्रोल करता है। नतीजा यह होता है कि अगर सिंचाई विभाग अथवा सामुदायिक विभाग कोई टयूबवेल बनाता है तो उसे बिजली बहुत दिनों तक नहीं मिलती है। इस सब का एक ही नतीजा निकलता है कि आप के कोआर्डिनेशन की कमी के कारण जो हमारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति नहीं होती है। माननीय मन्त्री महोदय ने बतलाया है कि हम भी उसे स्वीकार करते हैं कि कई मानों में बढ़ोत्तरी हुई है। हम लोगों को पैम्फलेट्स दिये गये हैं उनसे मालूम होता है कि हम ने सिंचाई में, बिजली में काफी उन्नति की है। चारों तरफ जिधर नजर डालिये उधर उन्नति दृष्टिगोचर होती है, लेकिन विभागों में आपस के कोआर्डिनेशन न होने से अर्थात् एक विभाग का नियंत्रण एक मन्त्री के हाथ में और उसी के दूसरे अंग का नियंत्रण दूसरे मन्त्री के हाथ में होने से जिस लक्ष्य की प्राप्ति की हम आशा करते थे उसकी पूर्ति नहीं हो सकी है। मुझे भरोसा है कि माननीय मुख्य मन्त्री जो इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करेंगी। अगर लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है और अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ता है तो फिर समस्या उसी प्रकार हल होने वाली नहीं है।

एक सदस्य—

श्रीमन् कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बृजबिहारी—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपना अभिप्राय आपके द्वारा निवेदन किया और मैं आशा करता हूं कि माननीया मुख्य मन्त्री जी उस पर अवश्य विचार करेंगी ।

मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आजमगढ़ जिले में भी भूमि संरक्षण योजना लागू कर दी है और ऊसर रिक्लेमेशन के लिए एक अधिकारी को नियुक्त भी कर दिया है । मैं भी भूमि संरक्षण बोर्ड का सदस्य हूं । मैंने उनका पता लगाने की कोशिश की, किन्तु अधिकारी कहां हैं, इसका पता नहीं लग सका । उन्हें इतना मौका नहीं मिला कि वे मुझसे मिलते और अपनी योजना से मुझे अवगत कराते । जब इन अधिकारियों का यह व्यवहार है हम लोगों के साथ तो जनता के साथ यह क्या सम्पर्क रखते होंगे ? हमारे जिले में १३,००० एकड़ में धान के खेतों में कीड़े लग गये थे । जिले के प्लान्ट प्रोटेक्शन अधिकारी के साथ मैंने दौरा किया था । धान के खेत बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गये थे । उन्होंने भी काफी प्रयास किया लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं थी । एक बहुत पुरानी गाड़ी थी । मैं उनसे दौरे पर चलने के लिए कहता था लेकिन वे असमर्थ थे क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं थी, उनके पास फोन की भी कोई व्यवस्था नहीं है । अगर जिलों में आप ऐसे अधिकारियों को साधन नहीं देंगे तो वे कुछ काम नहीं कर सकेंगे । मेरा यह सुझाव है कि इन अधिकारियों को साधन उपलब्ध कराये जायें जिस से वे समय पर पहुंच कर दवा इत्यादि का वितरण कर सकें ।

मुझे यह सुनकर आश्चर्य तथा दुःख हुआ कि धान में कुसिया रोग होता है जिस से सारे धान के खेत जल जाते हैं । उसके लिए मुझे बताया गया कि अभी तक इस रोग की कोई औषधि नहीं निकल सकी है । आपके विभाग में वैज्ञानिक शोध भी हो रहे हैं, इस रोग से लाखों एकड़ धान के खेतों को क्षति पहुंचती है । उसका निदान अभी तक नहीं निकल सका है ।

मैं कृषि के सम्बन्ध में दो तीन बातें और कहना चाहता हूं । सहकारिता विभाग की तरफ से किसानों को ऋण दिया जाता है । इस में निश्चित कर दिया है कि जो कर्जा ले, उस को २५ या ३० प्रतिशत खाद लेनी होगी । इस में कोई आपत्ति नहीं है कि किसानों को खाद दी जाय । हर किसान को खाद लेनी चाहिये, लेकिन उस की आवश्यकतानुसार उसको खाद दी जानी चाहिये । यदि उस के पास खेत ज्यादा हैं तो ५० प्रतिशत तक खाद उसको दे दी जाय । अगर खेत कम हैं तो ५ प्रतिशत दी जाय । उसको जमीन की आवश्यकतानुसार खाद मिलनी चाहिये । ऐसा न करें कि प्रत्येक को २५ प्रतिशत खाद लेना ही पड़ेगा । इस-का नतीजा यह होता है कि वहां भी भ्रष्टाचार होता है । जिस को जरूरत है कम खाद की, उस को दी गयी २५ प्रतिशत खाद । वह अधिक खाद का क्या करेगा ? दूसरे लोग उससे आधे दामों पर वह खाद खरीद लेंगे । २० रुपये की खाद के १५ और १० रुपये उसे देंगे और उसे बाध्य होकर उसे बेचना भी पड़ेगा । उसकी भी आप को व्यवस्था करनी है, जितनी खाद की उसको आवश्यकता हो उतनी ही खाद उसे देना चाहिये । खाद देना अवश्य चाहिये । लेकिन उसी अनुपात में देना चाहिये जितनी उस को जरूरत है । दूसरी बात मैं जो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वह एक गम्भीर बात है जो बीज भण्डार के सम्बन्ध में है । आपके जो बीज भण्डार हैं उन की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है । हमारे यहां भी आप का एक बीज भण्डार ग्राम कमल सागर में है, वहां एक आदमी ने २०—२५ सेर बीज लिया और उसके नाम १२ मन बीज लिख दिया गया । इस गड़बड़ी के बारे में उसने मुझसे कई बार कहा । मैंने वहां के असिस्टेंट रजिस्ट्रार से तथा अन्य अधिकारियों से इस बारे में कई बार कहा । उस आदमी ने इसके लिए कई दरख्वास्तें दीं, लेकिन कुछ फल नहीं हुआ और उस से बराबर वसूली का प्रयास होता है । यह १० वर्ष की बात है । जो २० सेर ले और उसे १२ मन देना पड़े,

उसकी क्या हालत होगी ? आप स्वयं विचार करें। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसा नियम बनायें, कड़ाई करें, कड़ाई भी हो रही है, लेकिन थोड़ी और कड़ाई करें ताकि ऐसी बुराइयां न होने पायें,। इन शब्दों के साथ मैं पुनः मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वह मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय चौधरी साहब ने जो अपना भाषण दिया, उसमें मैं बहुत बातों से इत्तफाक करता हूं। जैसे कि उन्होंने कहा हिन्दुस्तान के अन्दर काश्तकारी को बढ़ाने के लिए ज्यादा दिक्कतें बमुकाबिले अन्य देशों के, जैसे अमेरिका आदि। अगर हम हिन्दुस्तान का अमेरिका से मुकाबला करने लगें और यह सोचने लगें कि जो तरीका अमेरिका वाले इस्तेमाल करते हैं या रूस इस्तेमाल करते हैं या जापान वाले करते हैं, वही तरीका इस्तेमाल करके हिन्दुस्तान की भी पैदावार बढ़ा लेंगे, तो यह नादानी की बात होगी। हिन्दुस्तान की पैदावार को बढ़ाने के लिए सब से बड़ी चीज मौसम की है। इस लिये यहां की पैदावार कैसे बढ़े? जबकि आजकल यह सभी जानते हैं और देखते है कि हमारी मर्दुमशुमारी १७ प्रतिशत बढ़ गयी और पैदावार के जो आंकड़े हैं जैसा कि इन किताबों में दिया गया है। गेहूं की पैदावार सन् १९५५–५६ में ३० सौ ९० लाख टन थी और अब १९६४–६५ में पाले आदि के कारण २६ लाख टन रह गयी। तो पैदावार घट गयी। इस तरह चने की पैदावार भी घटी है। जो पहले १४६६ लाख टन थी, वह अब १४२४ लाख टन पर रह गयी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सीरियल्स इस वक्त पर जबकि खाने वाले बढ़े हैं, घटी हैं। दूसरी तरफ कैश क्राप्स आलू, गन्ने आदि में हमारी बढ़ोत्तरी हुई है। इसे हमें बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा। इस वक्त जब हमें जरूरत है गेहूं, चना, दालें आदि के बढ़ाने की, उस समय चीनी, आलू, व तम्बाकू वगैरह की उपज बढ़ रही है।

इसमें सन्देह नहीं है कि, सभी जानते हैं कि काश्तकारी में कोई भी चीज बढ़ाने के लिए अदि कोई खास चीज है तो वह है मौसम। मौसम माफिक होगा, तो पैदावार अच्छी होगी। उसके बाद आबपाशी, बीज और औजारों वगैरह का नम्बर इसके बाद आता है। मौसम हमारे बश की चीज नहीं है। लेकिन जब हम दूसरी चीजों की तरफ चलते हैं, जैसे कि आबपाशी है, तो उसमें ही हम देखते हैं कि हम आबपाशी को उतनी तरक्की नहीं दे पाये जितना हम देना चाहते थे, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब यह समझते थे कि चौधरी साहब ने सिर्फ कृषि का बजट पेश करेंगे बल्कि इर्रीगेशन की जिम्मेदारी भी उन पर आयेगी, लेकिन इस प्रदेश की बदकिस्मती है कि वह नहीं हुआ। वगैर आबपाशी के पैदावार का बढ़ना गैरमुमकिन है। आज हम देखते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होने जा रही है, आखिरी साल है, लेकिन यह जो किताब हमें दी गयी है, उसके मुताबिक कुल ३१.१ फीसदी जमीन ही सिंच पाती है और ७० फी सदी जमीन बिना पानी के है। तो फिर पैदावार कैसे बढ़ेगी इसको गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये? हम जब यह देखते हैं कि इर्रीगेशन का हमारा लक्ष्य क्या था, उसकी क्या हालत है तो हमें अफसोस होता है? १९६४–६५ में कुयें बनने चाहिये थे ५१,२४६, लेकिन अब तक हम बना पाये सिर्फ ३३,९९७। कूप मरम्मत होने चाहिये थे २९,६७७, लेकिन हो पाये कुल ६,९४७। बोरिंग होनी चाहिये थी ४२,८७१, कुओं की, कर पाये सिर्फ ९,५४० की। रहट लगने चाहिये थे ४४,०४५, लगा पाये कुल १०,६३८। पम्पिग प्लान्टस लगाने चाहिये थे ५,१२६, लेकिन लगा पाये कुल १,६६४। इस तरीके से इर्रीगेशन की और चीजें हैं, जिनमें हम ३० फी सदी से ज्यादा हम अपन लक्ष्य पर नहीं पहुच पाये। तो समझ में नहीं आता कि आप आखिर किस तरीके से पैदावार को

[श्री रियासत हुसैन]

बढ़ा लेंगे, जब आप इन बुनियादी चीजों को ही नहीं बढ़ा पाये ? मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हू कि आबपाशी की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिये और एक एक इंच जमीन सरकार अपनी जिम्मेदारी पर आबपाशी के नीचे लाये और उसके लिए आबपाशी का लगान, असली लगान के साथ वसूल हो जाय, यानी चौधरी साहब आबपाशी के खर्चे को ठाकुर साहब के रेवेन्यू के खर्चे के साथ जोड़ कर वसूल कर लें तो किसान को कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि वह समझेगा कि उसकी एक-एक इंच जमीन में चाहे रहट, चाहे ट्यूबवेल, चाहे नहर या किसी भी जरिये से पानी देने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ले ली है। सरकार को चाहिये कि जितनी जल्दी हो सके ब्लाक स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेविल पर इरिगेटेड एरिया को बढ़ावें और एक-एक इंच जमीन को आबपाशी के नीचे लाने के लिए जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। बगैर उसके यह मसला हल होने वाला नहीं है।

अब मैं खाद की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर आप पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो जो किसान कि मुद्दत से काश्त करता चला आया है और पुश्तें जिसकी काश्त पर गुजर गयीं, जिसको बड़ा तजुर्बा है वह जानता है कि किस पैदावार के बढ़ाने के लिए किस चीज की जरूरत है। उसे आप उस्ताद मान लीजिये और उस से पूछिये कि तुम्हें क्या चाहिये ? जो कुछ वह जब मांगे उसे उसी वक्त वह दे दीजिये। जिस वक्त पानी मांगे, पानी दीजिये, बैल मांगे, बैल दीजिये। होता क्या है, एक बैल के लिए दरख्वास्त देता है, लेकिन मंजूर होता है वह ६ महीने, ९ महीने बाद नतीजा हुआ कि वह जोत नहीं पाया। कहीं वह कहता है कि रुपये के लिए दरख्वास्त दी गयी, लेकिन रुपया नहीं मिल पाया। खाद के लिये जब किसान कहता है कि उसको यूरिया चाहिये तो उसको यूरिया नहीं मिलता है। जिस समय उसको सुपरफास्फेट चाहिये तो उसको उस समय वह नहीं मिलता है। कोआपरेटिव वाले कह देते हैं कि जो आया है वही उसको लेना पड़ेगा। अगर उनके पास सुपर-फास्फेट आया है तो किसान को वही लेना पड़ता है। जो खाद जिस समय उसको चाहिये उस समय उसको नहीं मिल पाती है। इसका परिणाम यह होता है कि जब वह उसको अपने काम में नहीं लेता है तो दूसरों को देना पड़ता है और उसको वह पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इस वजह से पैदावार में कोई उसका असर नहीं हो पाता है। आप कोआपरेटिव के जरिये खाद बांटते हैं तो किसानों को वह लेना ही पड़ता है। मैं चाहता हूं कि किसानों को खाद के लिये और औजारों के लिये कर्जा मिले और वह काइन्ड में सवाई पर उसको अदा करे, नकद न दे, लेकिन यह कर्जा किसानों की जरूरियात को देखकर दिया जाना चाहिये। आप किसान से कहते हैं कि १६ नम्बर का हल ले, लेकिन जहां पर ४ इंच से ज्यादा जमीन उपजाऊ नहीं है वहां पर अगर वह हल ५ इंच जमीन ऊपर लाकर रख देता है तो वहां पर वह १६ नम्बर का हल क्या करेगा ? वहां पर तो कोई साधारण रूप से काम करने वाला हल ही काम कर सकता है। किसी भी औजार को काम में लाने के लिये देने के पहले यह देखना चाहिये कि यह किस जमीन में कारामद हो सकता है, किस तरह की वहां पर जमीन है। जिस किस्म के औजार की किसान को जरूरत हो उसी तरह का औजार उस जमीन के लिये उचित दाम पर देना उचित है। किसान तभी पैदावार बढ़ाकर दिखा सकते हैं जब कि सारी सुविधा उसके खेत के अनुसार उसको मिले इस खाद के मामले में मेरा यह सुझाव है कि पंचायत अदालत के लेविल पर आप यह तजुर्बा करें और उन तजुर्बों के द्वारा उन सब पंचायत अदालत के प्रधान और प्रमुखों को बुलाकर आप यह साबित करें कि अगर सुपरफास्फेट इस तरह से इस्तेमाल किया जायगा तो उससे पैदावार बढ़ सकती है। आप किसान को यह बतायें कि यूरिया सुपरफास्फेट कैलशियम नाइट्रेड, पोटैशियम आदि जो ये खाद हैं इनके इस्तेमाल से किस फसल को अधिक लाभ हो सकता है। जितने भी खाद आपके पास हैं उनसे यह साबित करें कि इस तरह से प्रयोग करने पर पैदावार अधिक बढ़ सकती है। अगर वह समझ जायेगा तो फिर वह अपने

आप ही खाद को लेने लगेगा। लेकिन होता क्या है? आपके ए० डी० ओ० एग्रीकल्चर यह तक नहीं जानते हैं, कि कौन खाद किस तरीके से किस मौसम में इस्तेमाल किया जाय तो उससे पैदावार अच्छी हो सकती है। ए० डी० ओ० एग्रिकल्चर एक किसान को एक रास्ता बताता है तो दूसरे को दूसरा रास्ता बताता है। एक से सुपर फास्फेट कहा तो दूसरे के लिये यूरिया बता दिया। मैं यह समझता हूं कि अमोनियम सल्फेट ही एक ऐसा खाद है जो कहीं पर भी डाल दिया जाय तो अपना काम करता है और पैदावार को बढ़ाता है बशर्ते कि पानी अच्छी तरह से उसको मिल जाय। गेहूं में डाल दीजिये तो वहां फायदेमन्द। धान में डाल दीजिये तो वहां पर फायदेमन्द और हर जगह फायदेमन्द वह साबित होता है, लेकिन आज उसको यह खाद नहीं मिल पाती है और न कोआपरेटिव से वह खाद मिल पाती है। कह देते हैं कि सिन्दरी से यह खाद नहीं मिलती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जितने भी आपके खाद हैं उनको आप तजुर्बे के जरिये से किसानों के ऊपर साबित कर दें कि यह खाद इस्तेमाल करने से इतनी पैदावार बढ़ेगी। ऐसा होगा तो यह परेशानी नहीं होगी जो आज सामने आती है। जब किसान रुपया लेता है तो उस समय वह एतराज करता है और खाद नहीं चाहता है तो यह परेशानी हट जायगी।

प्लान्ट प्रोटेक्शन के बारे में चौधरी साहब ने बहुत कुछ कहा। मुझे अफसोस है, पिछले साल भी मैंने जब एग्रीकल्चर के बजट पर तकरीर की थी और उससे पहले भी शायद लिखकर दिया था और कहा था कि मेरे जिले में मटियार जमीन है, उसमें एक बीमारी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि उसका तजुर्बा किया जाय कि यह क्यों पैदा होती है? उस मटियार जमीन में यह बीमारी हो जाती है कि जो गेहूं की बाल तैयार होती है उसकी एक ही बाल के अन्दर ४०, ४२ दाने निकलते हैं। उन दानों में २०,२२ दाने गेहूं के होते हैं और बाकी बाजरे के बराबर काले-काले दाने से निकलते हैं। उसको जैंची कहते हैं। वह वहां पर सारे खेतों में है। जिसमें पानी लगता है उसमें वह ज्यादा होता है। जहां पर पानी नहीं लगता है उसमें नहीं पैदा होता है। किसान की दोनों तरह से मुश्किल है। पानी खेत को दे तब भी मर गया और नहीं पानी दिया तो तब भी मर गया। पानी नहीं खेत को देता है तो वह पैदावार नहीं बढ़ती है और अगर पानी देता है तो खेत में जैंची हो जाती है। दस मन गेहूं में ५ मन जैंची हो गयी। १९५४ से मैं बराबर इस बात को कहता आ रहा हूं लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज हमको नहीं मिला। इस वक्त बालें खड़ी हुई हैं और चौधरी साहब मेहरबानी करके मुरादाबाद के मटियार इलाके में जाकर देखें कि यह बीमारी कैसे दूर की जा सकती है, उसका प्रबन्ध करायें। एक बड़े वेल्ट की पैदावार इसके दूर होने से बढ़ सकती है।

ट्रैक्टर और किसानों के सिलसिले में एक बात और कहूंगा। कर्जा ट्रैक्टर के लिये लेकर किसान खानापूरी कर लेता है। १५,००० रुपया उसे कर्ज मिलता है, वह चार, पांच हजार का ट्रैक्टर ले लेता है और बाकी रुपये का मिसयूज करता है। अगर वही कर्जा छोटे किसानों को बैलों या दूसरी चीजों के लिये दिया जाय, तो उससे ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। कुछ केसेज में जहां ट्रैक्टर जरूरी है वहां आप उसे जरूर दीजिये, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि ट्रैक्टर का लाइसेंस देने के लिये किसान से बोटर नं० मांगा जाता है। आप देखें कि जिला कृषि अधिकारी उसके लिये रेकमेन्ड करता है, ट्रैक्टर ऐजेन्सी अपनी पूरी कार्यवाही करके उसे ट्रैक्टर देती है, कोआपरेटिव बैन्क पूरी तस्दीक करके उसे रुपया देता है, फिर भी अगर वह माइनर है, या औरत है तो उसे इस तरह से हैरस किया जाता है। मैं तो समझता हूं कि देहात के रहने वाले को अगर कोई बीमारी पालनी है तो वह कोई मशीन

[श्री रियासत हुसैन]

खरीद ले और एक बीमारी पाल ले। दूसरे दिन से ही उसे मेकनिक की खोज में दौड़ते रहना पड़ेगा। तराई भावर के लोग तो टेक्निशियन हैं, लेकिन साधारण किसान उसका इस्तेमाल पूरी तरह से फायदे के साथ नहीं कर सकता।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकारी विभागों में कृषि विभाग अपना एक विशेष महत्व रखता है। पिछले सालों तक जिन लोगों की समझ में यह बात स्पष्ट नहीं थी, किन्तु इस साल खाद्यान्न के संकट से स्पष्ट तौर पर यह बात उनकी भी समझ में आ गयी है, इसलिये मैं इस विषय में अधिक नहीं कहूंगा। यह बात सब से पहले कह देना उचित समझता हूं कि कई माननीय सदस्यों के इस कथन से कि जो पैदावार में कमी हुई है उसकी जिम्मेदार केवल सरकार ही है, मैं सहमत नहीं हूं और यह ठीक भी नहीं है क्योंकि सभी जानते है कि वास्तविकता यह है कि कृषि की पैदावार जलवायु पर अधिकांशतः आधारित है। यह बात अपनी जगह पर ठीक है कि कुछ कार्यों में सरकार के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और ऐसी ही बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्रीमन्, आज कल हम योजना के युग से गुजर रहे हैं और आपने बोर्डों पर कहीं कहीं देखा होगा कि "योजना की सिद्धि जनता की समृद्धि।" इसको हम दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि यदि जनता समृद्धिशाली नहीं हुई तो योजना भी सिद्ध नहीं हुई। सरकार से जो पुस्तकें मिलती हैं उनके आधार पर यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति की आय नहीं बढ़ी। यह हमारा प्रमाण है कि जनता समृद्धिशाली नहीं हुई।

(इस समय २ बजकर ३२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

यों तो यह कहा जा सकता है कि आज की योजनाओं में सरकार ने काफी काम किया है। इस साल खाद्य का संकट था। हमारे देश और प्रदेश के प्रत्येक आदमी के चित्त में आशंका थी कि यह साल न मालूम कैसे कटेगा? बड़े-बड़े उपद्रव होंगे, लूटमार होगी, भुखमरी फैल जायगी। परन्तु मैं इस संबंध में सरकार की सराहना करता हूं कि सरकार के कार्य-कलापों से जैसे कि सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने से, इस साल जून के महीने में मक्का और धान की सिंचाई के लिये मुफ्त सिंचाई की घोषणा कर देने से, हरी खाद की फसलों की सिंचाई आधी कर देने से, ऐसे अन्य-अन्य कामों से जो यह साल कट गया, इसका किसी को अनुमान नहीं होता था। मैं कहता हूं कि कोई भुखमरी भी नहीं हुई और शान्ति भी बनी रही। परन्तु योजना के अन्दर जो कमी है उसके संबंध में मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं उसे सरकार के सम्मुख रखूं।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे कि और उद्योग हैं, कृषि का भी एक उद्योग है। इस उद्योग में अपने यहां की एक भारी जन-संख्या, यानी ८७ फीसदी आदमी इसमें लगे हुए हैं। साथ ही साथ जितने देश और प्रदेश के प्राणीमात्र हैं उन सबको सबसे बड़ी और पहली आवश्यकता उसका भोजन है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या जितनी आवश्यकता थी योजनागत उतना रुपया इस विभाग के ऊपर लग गया? मैं कहना चाहता हूं कि नहीं लगाया गया। यदि लगाया जाता तो आज दैवी प्रकोप होते हैं, उन पर न तो सरकार का बस है और न किसान का बस है, लेकिन अनावृष्टि ऐसा दैवी प्रकोप है कि अगर हम सिंचाई का साधन पूरा जुटा देते तो हम सिंचाई के माध्यम से किसी अंश तक अन्न की वृद्धि का समाधान कर सकते थे। लेकिन मुझे खेद है कि सन् १९६३–६४ तक कृषि योग्य भूमि का केवल ३१.१ प्रतिशत तक ही सिंचाई का प्रसार हुआ।]

अब यह देखना चाहिये कि क्या कारण है जिसकी वजह से खाद्यान्न का उत्पादन घटा और कैश-क्राप का उत्पादन बढ़ा है। किसी भी उद्योग में जिस वस्तु के उत्पादन में ज्यादा लाभ होता है उसी तरफ आदमी बढ़ता है। जितना लाभ कैश क्राप में किसान को होता है उतना खाद्यान्न से नहीं। अब इस संबंध में मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठा किये हैं जो मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। श्रीमन्, प्रथम योजना के अन्त में गेहूं की औसत पैदावार ३०.०४ लाख मैट्रिक टन हुआ था और ८ साल बाद वह घट कर २७.३५ ही रह गया। चीनी की पैदावार प्रथम योजना के अन्त में २७.७६ लाख मैट्रिक टन थी, जो १९६३-६४ के अन्त में ४७.५८ लाख मैट्रिक टन हो गयी, यानी दुगुनी बढ़ गयी। तिलहन भी ९.०४ से बढ़कर ११.०१ हो गयी। जूट ०.८४ से बढ़कर १.६ लाख मैट्रिक टन हो गया। इससे पता चलता है कि कैश क्राप का उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता गया जबकि खाद्यान्न का उत्पादन घटा है।

दूसरा कारण खाद्यान्न के उत्पादन घटने का यह है कि किसान के उत्पादन व्यय की ओर ध्यान नहीं दिया गया। और उसके अनुसार चीजों के भाव नियत नहीं किये जाते। जो सरकारी फार्म्स हैं वहां पर प्रतिमन औसत व्यय कितना पड़ता है उसका हिसाब मैंने लगाया है। सात सरकारी फार्म्स हैं भरारी राजकीय फार्म, निबलेट, नीलगांव, मंझरा, माधुरी-कुन्ड, बाबूगढ़, हस्तिनापुर। वहां के सन् १९५१-५२ से १९६०-६१ तक के आंकड़े मैंने इकट्ठा किये हैं। उसके अनुसार मैंने हिसाब लगाया है कि वहां पर प्रति मन औसत व्यय १५ रुपये १३ आना के करीब आता है। इतना व्यय वहां तब आता है जब कि सभी सरकारी सुविधायें हैं। निःशुल्क सिंचाई की भी सुविधा है, वक्त से पानी मिल जाता है, कम्पोज्ड खाद भी मिल जाती है, सवाया बीज का कोई भी प्रश्न नहीं है, हर सुविधा है। इस हिसाब से किसान का उत्पादन व्यय ज्यादा ही होना चाहिये। अगर किसी किसान के लिये यह सब साधन उपलब्ध नहीं हैं तो यह खर्चा और बढ़ जायेगा। तो इस तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान की अगर प्रति एकड़ पैदावार देखी जाय तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार ७ मन २० सेर है। इससे पता चलता है कि फार्मों और किसानों की पैदावार में दगने का फर्क है। यह बात आप मानेंगे कि किसान और फार्मों का उत्पादन व्यय एक एकड़ पर जुताई, बुबाई, सिंचाई आदि में बराबर ही पड़ेगा इसलिये फार्मों की दूनी पैदावार पर जब १५ रुपया १३ आना खर्चा आता है तो किसान की ७ मन २० सेर प्रति एकड़ पैदावार पर ३० रुपया प्रति मन खर्चा आवेगा। अगर गेहूं पर १५ रुपया प्रति मन खर्च लगाया जाय, तो गेहूं का ३० रुपया मन दाम होना चाहिये। यदि ३० रुपया नहीं होता है, तो २५ अवश्य होना चाहिये। मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर सरकार खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमत पर नियंत्रण करना उचित समझती है तो न्यूनतम मूल्यों की भी सरकार घोषणा करे तो भविष्य के लिये अच्छा होगा।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आप ५ मिनट का समय मुझे और दे दें, क्योंकि मुझे और सुझाव देना है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कहिए, तो मैं २ मिनट और दे रहा हूं।

श्री रघुवीरसिंह—

मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान के साथ व्यापारिक दृष्टि से व्यवहार न किया जाय। उसको लागत के मूल्य पर रासायनिक खाद और ऐसी दवाइयां दी जायं जो कि हरी फसल पर कीड़ों के लग जाने पर, खेतों में डाली जाती है। साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि बहुत से कीटाणु ऐसे हैं जो किसानों के घर पर रखे हुए अनाजों को ही खा जाते हैं, जैसे घुन, पाई आदि उन कीटाणुओं को दूर करने के लिये किसानों को लागत के मूल्य पर दवाइयां दी जानी चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर सरकार उद्योग के लिये रुपया उद्योग करने वालों को देती है, और उनसे कम ब्याज लेती है, उसी प्रकार से किसानों से भी कम सूद पर ऋण खाद तथा बीज आदि देना चाहिये, क्योंकि किसान बहुत ही निर्धन है । वह सबसे आवश्यक वस्तु अन्न पैदा करता है । श्रीमन्, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि के साथ साथ सहायक उद्योग पशुपालन है । आज पशु पालन की दशा बहुत खराब है, उसके सुधार के लिये यह आवश्यक है कि ब्लाक के स्तर पर अच्छी नस्ल के भैंसा और सांड अवश्य रखे जायं या कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाय । साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे आगरा डिवीजन में लावणिक छार बढ़ता जा रहा है, यह खेतों तक पहुंच गया है । इसकी रोकथाम अगर नहीं की गई तो, आगरा डिवीजन की कृषि योग्य भूमि बहुत सी नष्ट हो जायगी । इस कार्य को अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच कराकर, कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिए । इस बात को देखते हुए उस इलाके में कृषि के ऊपर विशेष ध्यान देना है, कि वहां पर किसान की जीविका का साधन है, वह एक-मात्र कृषि ही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उसके लड़कों को सरकारी नौकरी वगैरह में भी प्राथमिकता मिलनी चाहिये और यह भी देखना चाहिए कि कोई उद्योग डेयरी फार्म आदि जो किसान से संबंधित हो सकता है, उसके बच्चों को उस उद्योग में प्राथमिकता मिलनी चाहिए ।

अन्ततोगत्वा इन तमाम साधनों से सम्पन्न होकर जब किसान स्वावलम्बी हो जायगा, तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे कारखानों के उत्पादन की खपत होगी तो उद्योग अपने आप पनपने लगेंगे । साथ ही साथ किसानों को अपने बच्चे पढ़ाने की भी भावना जागृत होगी । इस तरह से शिक्षा का भी प्रसार होगा । मैं सरकार से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने प्रान्त की जनसंख्या को देखते हुए प्रत्येक प्लान का ८७ फीसदी रुपया कृषि, सिंचाई और बिजली पर ही लगाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि का अनुदान सदन में उपस्थित है । मान्यवर, अंग्रेज सरकार ने अपनी हुकमत के दौरान, देश और प्रदेश के किसानों और कृषि की तरफ जिस उपेक्षा नीति से बर्ताव किया और हमारे मुल्क की आजादी के बाद भी हमारी सरकार ने भी किसानों और खेती की तरफ उसी उपेक्षा की नीति से बर्ताव किया है। अगर खाद्य संकट उपस्थित न हुआ होता, और अन्न की यह भीषण महंगाई न हो गई होती तो शायद हमारी यह कांग्रेसी सरकार किसानों और खेती की तरफ तवज्जह देने वाली नहीं थी । खैर, देर आये दुरुस्त आये, जब हमारे मुल्क के सामने खाद्य की समस्या बड़े भयंकर रूप से खड़ी हुई तब हमारी सोने वाली सरकार के कान खुले । उसने अपने सारे प्रयास और साधनों को खेती की तरक्की के लिये जुटाया । मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी है और सन्तोष भी कि हमारे प्रदेश के इस कृषि महकमें का चार्ज जिस व्यक्ति के हाथ में है वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें खेती बाड़ी का काफी ज्ञान है और वे इन बड़े-बड़े अफसरों की फीताशाही और भुलावे में फंस नहीं सकते । इसलिये मुझे उम्मीद है कि अगर हमारी सरकार ने इस तरफ देर में भी ध्यान दिया है तो उससे फिर भी किसानों की और खेती की भलाई ही होगी और आशा है कि खाद्य समस्या के हल होने

में ज्यादा सहायता मिल सके। मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्यों ने कहा कि खेती बाड़ी की तरक्की में मौसम का संबंध होता है। यह ठीक है, मगर जहां तक अनावृष्टि और पाले का संबंध है, उससे तो काफी बचाव हो सकता है। अगर सरकार के पास पानी का अच्छा इन्तजाम हो जाय तो पैदावार में किसी तरह की कमी नहीं हो सकती।

मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि बताया गया कि इतने उर्वरक, इतने बीज और इतने कृषि के औजार और भी तमाम किस्म के साधन किसान के लिये जुटाये गये, परन्तु फिर भी हमारे देश और प्रदेश की पैदावार में तरक्की नहीं हो सकी है? श्रीमन्, इसका मुख्य कारण हमारे किसानों का अज्ञान है और साथ ही रूढ़िवादिता है। जो नये वैज्ञानिक तरीके हैं उनको अपनाने में वे हिचकते हैं और अगर किसान के अज्ञान और रूढ़िव दिता को दूर नहीं किया जाता तब तक हम जितने भी साधन उनके लिये जुटायें हमारी पैदावार बढ़ नहीं सकती। इसके अलावा यह पैदावार लेक्चरों के जरिये भी नहीं बढ़ाई जा सकती। कितने ही लेक्चर्स चाहे, बी० डी० ओ० दें, ए० डी० ओ० दें या एग्रीकल्चर आफिसर दें या मैं ही दूं, उससे पैदावार बढ़ नहीं सकती है। हमारे देश का किसान नकलची है। अगर उसे नकल से कोई अच्छी बात मालूम होती है तो यह उसे अपनाने में नहीं हिचकता है। किसान के पुराने विचारों को बदलने के लिये बहुत जरूरी है कि जो शिक्षा संस्थायें देहातों में हैं उनके पास छोटे छोटे डिमांस्ट्रेटिव फार्म खोले जावें, गवर्नमेन्ट जमीन एक्वायर करके करे या चकबन्दी में मुहइया करें। वहां खेती के नये तरीकों से काम लिया जाय। आसपास के किसान जब वहां की पैदावार बढ़ती हुई पावेंगे तो उनके दिमाग का रूढ़िपन और अज्ञानता दूर होगी। इस प्रकार वह खेती के नये तरीके अपना सकता है।

यह कहा गया है कि बड़े बड़े फार्मों तथा ट्रैक्टरों से ही अच्छी पैदावार हो सकती है। मैं इस खयाल का नहीं हूं। मेरा खयाल है कि अगर किसान की अज्ञानता दूर हो जाय और उसके दिमाग का रूढ़िपन खत्म हो जाय तो छोटी छोटी काश्तों में भी प्रति एकड़ उतना ही पैदावार हो सकती है जितनी कि बड़े-बड़े फार्मों पर हो सकती है। पैदावार के लिये सिंचाई बहुत जरूरी है। चाहे और कोई साधन मिले या नहीं, चाहे उसे उर्वरक मिल सके या नहीं, लेकिन कम से कम अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिये जावें तो जो तरीके और बुद्धि किसान के पास आज हैं उसी का इस्तेमाल करके हमारे देश और प्रदेश की पैदावार बढ़ सकती है। मुझे खुद अपना निजी तजुर्बा है। मैं और मेरे गांव के कुछ साथियों ने नयी जमीन तोड़ी है। मेरे एम० एल० ए० होने के बावजूद भी, साधारण किसानों की तो कौन कहे, २ साल मुझे मुतवातिर नहर विभाग को लिखते बीत गये हैं लेकिन मुझे कुलाबा नहीं मिल सका है जब कि माइनर की टेल पर पानी रबी की फसल में व्यर्थ ही जाता है। टेल पर का किसान पानी से ऊब कर खन्दी कर देता है। मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे कुलाबा आज तक नहीं मिल सका है। खंदी का पानी बरसाती में जाने पर ही सिंचाई हो पाती है। चिठ्यां लिखीं, टेलीफोन किये, उनसे मिलने की भी कोशिश की। लेकिन उन्होंने कहा कि नया कुलाबा नहीं दे सकते क्योंकि वह चीफ साहेब ही दे सकते हैं। पुराने कायदे बने हुए हैं। अब नहर के पुराने कानूनों में तब्दीली होना चाहिये।

मान्यवर, कृषि विभाग प्रतियोगिता में इनाम दिया करता है। हमारे जिले के एक किसान ने प्रतियोगिता में सन् ५९ में भाग लिया। उसे इनाम अपनी जिन्दगी में नहीं मिल सका क्योंकि वह स्वर्ग चला गया है। उसके लड़के ने उस इनाम को पाने की कोशिश की। ५९ से उसे इनाम नहीं मिल सका और २ साल से मैं लिख रहा हूं। मैं अपने जिले के दफ्तर में गया और प्रधान लिपिक से कहा कि इसके कागजात कहां हैं। उन्होंने कहा कि कागजात

[श्री होरीलाल यादव]

गुम हो गये हैं । वह मौजा लाख का श्री मोहन किसान है । डाइरेक्टर महोदय से भी मैंने कानपुर में कहा था । माननीय टंडन जी जो ज्वाइन्ट डाइरेक्टर हैं, उनकी मेरे पास चिट्ठी आई कि उस पर विचार किया जा रहा है । मैं देखता हूं कि अगर इनाम पाने वाला स्वर्ग में चला जाय और इनाम न मिल सके तो किसान को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, कैसे इस प्रदेश की तरक्की होगी और इस विभाग की सतर्कता के लिये मैं क्या कहूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं अपने इस सीमित और कलील समय में प्रदेश के कृषि उत्पादन के कुछ चिन्ताजनक पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा ।

मान्यवर, कारण कुछ भी हों, वस्तुस्थिति यह है कि चालू पंचवर्षीय योजना के ३ वर्षों में, बावजूद इस बात के कि हर वर्ष सरकार ने अतिरिक्त कृषि उत्पादन शक्ति पोटेंशल इस प्रदेश में पैदा किया है, अन्नोत्पादन हर वर्ष पिछले वर्ष से गिरता चला गया है । प्रदेश की खरीफ की १२ फसलों में से ८ फसलें ऐसी हैं जिनमें जुवार, बाजरा जैसे खाद्यान्न और उर्द, मूंग दालें भी शामिल हैं, जिनका न केवल रकबा जेरेकाश्त और कुल पैदावार total production बल्कि चिन्ताजनक बात यह है कि प्रति एकड़ पैदावार भी ५०–५१ से, अगर ५ साल का मूविंग एक एवरेजेज लें तो मुतवातिर गिरती जा रही हैं । रबी की ५ फसलों में से जौ, अरहर जैसी महत्वपूर्ण फसलों की भी प्रति एकड़ पैदावार का पंच वर्षीय मूविंग एवरेज ५३–५४ से मुतवातिर गिरता जा रहा है । श्रीमन्, इसी प्रकार से चने की प्रति एकड़ पैदावार में कोई वृद्धि गत १० वर्षों में नहीं हुई । मैं अनुरोध करूंगा कि मोटे अनाजों और दालों पर अनुसंधान बढ़ाया जाय । श्रीमन्, बाजरे को देखिये कोई भी उन्नतिशील किस्म प्रदेश में बाजरे की आज उपलब्ध नहीं है । रीजनल अनुसंधान सेंटर्स के बढ़ाने की भी आवश्यकता है । तिलहन में सरकारी योजनाओं द्वारा २.७० लाख टन अतिरिक्त तिलहन पैदा करने का पोटेंशल तो पैदा हुआ लेकिन पैदावार २ लाख टन कम हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों से । इसी प्रकार कपास का रकबा जारी पंचवर्षीय योजना के तीनों वर्षों मे बढ़ा परन्तु पैदावार नहीं बढ़ी ।

दूसरा पहलू, जो चिन्ताजनक है, कृषि उत्पादन का वह है प्रदेश के पश्चिमी जिलों की गिरती पैदावार जिसके आंकड़े माननीय कृषि मंत्री जी ने अलीगढ़ पैकेज प्रोग्राम की तारीफ करते हुये पेश किये । आज वस्तु स्थिति यह है कि प्रदेश के पश्चिमी और मध्य के बहुत से जिलों की पैदावार पूर्वी जिलों से भी गिर गई है । मिसाल के लिये बदायूं जिला ले लीजिये । पटेल कमीशन के चार जिलों की पैदावार उसकी रिपोर्ट में मौजूद है । १७ जिन्सें हमारे प्रदेश में पैदा होती हैं । इन चारों जिलों में से जो भी खराब हो, उसकी किसी भी जिन्स की पैदावार का यदि बदायूं से मुकाबला करें तो बदायूं की पैदावार कम है । कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम चाहते हैं कि प्रदेश की अन्न का टोटल प्रोडक्शन बढ़े तो हम बैकवर्ड पाकेट्स को चाहे वह पूर्वी अंचल में हों, चाहे पश्चिमी अंचल में प्रदेश के हों लोकेट करना होगा और वहां स्केश प्रोग्राम और पैकेज प्रोग्राम चालू करने होंगे ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस गिरते हुये कृषि उत्पादन का मुख्य कारण प्राकृतिक असहयोग है । लेकिन मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि यही एकमात्र कारण है । मेरी नजर से दूसरा सबसे बड़ा कारण है राजनीति । आज उत्तर प्रदेश का कृषि मंत्रालय पूर्णतया बेबस है । परन्तु कृषि उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी उस पर थोप दी गई है ।

स्पष्ट शब्दों में मेरा सुझाव यह है कि कृषि मंत्रालय को इस जिम्मेदारी को निभाने के लिये सहकारिता और लघु सिंचाई के विभाग कृषि मंत्रालय में अवश्य मिलने चाहिये ।

श्रीमन्, दूसरा मुख्य कारण कृषि उत्पादन के गिरने का यह है कि सरकारी नीति, कृषि के और कृषकों के आर्थिक हतों के विरोधात्मक है। मान्यवर, यदि हम चाहते हैं कि कृषि की पैदावार बढ़े तो सबसे पहले कदम यह उठाया जाय कि किसानों की वास्तविक और शुद्ध आय को बढ़ाया जाय। मुझे खेद है कि श्री एल० के० झा कमेटी की निश्चित सिफारिश इसी पक्ष में होने के बावजूद जो भाव सुनिश्चित किये गये हैं, उससे किसानों की शुद्ध आय घटी है। मुझे कृषि विभाग से भी शिकायत है कि उनकी सीड स्कीम भी अनुचित दाम नीति से फेल हुई है, जिसको माननीय कृषि मंत्री जी ने किसी कदर स्वीकार किया है और उसका मेन कारण भी यही है कि कृषि विभाग ने ग्रोअर्स को माकूल दाम नहीं दिये। जो प्रीमियम ग्रोअर्स को दिया गया है वह उस समय के भावों पर दिया गया है जबकि शुरू में ही किसान का गल्ला बाजार में आता है और जिस वक्त बाजार में सबसे सस्ता अनाज होता है। बजाय इसके प्रीमियम उस प्राइस पर दिया जाना चाहिये था जो उस सारे वर्ष में दो फसलों के बीच में मैक्सिमम रही हो। यही कारण है कि आपका बीज नहीं के बराबर बढ़ पाया है। अगर आप उनको इस प्रकार की प्राइसेज दें तो काफी बड़ी संख्या आपको सहयोग देने वाले किसानों की मिल जायगी।

एक बात यह भी है कि जहां सरकार चाहती है कि फर्टीलाइजर्स का वितरण बढ़े वहां सरकार उस पर मुनाफा भी कमाती है, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा जबकि यूरिया का दाम १०० रु० प्रति टन घट गया है पर मिक्शचर का दाम नहीं घटाया गया है और मिक्शचर की कीमत में काश्तकारों से तीन प्रतिशत व्याज शामिल कर लिया गया हैं, केन्द्रीय सरकार जब उर्वरक राज्य सरकार को देती है तो उनकी कीमत पर एक व्याज लगाती है। जब प्रदेशीय सरकार उसको कोआपरेटिव को देती है तो वह भी उस पर व्याज लगाती है और फिर कोआपरेटिव जब किसानों को देता है तो वह भी अपनी व्याज उसमें शामिल कर लेता है। इस तरह से किसानों के पास पहुंचते पहुंचते तीन व्याज-दर उस पर लग जाते हैं। जहां उर्वरकों पर इस प्रकार व्याज-दर-व्याज वसूल किये जाते हों वहां किस प्रकार से उर्वरकों की खपत बढ़ सकती है? इस देश में यो हीं उर्वरक अन्य देशों से कहीं ऊंची दरों पर मिलते हैं।

श्रीमन्, आज किसानों से हम कृषि उत्पादन को एक निश्चित दाम पर लेने की बात करते हैं परन्तु क्या कृषि विभाग के जिन फेब्रीकेटर्स को टीन और लोहा कन्ट्रोल प्राइस पर देता है उनसे कृषि यंत्रों को कन्ट्रोल प्राइस पर दिलवाने की व्यवस्था करेगा। इस तरह की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिये।

प्रदेश में जितना ऋण दिया जाता है उसमें से लगभग १० प्रतिशत ऋण प्रदेश की ८४ प्रतिशत जन संख्या जो किसानों की है उनको दिया जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों को दिये जाने वाले ऋण की मात्रा बढ़ा दी जाये। इसके अलावा उसके सूद की दरों को भी कम किया जाना चाहिये। यह भी देखना चाहिये कि किसान को कितनी मुश्किल से, कितना खर्च करने पर लोन मिलता है और कितनी सख्ती से वसूल किया जाता है। सरकार को अपनी इस नीति में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा।

मान्यवर, मुझे याद है कि २६–१२–६२ को केबिनेट की कृषि उत्पादन समिति का फैसला अखबारों में शाया हुआ था। सीमेंट के संबंध में उसमें लिखा हुआ था कि सबसे उच्च प्राथमिकता लघु सिंचाई के कार्यों को दी जायगी और जब तक उनकी जरूरत पूरी न हो जायगी तब तक दूसरे कार्यों के लिये सीमेंट नहीं दी जायगी। मान्यवर, आज अवस्था यह है कि तकावी बांट दी जाती है लेकिन काश्तकार को आज फील्ड में सीमट प्राप्त नहीं है।

तीसरा कारण कृषि उत्पादन के गिरने का यह है कि उसके बढ़ाने में हमारे प्रयास की कमी है। हमने कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को तय किया। साथ ही अतिरिक्त कृषि उत्पादन के लिये आवश्यक

[श्री शिवराजसिंह]

है कि इतना पोटेंशियल पैदा किया जाय कि कृषि का उत्पादन बढ़ सके । मैं आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन सन् १९६१-६२, ६२-६३ तथा ६३-६४ में अतिरिक्त कृषि उत्पादन शक्ति के लक्ष्यों में क्रमशः ५०, ६० और ५० प्रतिशत के शार्ट फाल्स हुये हैं । तो जब इसके प्रयास के यह नतीजे रहे हों तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कृषि का उत्पादन लक्ष्य के अनुसार बढ़ जाता । इसका मुख्य कारण यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप की कमी है । आज हम देखते हैं कि कृषि विभाग को छोड़कर सिंचाई विभाग और सहकारिता विभाग में ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप की काफी कमी है ।

श्रीमन्, समय की कमी है, इसलिये मैं सीधे तौर पर कृषि मंत्रालय की तवज्जह, विभाग सम्बन्धी कुछ और बातों की ओर दिलाना चाहता हूं । अभी हाल ही में श्री के० एल० राव, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने चेतावनी यह दी है कि पूर्वी जिलों की तरफ अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो करीब १० लाख एकड़ भूमि रेविन्स के अन्दर हो जायगी । इसी तरह से ऊसर रिक्लेमेशन की रफ्तार भी सन्तोषजनक नहीं है । सन् १९६५-६६ के लिये विभाग ने जो अतिरिक्त कृषि उत्पादन शक्ति के लक्ष्य निर्धारित किये हैं वह करीब ७-८ मदों में सन् १९६४-६५ के लक्ष्यों से भी कम है । मैं जानना चाहता हूं कि कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिये आपके प्रयास की रफ्तार मद्धिम क्यों होती जा रही है फिर कैसे उत्पादन बढ़ सकेगा ? सन् १९६४-६५ के अन्तर्गत गेहूं के पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत फर्टीलाइजर भी हमें नहीं मिल पाया । माननीय कृषि मंत्री जी के जिला मेरठ में भी यही हालत रही । इसलिये माननीय मंत्री जी इस बात की पूरी कोशिश करें कि पैकेज प्रोग्राम के लिये जो भी सामान हो वे नियत समय पर, नियत मात्रा में किसानों को अवश्य मिलें । मुझे इस बात की खुशी है और मैं कृषि मंत्री तथा उनके मंत्रालय को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि कृषि उत्पादन सम्बन्धी जो केन्द्र से ज्वायंट सेन्ट्रल टीम आयी थी उसकी तथा श्री रामसुभग सिंह कमेटी की रिपोर्ट को भी इस विभाग ने पूर्णतया स्वीकार कर लिया है । अन्त में मैं फिर यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये बिजली की दरों को गिराने की जरूरत है और साथ ही कोआपरेटिव क्रेडिट संबंधी जो कमेटी की सिफारिशें हैं, उनको भी स्वीकार करने की जरूरत है ताकि प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़ सके । इन सुझावों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहां के ८५ प्रतिशत लोग खेती करते हैं । यहां की जमीन समतल तथा उर्वरा है और यहां के कुछ हिस्से की जमीन पर साल में तीन-तीन फसलें तक होती है । यहां पर फलदार पेड़ भी होते हैं । यहां गन्ने की फसल भी अच्छी होती है जो एक बार बो देने पर पांच-पांच बार तक काटी जाती है । लेकिन फिर भी आज हिन्दुस्तान अन्न के लिये दूसरे मुल्कों के सामने हाथ पसार रहा है । इस बात को हमें देखना है कि क्या कारण है कि इतनी उर्वरा जमीन के होते हुये भी अन्न का संकट इतनी तेजी से बढ़ रहा है और हमें दूसरे देशों के सामने अपना हाथ पसारना पड़ रहा है । इसका मुख्य कारण मेरी समझ से यह है कि जमींदारी टूटने के बाद भी यहां की जमीन बड़े-बड़े सामन्तों के पास चली गई जो अपने हाथ से खेती नहीं करते हैं आज भी उनके पास काफी जमीन है । हमारे पूर्वी जिलों में तो यह हालत है कि जितने सारे भूमिहीन हैं वे उनके हलवाहे, चरवाहे के रूप में काम करते हैं और उसी से अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं । उनकी औरतें भी उनका काम करती हैं । एक-एक सामन्त के पास १००-१०० और २००-२०० बीघे जमीन है, लेकिन वे अपने खेत में जाना आज भी पाप समझते हैं । वहां का कोई सामन्त अगर अपने कंधे पर हल भी रख ले तो उसे समाज से निकालने तक की नौबत आ जाती है । इसलिये मेरी राय है और खास कर मंत्री महोदय जो उसी वर्ग के हैं, वे भी इससे सहमत होंगे कि अगर भूमिहीनों को जमीन दे दी जाय, जोतने वाले को जमीन मिल जाय तो वाकई में फसल अच्छी होगी । इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती । लेकिन सरकार न

मालूम क्यों सारी बातों को जानते हुये भी इस तरफ कोई कदम नहीं उठा रही है । इसलिये मैं चाहता हूं कि भूमिहीनों को जमीन सरकार दे और जो सामन्तों के पास बहुत सारी जमीन परती पड़ी हुई है उसको उनसे छीन कर भूमिहीनों में बांट दी जाय । सरकार ने ४० एकड़ भूमि एक परिवार के लिये छोड़ कर शेष निकली हुई भूमि को भूमिहीनों में बांटने का सरकार ने ऐलान किया, लेकिन वह जमीन भी उन गरीब लोगों को नहीं मिली । कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि साढ़े बारह एकड़ की सीलिंग लगा कर शेष भूमि भूमिहीनों में बांट दी जाय, पर सरकार उसको नहीं मानती । इसी तरह से जो गांव समाज की जमीन चालाक लोग दबाये हुये हैं उसको भी भूमिहीनों को देना चाहिये तभी पैदावार बढ़ सकेगी । अगर आप-थोड़ी जमीन भूमिहीनों में बांट दें तो प्रदेश की काफी पैदावार बढ़ सकती है । अगर ऐसा नहीं किया तो कभी भी पैदावार नहीं बढ़ सकती चाहे सरकार लाखों उपाय सोचे ।

एक बात, श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि जो विकास के कर्मचारी हैं यह जब किसानों क पास जाते हैं तो उनसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । हमारे यहां एक ए० डी० ओ० एग्रीकल्चर जापानी ढंग से खेती करा रहे थे, मेरे ही परिवार की औरतें रोपिया कर रही थीं, इसी बीच उनको पेशाब लगी तो पेड़ों के सामने जाकर वह खड़े होकर पेशाब करने लगे । औरतों ने इस पर आवाज उठायी कि कितना निर्लज्ज है यह । इससे प्रकट होता है कि यह कर्मचारी अपने को किसानों से बिलकुल भिन्न समझते हैं । अतः जब तक वह देहातों में किसानों की तरह नहीं रहेंगे, उनके ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे तब तक किसान उनकी बात सुनने को कभी तैयार नहीं होगा । होता यह है कि वह कर्मचारी देहात में जाकर अंग्रेजी बोलते हैं जो किसान समझता नहीं। यह किसानों को गोबर और पेशाब का उपयोग नहीं समझा सकते । इसलिये मैं चाहूंगा कि इन कर्मचारियों को हिदायत दी जाय कि वह किसानों के साथ मिल कर रहें । सूट पहन कर जाने से काम नहीं चलेगा ।

हमारे क्षेत्र में एक गढ़ा ताल है वहां बरसाती पानी इकट्ठा हो जाने से हजार एकड़ जमीन खराब हो जाती है । एक नगवा डैम बनाया गया है मैं चाहता हूं कि इसको गहरा किया जाय । इसी तरह से खोहिया नाला जो उसी गढ़ा ताल में गिराया जाता है मेरी राय है कि उसे नगवा डैम में गिरा दिया जाय ताकि पानी जल्दी निकल जाया करे । फत्ते सरया बांध पर दो रेगूलेटर लगे हुये हैं इस पर फाटक लगा दिये जायं ताकि पानी बाहर निकल जाय और जमीन खेती के लिए मिल जाय । श्रीमन्, ट्यूबवेल कहीं-कहीं ऐसे लगे हुये हैं जो पानी नहीं देते ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि लाल बत्ती आपने जला दी, कितने मिनट देंगे । माननीय रघुनाथ जी ने कब भाषण प्रारम्भ किया जरा बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

९ मिनट हो गये उनको बोलते हुये ।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं बराबर देख रहा हूं कि जो सरकार की आलोचना नहीं करते उनके लिये बत्ती नहीं जलती और जो आलोचना करते हैं उनके लिये तुरन्त बत्ती जल जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठ जायं ।

श्री मैनेजरसिंह—

आप स्पष्ट करें कि उन्होंने कब आरम्भ किया ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने ३ बजकर ७ मिनट पर आरम्भ किया था ।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, जो आप व्यवस्था दे रहे हैं चाहे वह गलत भी हो, हमें शिरोधार्य है ।

श्री रघुनाथ—

श्रीमन्, हमारे जो ट्यूबवेल हैं वे अच्छी तरह से पानी नहीं दे रहे हैं । एक ट्यूबवेल रतनपुरा के पास लगा हुआ है पर उससे ५ एकड़ भी सिंचाई नहीं हो सकती है । दुख यह है कि खेती के सम्बन्ध में जो विभाग है वे सब अलग-अलग मंत्रियों के हाथ में है, जैसे सिंचाई विभाग, सिंचाई मंत्री के हाथ में, बिजली विभाग, बिजली विभाग के मंत्री के हाथ में है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इन मंत्रियों में आपस में सम्पर्क होना चाहिये क्योंकि जब ट्यूबवेल को मऊ से बिजली नहीं मिलती है, तो वह नहीं चलता है और जब बिजली मिलती है तभी वह चलता है । इससे वहां के किसान और आपरेटर सभी परेशान रहते हैं । नहरें जो हमारी हैं उनमें यह होता है कि माइनरों के जरिये पानी छोड़ दिया जाता है और वह खेतों में भर जाता है जिससे उन खेतों की फसल बरबाद हो जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसका भी प्रबन्ध होना चाहिये ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि हमारा कृषि विभाग ऐसे महानुभाव के हाथ में है जिनके द्वारा हमारा कृषि वर्ग अपनी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का स्वप्न देखता है । मैं इसको भी मानता हूं कि इसमें शुबहा नहीं कि चौधरी साहब अपने विभाग को सुचारु रूप से चलाते हैं । वे कृषि की समस्या को भी समझते हैं और अपने विभागों को सदैव सजग रखने का भी प्रयत्न करते हैं । आपके विभाग के जो कर्मचारी है उनकी इतनी क्षमता भी है कि वे कृषि के उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं । मैं बजट के आंकड़ों के जंजाल में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि आज के युग में तो २ और २ तीन और २ और २ पांच भी साबित करने के प्रयत्न होते रहते हैं । जब से सभ्य समाज ने जन्म लिया है तब से अन्न और मानव के उत्पादन में संघर्ष चलता आया है । मानव समाज ने प्रयत्न किया कि मानव समाज के उत्पादन को अन्न के उत्पादन से आगे न बढ़ने दें । जब हम भी सभ्य थे तो हमने भी अपने देश में प्रयत्न किया था कि हमारे मानव समाज का उत्पादन भी अन्न के उत्पादन से आगे न बढ़े । हमारे देश में खेती के अन्तर्गत जमीन का क्षेत्रफल बहुत ही कम है । जैसा भी माननीय कृषि मंत्री ने बताया कि यू० एस० एस० आर० में खेती के अन्तर्गत जमीन का क्षेत्रफल २४ करोड़ एकड़ भूमि है जबकि यहां की आबादी केवल २० करोड़ है । हमारे देश में ४८ करोड़ की आबादी है और ३३ करोड़ एकड़ भूमि जमीन है । हमारे यहां जन उत्पादन इस तेजी से बढ़ रहा है कि जो एक-एक साल की पैदावार है वह जो छोटे-छोटे देश हैं उनके बराबर है । आस्ट्रेलिया और अमरीका जैसे देश को हमने १५ दिन में पैदा कर दिया । हमारी मानवीय शक्ति इतनी बढ़ गयी है ।

बावजूद इसके हमारे यहां जन समुदाय अधिक है और क्षेत्रफल कम है और दूसरे देशों में जो विकसित हैं उनके यहां क्षेत्रफल ज्यादा होते हुये भी केवल ९, १० अथवा १५ फीसदी जन समुदाय खेती पर निर्भर करता है और हमारे यहां ७४ फी सदी आदमी खेती पर निर्भर हैं । तो खेती पर यहां इतना बोझ हो गया है कि उसको वहन करना मुश्किल हो गया है । दूसरे देशों में जब कि खेती पर बहुत कम लोग निर्भर करते हैं और क्षेत्रफल ज्यादा है, किसान का स्तर ऊंचा है और हमारा स्तर नीचा है । उनके पास साधनों की बहुतायत है और जिन को वे सघन खेती में लगाते हैं, लेकिन यहां साधनों की कमी है । यही कारण है कि यूरोप में हम से

केवल १० फीसदी कृषि क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन वहां के काश्तकार हम से ८० फीसदी ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। जापान की आबादी ११ करोड़ है, उसका क्षेत्रफल हमसे आधा है, लेकिन हमसे १० गुना ज्यादा फर्टिलाइजर वहां के काश्तकार इस्तेमाल करते हैं। इसलिये करते हैं कि वहां के काश्तकार का स्तर हमारे यहां से ऊंचा है। वहां के काश्तकार का स्तर ऊंचा होते हुये भी वहां की सरकारें उनको साधन मुहैया करती हैं। सस्ते दामों पर फर्टिलाइजर देती हैं जब कि हमारे यहां पर फर्टिलाइजर की कीमत दुनिया भर से ज्यादा है। केन्द्रीय सरकार, प्रदेशीय सरकार, लोकल बाडीज तथा कोआपरेटिव सोसाइटीज सब के टैक्स लग कर उस की कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है। विद्युत शक्ति भी वहां सस्ती मिलती है और हमारे यहां ऊंचे दर पर मिलती है। बीज भी यहां २५ फीसदी सूद से कम में नहीं पा सकता। इसके बावजूद वहां और चीजें सस्ती मिलती हैं। साधन वहां बहुत हैं, लेकिन वहां की सरकारें काश्तकार की जो पैदावार होती है उसको सबसिडाइज करती हैं, ज्यादा कीमत पर लेती हैं और सस्ते दामों पर देती हैं। इस तरह से वहां पर काश्तकारों को सहूलियतें मुहैया की जाती हैं।

हमारे यहां एक दिक्कत और है। विकसित देशों में मेकैनाइज्ड फार्मिग होती है और हमारे यहां बैलों से होती है और यहां ड्राई कैटिल्स की तादाद ज्यादा है और उनका भार भी अन्न पर है। बैलों को तथा ड्राई कैटिल्स को यहां अन्न खिलाना पड़ता है। हमारे यहां खाने पीने में भी अन्न का खर्चा ज्यादा है। दूसरे देश मांस पर, दूध तथा मक्खन पर गुजारा करते हैं, लेकिन यहां लोग ज्यादातर शाकाहारी हैं। यहां पर दूध की मिकदार फी व्यक्ति सिर्फ ढाई छटांक पड़ती है जब कि दूसरे देशों में १ से लेकर ढाई किलोग्राम फी व्यक्ति पड़ती है। इसलिए हमारे देश में अन्न की समस्या बड़ी कठिन होती जा रही है।

इन बातों के बावजूद हमको अपनी कृषि नीति को बनाना है। हम योजनाबद्ध होकर काम कर रहे हैं और योजना के आधार पर जो हम को आंकड़े मिलते हैं वे सन्तोषजनक हैं। लेकिन कभी भी हमारा देश इस स्थिति में नहीं रहा जब हम यह कह सकते कि हम बहुतायत में रहे। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। १९५०-५१ में हमारी आवश्यकता १०८ लाख टन की थी और हमारे यहां अन्न केवल ८६ लाख टन ही हुआ। १९५५-५६ में हमारी आवश्यकता थी १२७ लाख टन की और पैदावार ९० लाख टन थी। १९६०-६१ में जिसमें कहा जाता कि हमारे यहां बम्पर क्राप हुई हमारी पैदावार थी १०४ लाख टन और आवश्यकता थी १३७ लाख टन। इस तरह से ३३ और ३७ लाख टन के बीच में हमारे यहां हमेशा कमी रही। जैसे-जैसे पैदावार बढ़ती गयी, वैसे-वैसे मानव समाज भी बढ़ता गया और कमी वैसी की वैसी बनी रही। कहा गया कि पिछले दो साल मौसम खराब रहा और इसमें कोई शुबहा भी नहीं कि खराब रहा। इसके कारण और कमी हो गयी है। हर तीसरे साल में एक साल ऐसा गुजरता है जब कोई न कोई मुसीबत आती है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुये आप को अपनी कृषि नीति बनानी होगी और इन सब बातों को बड़ी गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा। माननीय चौधरी साहब, आप के ऊपर प्रदेश का बोझ और प्रदेश की जनता को अन्न देने का बोझ है। इसलिए आप को दोनों पहलुओं से इसको सोचना होगा। एक तरफ तो आपको अन्न का उत्पादन बढ़ाना होगा और दूसरी तरफ मानव में इस बात की जागृत करना होगा कि मनुष्य की उपज में रुकावट भी होनी चाहिये। मुझे अफसोस है श्रीमन्, कि पहले ब्रह्मचारी बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता था...।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, मनुष्य की उपज नहीं होती है बल्कि पैदाइश होती है।

श्री केशव गुप्त---

२५ साल से पहले और ५० साल के बाद बच्चों की उत्पत्ति करना ममनू करार दिया जाता था। आपको फिर ऐसी मान्यता कायम करनी होगी। अगर समाज के द्वारा नहीं हो सकता है तो कानून बनाइये। लेकिन हमारे देश में तो ऐसे कानून बने हुये हैं कि ब्रह्मचारी के ऊपर टैक्स ज्यादा और बच्चों वालों के ऊपर कम है। इसके माने यह हैं कि आप जन संख्या को बढ़ाने में प्रोत्साहन देते हैं। आप की फैमिली प्लानिंग वर्षों में भी कामयाब नहीं हो सकेगी। इससे आप मानव समाज की वृद्धि पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं।

इसलिए मुझे आपसे प्रार्थना करनी है कि आप कृषक का स्तर बढ़ाइये। उस के लिए सुविधायें प्रदान कीजिये, कृषि के ऐसे यन्त्र बनाइये जिस से हमारे यहां खेती बैलों के बजाय यंत्रों से होने लगे। इसके अलावा यह भी है कि दूध का उत्पादन बढ़ाया जाय। हमारे यहां फर्टिलाइजर्स की तथा अन्य खेती के औजारों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। वे कम होनी चाहिये।

इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृषक का स्तर नीचा करने की कोशिश न करें। खेती की पैदावार की कीमतों को नीचे न लाइये क्योंकि ७४ प्रतिशत लोग खेती के ऊपर निर्भर हैं। अगर उनका स्तर ऊंचा होता है, अगर क्रय शक्ति उनके पास आजाती है तो हमारे देश में उद्योग बढ़ेंगे। जिससे बेरोजगारी कम होगी। आप इस बात की कोशिश न कीजिये कि कृषि वस्तुओं की कीमतें नीचे गिरें, बल्कि इकोनोमिक प्राइस उसको मिलनी चाहिये। केवल १३ प्रतिशत ऐसे आदमी हैं जिन के ऊपर कीमत ज्यादा होने पर असर पड़ सकता है। १३ प्रतिशत लोग इन्कम टैक्स देते हैं, या बड़े आदमी हैं और केवल १३ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन को कीमत ज्यादा होने से परेशानी हो सकती है, उनको आप सब्सिडाइज कर सकते हैं। कीमतें कम करने से, स्तर नीचे गिराने से उद्योग की वृद्धि रुकेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए इन बातों को देखते हुये जब तक आप अपनी नीति निर्धारित नहीं करेंगे तब तक अपने देश में अन्न संकट हमेशा बना रहेगा। आप को अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा और इन बातों का सामंजस्य कर के चलना पड़ेगा। तभी देश का भला हो सकता है और तभी हमारा देश समृद्धिशाली हो सकता है। इन शब्दों के साथ में अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजर्रसिंह---

आपने इनको ज्यादा समय दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, मैं, जो अच्छे बोलने वाले हैं उनको एक आध मिनट ज्यादा देता हूं जो मेरी समझ में आता है।

श्री मैनजर्रसिंह---

अच्छा बोलने वाला आप कैसे मानते हैं? पक्ष वाले या विपक्ष वाले को?

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं दोनों पक्ष वालों को। यह आप ही केवल कहते हैं। बार-बार आप ऐसा कहते हैं। यह आपके लिए उचित नहीं है। दूसरों की ईमानदारी पर आप हमेशा आक्षेप करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कहते हैं।

श्री मैनेजर्रसिंह---

इसलिए ऐसी व्यवस्था हो कि हमें छेड़ने का मौका न मिले।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, व्यवस्था ठीक है। सिवाय आपके किसी को एतराज नहीं है।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मन्त्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस समय वे अपने विभाग की मांग पेश कर रहे थे उस समय उन्होंने मेरी ओर विशेष ध्यान दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे उनका प्रयास मुख्यतः मुझको समझाने का रहा हो। इसके लिए मैं उन का आभारी हूं। मुझको इस बात का आश्चर्य है कि जिस मतभेद को मैंने समझा था कि अब दूर हो गया और जिसका जिक्र उन्होंने पिछले बजट पेश करते समय किया था और उस के बाद पुनः आज उस विषय को खोला। मैं तो समझता था कि वह हमारे नजदीक कुछ आ गये और मैं उनके नजदीक कुछ पहुंच गया और यह मतभेद समाप्त हो गया। मेरा इशारा मौसम का कितना प्रभाव खेती पर पड़ता है इसकी तरफ है। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि मौसम का प्रभाव खेती की पैदावार पर पड़ता है और मैं इस बात को भी मानता हूं कि खेती एक बाइलाजिकल प्रोसेस है। लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर यह भी कहना चाहता हूं कि खेती की सारी क्रियायें प्रकृति के विरुद्ध ही हैं। केवल मौसम ही नही, कीड़े मकोड़ों से फसल की रक्षा आदि सारे काम ऐसे हैं जिन से खेती करना प्रकृति के विरुद्ध एक संघर्ष है। उनके विरुद्ध संघर्ष करने को ही खेती कहते हैं। मनुष्य खेती करता है, प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करता है अपना पेट पालने के लिए और यदि वह अपनी हार मान ले, प्रकृति के सामने तो उसका पेट नहीं भर सकता।

श्रीमन्, मुझे ज्यादा दलील देने की जरूरत नहीं है। माननीय मन्त्री जी ने अभी स्वीकार किया कि जिन जिलों में पैकेज स्कीम थी, वहां उत्पदान नहीं गिरा। इसलिये यदि सरकार की ओर से इस स्तर पर प्रयास हुआ होता तो इस प्रदेश की पैदावार न घटती और अन्न संकट जो आया है न आता। और दूसरी तरफ जो शिवराज सिंह ने ध्यान दिलाया कि हमने कुछ पोटेंशियलिटी निर्धारित की थी। उसमें हरी खाद का कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ? उर्वरकों में वह कितना प्राप्त कर सके? उत्तम बीज बांटने का जो लक्ष्य था, उसमें कितनी सफलता मिली? तो हमारे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि यदि हमारा प्रयास अच्छा हुआ होता और हम कुछ ज्यादा पैसा खर्च किये होते खेती पर, तो बावजूद मौसम की खराबी के यह भुखमरी का सामना न करना पड़ता। सम्भव है मन्त्री जी यह कहें कि पैकेज प्रोग्राम जो चला है, उस में ज्यादा पैसा खर्च होता और उस स्तर तक हमारे जिलों में हम अपना काम न कर सकते। तो उससे भी हमारी उस दलील की पुष्टि होती है। जब मैं कहता हूं कि खेती की ओर इस सरकार की दृष्टि उपेक्षा की रही। अभी हमारे माननीय साथी बोल रहे थे। उन्होंने सरकार की बड़ी तारीफ की और सरकार को बधाई भी दी और उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार पूरी तरह से खेती की तरफ ध्यान दे रही है, सरकार सो नहीं रही है वह पूरी तरह जाग रही है तथा खेती की उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता। उनके शब्दों से, व्याख्यानों से जरूर ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों की दृष्टि खेती की तरफ है, लेकिन जब उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की बात आती है तो वास्तव में ऐसा नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३५ प्रतिशत रुपया खर्च किया जाने वाला था, लेकिन उसमें केवल १३ से १५ प्रतिशत ही खर्च हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि पैकेज प्रोग्राम वाले जो जिले थे, उनमें पैदावार नहीं गिरी, क्योंकि वहां ज्यादा आदमी लगाये गये, ज्यादा साधन जुटाये गये और सभी स्तरों पर ज्यादा प्रयास किये

[श्री भानुप्रतापसिंह]

गये। तो यदि खर्च की ओर हम ज्यादा प्रयत्न करते और इस ओर कोशिश करते तो ज्यादा उपज बढ़ सकती थी। किन्तु हमने वैसा नहीं किया, परिणामतः हमारी उपज गिरी।

मैं आज बोलने वाला नहीं था, इसलिए आंकड़े वगैरह नहीं इकट्ठा किये। फिर भी सन् १९६०-६१ के बारे में बताता हूं। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग पर व्यय के दो वर्ष पहले के आंकड़े बताता हूं इस साल का मैंने जोड़ा नहीं है कि सारे हिन्दुस्तान में जितने राज्य हैं उन सब से कम इस राज्य में खेती के विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय होता है और जितना बजट है वह भी उत्तर प्रदेश में सब से कम है। मौसम के सम्बन्ध में सिर्फ एक बात और। कैश क्राप जिस से किसानों को ज्यादा पैसा मिलता है, उसकी पैदावार घटने की कोई खास बात आप ने नहीं सुनी होगी, क्योंकि उससे पैसा मिलता है और किसान उसमें पैसा लगाता भी है, लेकिन अगर मौसम जिम्मेदार होता तो कैश क्राप्स की पैदावार भी गिरती। मैं यह मानता हूं कि उस की गिरी, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि अनाजों की।

इसके बाद मन्त्री जी ने कहा कि उनका विभाग बहुत अच्छा काम करता है। मेरा विश्वास है कि मन्त्री जी स्वयं खेती की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे उनके विभाग से भी कोई शिकायत नहीं है, वह अपने सीमित साधनों से, जितना धन उसको दिया जाता है जो हम यहां से पास करते हैं उसको देखते हुये उसका कार्य सराहनीय है। लेकिन मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि मन्त्री जी भी योग्य हैं उनका विभाग भी योग्य है फिर भी नतीजे क्यों अच्छे नहीं दिखायी देते इस पर उन्हें गौर करना चाहिये। विभाग से शिकायत मुझे नहीं है, लेकिन यह शिकायत जरूर है कि कुछ ऐसी त्रुटियां हो रही हैं जिनके लिए यहां की सरकार और मुख्यतः भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है जिनके कारण पैदावार नहीं बढ़ रही है। उन कारणों को मैं आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। सब से बड़ा कारण यह है कि किसानों की इस देश में सदियों से उपेक्षा होती चली आयी है और दुर्भाग्य की बात है कि आज भी वह उपेक्षा जारी है।

माननीय मन्त्री जी ने सरकारी फार्मों के विषय में कहा कि उनकी पैदावार कम नहीं हुई। यदि नुकसान होता है तो इस कारण नुकसान होता है कि उन पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू हैं। उनका हिसाब ऐसा रखा जाता है कि जिस पर डिप्रिसिएशन जोड़ा जाता है, उस पर जो काम करते हैं, उन पर मजदूरों की मजदूरी और तनख्वाह जोड़ी जाती है। क्या आप समझते हैं कि किसानों को इस प्रकार की सूची जोड़ने की जरूरत नहीं होती और क्या मिनिमम वैजेज ऐक्ट हमारे फार्मों या किसानों के फार्मों पर नहीं हैं और जो डिप्रिसिएशन आप जोड़ते हैं, उसको बहुत से किसान अगर नहीं जोड़ते, तो दस या पन्द्रह वर्ष बाद उन की मशीनें और उन के जानवर खत्म हो जायेंगे, उनका दिवाला पिट जायगा और उनका काम बैठ जायगा तो उन को किसी न किसी प्रकार के डिप्रिसिएशन की जरूरत है। श्रीमन्, सरकारी फार्मों में जो कठिनाइयां मन्त्री जी ने बतायीं उन के साथ-साथ उन को कुछ विशेष सुविधायें भी प्राप्त हैं। जो कुछ गल्ला पैदा होता है सरकारी फार्मों में उस में से उसको बीज के रूप में मिलेगा ही। इसी तरह से मुर्गे की कीमत पोल्टरी फार्म में १० या १५ रुपये ली जाती है जब कि उसको कीमत बाजार में कहीं यह नहीं होती। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में सरकारी फार्मों को काम करना पड़ता है ठीक उन्हीं परिस्थितियों में और उन से भी अधिक कठिन परिस्थितियों में किसानों को काम करना पड़ता है। तो फिर उन परिस्थितियों में जिन में किसानों को काम करना पड़ता है उस से अधिक सुविधाजनक परिस्थितियों में काम करते हुये भी अगर सरकारी फार्मों पर मुनाफा नहीं होता है तो इसका एक ही नतीजा निकलता है कि जो मूल्य निर्धारित हुये हैं वह किसानों के लिए ठीक नहीं हैं, अन्यायपूर्ण हैं और उस में उन्हें नुकसान होता है।

श्रीमन्, आप ने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि बहुत बातें की गयीं कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया जायगा और उत्साहवर्द्धक मूल्य दिया जायगा और उसी बात को इधर के

बैठने वालों ने भी सराहा कि सरकार बहुत कुछ कर रही है लेकिन मैं केवल एक गेहूं के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। गेहूं दिसम्बर, १९६४ में ९० रुपये २५ पैसे प्रति क्विन्टल था और सन् १९४८ के मुकाबिले में इसका इन्डेक्स १६३ होता है जबकि कृषि उत्पादन से भिन्न वस्तुओं का इन्डेक्स १४२ था। १४२ की तुलना में १६३ गेहूं का मूल्य था। मैं मानता हूं ज्यादा था। उपभोक्ताओं के लिए बहुत कष्टप्रद था। इस को घटना चाहिये और घटकर १४२ के लगभग आना चाहिये, परन्तु आप सब ने समचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने कभी भी गेहूं के मूल्य की घोषणा की है और उन्होंने औसतन कीमतें गेहूं की ४९ रुपये ५० पैसे निश्चित की है। यह ४९ रुपये ५० पैसे जो हैं कितने कम हैं? बहुत कम हैं। इसका अनुमान इस से लग सकता है कि यदि गेहूं को उसी स्तर पर रखें कि जिस स्तर पर कृषि से भिन्न वस्तुओं को रखते हैं तो गेहूं की कीमत जो निश्चित की जाती है वह ७८ रुपये ५० पैसे बैठती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ४९ रुपये ५० पैसे जो कीमत रखी गयी है यह समानता के केवल ६३ प्रतिशत है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब से यह समानता सूचक अंक लिये गये हैं तब से ६३ प्रतिशत गिरावट तक कभी भी मूल्य नहीं उतरा है। हमारे खाद्य मन्त्री जी कहते हैं कि यह सपोर्ट प्राइस है। जब यह ६३ प्रतिशत है तो इसका सपोर्ट किस चीज से है? इस के माने यह हैं कि आप को किसानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। माननीय कृषि मन्त्री जी ने कहा कि हम घाटा उठाते हैं क्योंकि हम को मजदूरी देनी पड़ती है। मैं उन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरी हम भी देते हैं। और हम को भी मशीनरी का ह्रास देखना पड़ता है। उन को यह देखना चाहिये कि यदि यही रवैया रहेगा सरकार का, तो उत्पादन नहीं बढ़ सकता है।

श्रीमन्, खेती के उत्पादन न बढ़ने के कारण सैद्धान्तिक भी हैं और मैं कृषि मन्त्री जी के भाषण का ही उदाहरण देना चाहता हूं। ऐग्रीकलचर सप्लाई सर्विस की स्थापना उन्होंने की। उस ने सराहनीय काम किया, परन्तु केन्द्रीय सरकार को यह बात पसन्द नहीं है। हमारे जो सामुदायिक विकास के मन्त्री हैं वे इसको बुरी निगाह से देखते हैं। यदि कोई कमजोर मन्त्री होता तो शायद उस को तो सप्लाई आर्गनाइजेशन को हटाना ही पड़ता। उन्होंने बताया कि किसानों को कुआं बनाने के लिए भारत सरकार तब तक सबसिडी देने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि सरकारी ढंग से उन को न बनाया जाय। क्या कोई व्यक्ति अकेले कुआं बना लेगा। और क्या इस से जो पानी निकलेगा उस से पैदावार नहीं बढ़ेगी? इसी प्रकार से बीज के वितरण के प्रोग्राम को सैद्धान्तिक आधार पर बनाकर सत्या नाश कर दिया। सारा बीज का काम सहकारी विभाग को सौंप दिया गया। कल मन्त्री जी ने बतलाया था कि १ लाख ७५ हजार मन बीज कृषि विभाग के द्वारा बांटा गया। बीज की आवश्यकता लगभग ८० लाख मन के है। अगर हमको प्रत्येक ५ वर्ष में नए बीज को पहुंचाना है तो उसकी तुलना में यह कितना कम है? सारी योजनायें क्यों फेल हुई, क्योंकि सैद्धान्तिक आधार पर थी। सारा काम क्या सहकारिता के द्वारा ही होगा? मैं चाहता हूं कि सहकारिता बढ़े। साथ ही मैं यह देखता हूं कि सहकारिता के पीछे देश का सम्पन्न होना, गरीबी का दूर होना और खेती का उत्पादन न बढ़ना रुक रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सैद्धान्तिक कारणों को अलग रख कर केवल हमारे सामने देश के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए।

अन्त में मैं कृषि विभाग के संगठन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस की गुटबन्दी से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं किसी का बैरोकार भी नहीं हूं। अगर कृषि मन्त्री जी के पास से एक दो यह पोर्टफोलियों भी छीन लिए जायं और वे हमारी तरफ आ जायं तो मैं समझता हूं कि किसानों का अधिक भला होगा।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

इसलिए मैं उन के पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मन्त्री जो भी हो, अगर उसके अधिकार इस प्रकार सीमित रखे जायेंगे तो वह खेती का विकास नहीं कर सकेंगे। यदि मैं इस सिलसिले में अमेरका की बात कहूं तो लोग कहेंगे कि पूंजीवादी देश है और मैं स्वतन्त्र पार्टी का हूं। मन्त्री जो भी अमेरिका से नाराज रहते हैं इसलिए मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। यहां से एक कमीशन बाहर गया था, थापर साहब उसके चेयरमैन थे। उनकी रिपोर्ट में लिखा है कि चीन में कृषि विभाग के अन्तर्गत ही एक्सटेंशन का सारा काम होता है। यहां सामुदायिक विकास विभाग ऊपर बैठा है और कृषि विभाग उसका अंग मात्र है। उसको कोई अधिकार नहीं हैं। आप रूस और चीन के अनुसार ही इस संगठन को बना दीजिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कृषि विभाग के अन्तर्गत जितने कृषि से सम्बन्धित विभाग हैं वे होने चाहिए। यही तरीका सारी दुनिया में है, अमेरिका, चीन, जापान सभी में ऐसा है। हर जगह कृषि विभाग मजबूत बनाया गया है और सारे काम उसके सुपुर्द किए गए हैं।

मैं दो-चार सुझाव और देना चाहता हूं। माननीय शिवराज सिंह ने बतलाया कि दो-चार मुख्य फसलों को छोड़ कर सभी फसलों की पैदवारा प्रति एकड़ घट रही है और उसका कारण यह है कि उन्हीं दो, तीन फसलों पर हमारे यहां रिसर्च होती है। बाकी फसलों की उपेक्षा हो रही है। उन फसलों का कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफी योगदान है और उनका विशेष महत्व है। अतः मैं कृषि मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने रिसर्च सेक्शन को मजबूत बनायें और उनके अनुसंधान की ओर विशेष ध्यान दें।

दूसरे, हरी खाद का मद्रास में प्रयोग किया गया सब से ज्यादा और नतीजा भी वहां अच्छा मिला है। धान के खेत में मेंड़ों पर उन्होंने हरी खाद की फसल पैदा की और एक प्रकार से वे मेड़ों पर खेती कर के खाद के मामले में स्वावलम्बी हो गए हैं। इसी प्रकार बिहार में भी इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है, लेकिन हमारे प्रदेश में इस ओर कोई काम नहीं हुआ है। इस दिशा में मन्त्री जी से प्रार्थना है कि हमारे यहां भी रिसर्च होनी चाहिए। जायद फसलों की तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस ओर कोई प्रगति नहीं हुई है। जहां कहीं भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। हमारे यहां अभी तक कोई भी जायद फसल संतोषजनक नहीं हुई है। चेना, सांवा आदि रायबरेली, प्रतापगढ़ की तरफ काफी होता है। अभी तक उनका कोई सेलेक्शन नहीं हुआ है। कोई नस्ल भी नहीं निकाली गयी है जो अच्छी कही जा सके। रेंड़ भी मिली है। यह सब चीजें हैं जिन पर रिसर्च होना चाहिए। शायद फसलों पर रिसर्च करके नयी-नयी फसलों को किसानों को बताना चाहिए।

इसके अलावा खाद्यान्न का उत्पादन गिरने का एक कारण गांवों में ला ऐंड आर्डर की स्थिति का बहुत शोचनीय होना भी है। किसान के दिमाग में २४ घंटे में ८-१० घंटे तो इसी सोच विचार में निकल जाते हैं कि किस तरह से प्रधानों तथा सरपंचों के, या पुलिस विभाग के फंदों से बचा जाय। आये दिन उसको कभी किसी के दरबार में, कभी किसी के दरबार में खड़े रहना पड़ता है। उसके दिमाग में बड़ी परेशानी रहती है।

खड़ी फसलों की चोरी भी तीव्र गति से गांव में बढ़ती जा रही है। यह बड़ा घातक है। मैंने माननीय कृषि मन्त्री जी से निवेदन भी किया था कि वे ऐसा कानून बनायें जिसके द्वार खड़ी फसल की चोरी कागनीजेबिल आफेन्स हो और उसके लिए कड़ी सजा की व्यवस्था हो।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, माननीय कृषि मन्त्री जी ने कृषि के महत्व पर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। कृषि उत्पादन के लिए ३ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं—जमीन, श्रम और पूंजी। सरकार द्वारा पूंजी पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है और उसका कारण

यह है कि सरकार यह समझती है कि पैसा ही काश्तकार को पैदावार को बढ़ाने में सहायक हो सकता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने भूमि के सम्बन्ध में जो सुधार किए हैं उनमें दो सुधार तो ऐसे हैं जिन्हें बुनियादी तौर पर अच्छा कहा जा सकता है––जैसे काश्तकारों को बेदखली से रोका जाना तथा जो मध्यस्थ थे उनको समाप्त करना। इसके अलावा जो और दो सुधार हुए चकबन्दी तथा सीलिंग वे उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। चकबन्दी से तो माननीय कृषि मन्त्री का सम्बन्ध नहीं है, वह उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, इसलिए मैं सीलिंग के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूं। (मन्त्री जी के कुछ कहने पर) मन्त्री जी कह रहे हैं कि अधिकतम जोत सीमा भी उनके जूरिस्डिक्शन में नहीं है, लेकिन और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। अभी स्वतन्त्र दल के माननीय नेता ने यह जिक्र किया कि फसलों की चोरी बहुत ज्यादा होती है, और ला ऐंड आर्डर की बहुत परेशानी है। भूमि का जो वितरण हमारे यहां हुआ, वह सही ढंग से नहीं हुआ। आज भी जमीन के ऊपर ऐसे लोगों का अधिकार है, जो ज्यादातर अपनी खेती मजदूरों से और नौकरों से कराते हैं। आज खेती में ८० फीसदी से ज्यादा कन्ट्रीब्यूशन लेबर का होता है। जब तक स्वयं किसान अपनी दशा को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक किसान स्वयं अपने हाथों से खेती नहीं करेगा, तब तक पैदावार में वृद्धि होना कठिन है। दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि जिस मजदूर से हम खेती का काम लेते हैं, उसको सबसे कम वेजेज मिलती है। खेती के मजदूरों से २४ घंटे में १८ घंटे तक काम लिया जाता है। ऐसे मजदूरों को रहने के लिए मकान जो हैं, वे बहुत ही खराब हैं। मान्यवर, कृषि की दशा सुधारने के लिए यह परम आवश्यक है कि मजदूर की दशा में सुधार किया जाय। एक तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी के पास ३०० बीघा जमीन है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मजदूर के पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इन ब्लाक स्तर पर जो अधिकारी नियुक्त किए हैं, उनका जो डिमांस्ट्रेशन का तरीका है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)––

मजदूर का अभी आपने जिक्र किया था, उसकी तनख्वाह आप क्या चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष––

आप बैठ जाइए।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)––

डिमांस्ट्रेशन के सम्बन्ध में मैं आपके सामने कह रहा था, जो डिमांस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा होते हैं, उसमें अधिकारी केवल ऐसे आदमी को चुन लेते हैं, जिसके वहां अधिकारी रहता है, और उसी के यहां खाता है, और उसी के जिम्मे उसका पूरा भार रहता है। डिमांस्ट्रेशन का काम जो होगा, वह अधिकारी उसी व्यक्ति के हाथ से दिखाएगा, चाहे उसके द्वारा दिखाने में कोई लाभ हो या न हो। वह ऐसे क्षेत्रों में डिमांस्ट्रेशन का काम नहीं लेंगे, जहां से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके।

अभी माननीय मन्त्री जी ने जो बीज के सम्बन्ध में एक बात कही उसके बारे में यह कहना है कि बीज का जो वितरण होता है वह समय से नहीं हो पाता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और उसकी फसल विलम्ब के कारण कमजोर हो जाती है। नागा ब्लाक की बात मैं आप से बताऊं। वहां पर गबन के सम्बन्ध में किसी और आदमी का हाथ नहीं था, बल्कि

[श्री रामसिंह (सहारनपुर)]

ऊपर के जिले के अधिकारी का हाथ था, लेकिन सजा उसमें दो कामदारों को मिली, बाकी अधिकारी जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया और यह आश्वासन मिला कि इसकी इन्क्वायरी फिर होगी, तब तक सरकार इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी।

एक बात मैं रहट के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। सिंचाई के सम्बन्ध में आपने रहट वगैरह का प्रबन्ध किया है और रहट बनाने वालों को आपने टिन का कोटा कन्ट्रोल रेट पर दिया है, लेकिन अगर काश्तकार उनसे उस रहट को खरीदता है तो वे उससे मन माने दाम वसूल करते हैं। इस ओर भी सरकार ध्यान दे। श्रीमन्, एक बात आपके सामने मैं और कहना चाहता हूं कि कृषि मन्त्री खुश होते हैं जब यह कहा जाता है कि कृषि मन्त्री के अन्तर्गत कितने विभाग होने चाहिए.....

श्री चरणसिंह—

मैं इस पर प्रोटेस्ट करता हूं। मैंने यह कभी नहीं कहा। मुझसे जब कोई कहता है तब मैं कहता हूं कि मुझसे हरगिज ऐसी बात न कहें।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मन्त्री जी से वह बात कही जाय जिससे वे नाराज हों ?

श्री रामसिंह—

इस बात के सम्बन्ध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि कृषि विभाग को यदि लिया जाय तो शायद कोई ऐसा विभाग होगा जो कृषि विभाग से किसी न किसी रूप में सम्बन्धित न हो। कृषि से ही सम्बन्धित प्लानिंग है, बिजली है, इन्डस्ट्रीज आदि सभी कृषि से ही सम्बन्धित हैं। (व्यवधान) मेरे बोलने से यदि परेशानी होती हो तो मैं अपना स्थान ग्रहण किए लेता हूं।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आपके दो मिनट रहे हैं। लाइट होने के बाद भी दो मिनट होते हैं।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)—

मैं नहीं समझता कि मेरे बोलते समय चारों तरफ से क्यों इन्टरेप्शन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए।

(श्री रामसिंह ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

(माननीय रामकिशोर त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, हमारी पार्टी का भी एक सदस्य बुलवाइए।

श्री बलवानसिंह—

क्या जनसंघ और समाजवाद एक हैं। आप वहां बैठे हैं।

श्री उग्रसेन—

हम जनसंघ के साथ चले गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

(श्री राम किशोर त्रिपाठी से) आप ६–७ मिनट बोलिए।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)––

श्रीमन्, आज कृषि विभाग से सम्बन्धित अनुदान पर चर्चा हो रही है। हमारे देश में जितना कृषि पर भार है वह शायद ही और किसी देश में हो। सारे प्रदेश में ७४ फीसदी ऐसे लोग हैं जो खेती पर निर्भर रहते हैं। जब तक इस भार को कम नहीं किया जाता तब तक मैं समझता हूं हमारे प्रदेश की स्थिति दिन प्रति दिन गिरती चली जावेगी। श्रीमन्, मैं यह भली प्रकार जानता हूं कि माननीय कृषि मन्त्री स्वयं एक किसान हैं और उनको किसानों की स्थिति की काफी जानकारी है और वे यह भी चाहते हैं कि किसानों की दशा सुधरे। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में दो पंचवर्षीय योजनायें बीत चुकी हैं, किन्तु कृषि पर जो भार बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या योजनायें बनाई हैं और इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? आप श्रीमन्, देखें कि एक आदमी खेती के साथ-साथ नौकरी और उद्योग भी करता है और इस प्रकार एक आदमी को अनेक कार्य में मौका मिलता है, परन्तु बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक भी काम नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की व्यवस्था हो कि एक व्यक्ति के पास एक ही पेशा रहे 'वन मैन वन प्रोफेशन' की जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक लोगों की व्यक्तिगत परेशानियां बनी रहेंगी। श्रीमन्, सब से बड़ी कठिनाई यह भी है कि आज कहने को तो समाजवाद की बात कही जाती है, लेकिन किसानों में तीन तरह की श्रेणियां आज भी बनी हुई हैं––१––भूमि-धरी अधिकार प्राप्त, २––सीरदारी अधिकार प्राप्त, ३––आसामी के अधिकार प्राप्त। इन असमानताओं को दूर करना पड़ेगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज का किसान अनसरटेन है। जो जमीन उसके पास है, उसको विश्वास नहीं है कि वह उसके पास रहेगी या नहीं। आज चकबन्दी को १० बरस हो गए और लगभग १० बरस और लग सकते हैं। नतीजा यह है कि किसान को जितनी मेहनत करनी चाहिए, उतनी मेहनत वह नहीं कर पा रहा है। यह भी देखा गया है कि अपनी जमीन अपने पास रखने के लिए चकबन्दी में लाखों रुपया रिश्वत का देना पड़ा है और इससे किसानों की स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है।

बाराबंकी में अधिकारियों के बीच में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। मिसाल के तौर पर वहां पर जो दफ्तर है उसमें असिस्टेंट एकाउन्टेंट की तनख्वाह ली जाती है लेकिन कई सालों से वहां पर कोई असिस्टेंट एकाउन्टेन्ट नहीं हैं। दूसरे क्लर्क को पैसा दे दिया जाता है।

रामनगर फार्म जो सन् ४८ से चल रहा है उसका आजतक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। जितनी जमीन किताबों में दर्ज है, उससे अधिक पर खेती होती है और वहां पर जितनी पैदा होती है उसको जिला अधिकारी तथा दूसरे अधिकारी बांट कर खाते हैं। अनेक बार माननीय मन्त्री जी के सामने भी यह बात लायी गयी लेकिन ऊपर के अधिकारियों के कारण समस्या अभी तक वैसी की वैसी ही बनी हुई है।

हैदरगढ़ में ट्यूबवेल की व्यवस्था गत् ३१ मार्च तक पूरा होने का सदन में आश्वासन था लेकिन पिछले साल से आज तक उसकी व्यवस्था नहीं हो पायी है। इसके अलावा पिछले साल जिले में सूअर पालन के लिए ३५ हजार रुपया व्यक्तिगत लोगों को अनुदान के रूप में दे दिया गया और फर्जी नामों में उसको दिखा दिया गया और कागजों में यह दिखा दिया गया कि सूअर खरीदे गये और मर गये। जिनको यह रुपया मिलना चाहिए था उन लोगों को नहीं मिल पाया।

श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अभी तक पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कह लीजिएगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि सम्बन्धी अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। आज हमारे सामने एक जटिल भयंकर समस्या है। अगर यह कहा जाय कि अकाल की स्थिति नही है तो अकाल की-सी जरूर है। करोड़ों आदमी हमारे प्रदेश में भूखे हैं अथवा इतना खाते हैं कि केवल वह अपना जीवन चला सकें। एक तरफ जनसंख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ कृषि उत्पादन कई वर्षों से घटता जा रहा है। इससे तमाम आर्थिक और सामाजिक जीवन उजड़ कर रह गया है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि कृषि मन्त्री जी ने यह सही कहा है कि कृषि की उन्नति की अत्यन्त आवश्यकता है और इस ओर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मान्यवर, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कृषि विभाग ऐसी परिस्थिति में अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर रहा है या नहीं, क्या माननीय मन्त्री जी अपने विभाग से खुद सन्तुष्ट हैं या नहीं? इसके अतिरिक्त माननीय मन्त्री जी से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या वे उन विभागों से जिनसे माननीय मन्त्री जी के विभाग का चोली और दामन का साथ है, सन्तुष्ट हैं? क्या हम कृषि की उन्नति इन विभागों द्वारा कर रहे हैं या किसान अपने बलबूते पर कर रहे हैं? मान्यवर, मैं यह जरूर चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी जब बहस का जवाब दें तो इसके ऊपर भी अवश्य ध्यान रखें। दरअसल किस्सा तो यह है कि अगर फसल अच्छी हुई तो यह कृषि विभाग के बल-बूते पर नहीं हुई, बल्कि किसान ने स्वयं इसमें इनिशिएटिव लिया। आज किसान की जो मजबूरी है और जो उसकी हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। इसको श्रीमन्, आप भी और माननीय कृषि मन्त्री जी भी खूब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जिन चीजों की किसानों को आवश्यकता है, वे चीजें उनको आज वक्त पर मिल जाया करती हैं? जिस वक्त उसे फर्टीलाइजर की आवश्यकता होती है और उसके लिये वह ख्वाहिश जाहिर करता है, मेरा खयाल है कि एक या दो महीने में उसे मिल गया तो मिल गया वरना मिल ही नहीं पाता है। जिस वक्त पानी लगाने का वक्त आता है उस वक्त नहर में पानी ही नहीं होता या सरकारी नलकूप ही खराब मिलता है। इसी तरह से कई और जरूरी चीजें जो होती हैं वे उसे समय पर नहीं मिलती हैं। जहां तक सरकार से कर्जे के रूप में रुपया हासिल करने की बात है, इससे बेहतर वह यह समझता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से रुपया ले ले जिसको कुछ सूद भी देना पड़े क्योंकि वह जानता है कि सरकार से वक्त पर रुपया नहीं मिलेगा और उसे प्राप्त करनें में भी इन्तहा कठिनाई है। जब तक किसान को वक्त पर रुपया न मिले, खाद और पानी न मिले, उस वक्त तक कृषि की उन्नति नहीं हो सकती है।

मैं कृषि मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका विभाग जनता से तथा कृषक वर्ग से कोई सम्पर्क रखता है? क्या कोई भी डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर या कोई इन्स्पेक्टर कृषकों की समस्याओं को समझता है और उनकी हालत को देखने व समझने के लिए क्या कोई गांवों में जाता है? मेरा खयाल है कि कोई नहीं जाता है। केवल दफ्तरों में बैठ कर काम करने से कृषि की उन्नति नहीं हो सकती है। ऐसे आप अपने को कृषकों के हितैषी कहते हैं, लेकिन इसके बरअक्स कृषकों का कृषि विभाग में विश्वास नहीं रहा और यह सब से बड़े दुख की बात है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी अपने विभाग की इस खामी को जरूर दूर करें जिससे कृषकों को इस विभाग के ऊपर विश्वास हो। उदाहरण के तौर पर मैं अपने क्षेत्र का ही एक किस्सा माननीय मन्त्री जी को पेश कर चुका हूं कि किस तरह वहां के कृषकों ने कृषि विभाग के हार्टिकल्चर सेक्शन के अन्तर्गत कुछ दरख्तों को पाला पोसा और जब वे बड़े हुए तो आम के दरख्त जिस किस्म के कृषकों ने लगाए थे वे न निकल कर बीजू

निकल गए और आड़ू के पेड़ भी बिल्कुल बीजू निकले। अब आप खयाल करें कि उन किसानों को कितना सदमा हुआ होगा और इस तरह से उनकी सारी मेहनत जो वर्षों की थी वह रायगां चली गयी और जब विभाग ने उसकी जांच करवायी तो उन्हीं किसानों पर इसका भी इल्जाम डाल दिया गया। ऐसी हालत में आप सोच सकते हैं कि किस तरह कृषकों का इस विभाग के ऊपर विश्वास रह सकता है?

आज फर्टीलाइजर बांटने की यह हालत है कि अगर किसान एक बोरी लेता है तो लिख दिया जाता है दो बोरी। तो किस तरीके से विश्वास रह सकता है ....

श्री चरणसिंह---

यह किस जगह हुआ?

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

बहुत जगह हुआ है, १, २ जगह नहीं। यह हर विकास खण्ड के अन्दर हुआ है, होता रहा है और होता रहेगा। इन सब को रोकना आवश्यक है।

श्री चरणसिंह---

कृषि विभाग से किस जगह लिया गया और १ बोरी की २ बोरी लिखा गया इसकी तफसील मुझे लिख कर दे दें मैं फौरन कार्यवाही करूंगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

मैं मन्त्री जी का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं बताता हूं कि ऐसा होता है और मन्त्री जी को इस पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो कृषि से सम्बन्धित विभाग हैं उनकी क्या हालत है, क्या वह सहयोग देते हैं? जरा भी नहीं देते।

गन्ना विकास विभाग को देखें। माना कि मन्त्री जी का उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि वह विभाग जिनका आपसे चोली दामन का साथ है, वह आपको सहयोग देते हैं कि नहीं। मेरे क्षेत्र में लाखों रुपए का नुकसान किसानों को हुआ। वहां ३१२ नम्बर का गन्ना किसान बोते थे, लेकिन उसमें इतनी जबरदस्त बीमारी लगी कि लाखों रुपए का गन्ना किसानों का सूख गया। मैंने एक सवाल भी किया जो बदकिस्मती से गन्ना विकास विभाग को चला गया और २२ रोज तक उस विभाग ने उसको नहीं लौटाया और जिस रोज जवाब देना था उस दिन यह कह कर लौटाया कि इसका कृषि विभाग से सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो गया।

[माननीय रामसिंह (एटा) के बुलाए जाने पर]

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, आप १ घंटे का समय और बढ़ा दीजिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, जब हम लोग कहते हैं तो नहीं बढ़ाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं। पहले यह समाप्त कर लें।

श्री रामसिंह (जिला एटा)—

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कृषि के बारे में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। सरकार ने जो भूमि संरक्षण और उसके उद्धार की योजना बनायी है वह अच्छी है। भूमि जो कृषि के अन्तर्गत है उसे कृषि के अन्तर्गत रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ-साथ जो जमीन ऊसर और बंजर है उसको भी कृषि योग्य बनाना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। सघन खेती हो सकती है, वहां तक हो सकती है कि उसकी उत्पत्ति अधिकतम हो जाय। लेकिन उसके पश्चात् जब उत्पत्ति उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती तो विस्तृत खेती पर ही हमको आना पड़ता है जिसके लिए हमको हर सूरत में ऊसर और बंजर जमीन को लाना पड़ेगा। उसको उपजाऊ बनाने के लिए सरकार ने जो योजना बनायी है वह अच्छी है, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इस योजना के प्रयोग का जो तरीका रखा गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। एक तरीका यह है कि योजना जब सरकार लागू करती है तो उसके अन्तर्गत जिस जमीन को लेती है उसको अपनी जमीन समझ कर व्यय करती और उपजाऊ बनाने के लिए कोशिश करती है। इसमें मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि जिस वक्त पैमाइश हो कि इसको उपजाऊ बनाने के लिए लिया जायगा तो उस पैमाइश के बाद ही वह जमीन भूमिहीनों में वितरित कर दी जाय जिससे वह अपनी जमीन समझ कर ही उसमें अन्न पैदा करे। इससे फायदा यह होगा कि जिस काम को वह ज्यादा दिनों में करना चाहता है कम दिनों में वह उसे करे।

इसके साथ ही साथ ऊसर जमीन पर ऋण जो मिले वह एकरेंज के हिसाब से दिया जाय और उस ऋण के साथ-साथ इसको इस ढंग से रखा जाय कि ३ किश्तों में मिल जाय जिससे मेड़बन्दी में, या सिंचाई में या और दूसरे उपयोगों में खर्च अच्छी तरह से कर सके। इस योजना के अन्तर्गत जब यह ऋण उसको मिल जाय और वह उस जमीन को उपजाऊ बना ले तो मेरी राय यह है कि उस ऋण को इस तरीके से वसूल लिया जाय कि पहले साल में थोड़ा सा अर्थात् लगभग १/४ वसूल किया जाय और इसी प्रकार से अगले वर्ष १/४ लिया जाय। इस तरह से ५ किश्तों में उस किसान से रुपया वसूल किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रामसिंह (एटा)—

श्रीमन्, जरा-सा और समय दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री रामसिंह (एटा)—

जो रुपया उसको दिया गया है उसमें उसको अनुदान भी दिया जाय जिससे उसको सहायता भी हो सके और वह उस रुपये को अपनी खेती को उन्नत बनाने के साधनों पर जुटा सके।

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, मैं उन सभी वक्ताओं को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव पर बोलकर कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला है। वास्तव में मंत्री

जी ने अपने भाषण में जिस वाक्य का प्रयोग किया है उस वाक्य के आधार पर मुझे माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देने में प्रसन्नता है। उन्होंने स्वतः यह माना है कि अभी तक कृषि की ओर कोई समुचित ध्यान नहीं दिया गया था। अच्छा है कि उन्होंने अब कृषि विकास की आवश्यकता को महसूस कर लिया है जबकि खाद्यान्न में कमी हुई है और इसके भाव बढ़े हैं। इससे साफ स्पष्ट है कि जो आलोचनाएं और दोनों ओर के माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं वे सही हैं। अभी तक कृषि की ओर वास्तव में ध्यान नहीं दिया गया है। पर खेद तो इस बात का है कि ऐसा महसूस कर लेने के बाद भी अन्न के उत्पादन में कमी हुई है। यदि १९६३-६४ के बजट को देखा जाय तो इसमें केवल २ करोड़ और ४९ लाख की वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर कम से कम जो कृषि बजट का है उसमें अन्य विभागों से घटाकर जैसे समाज कल्याण विभाग जिनमें व्यर्थ में अधिक खर्चा होता है बढ़ाया जाय ताकि उसे बचा कर अनुसंधान आदि के कार्य में या कृषि उद्योग की वृद्धि में खर्च किया जाय ताकि देश और प्रदेश का सर्वतोन्मुखी आर्थिक विकास, जो खेती पर निर्भर है, हो सके।

मैं माननीय मंत्री जी का चन्द शब्दों में कृषक समाज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जोकि नये कृषकों के हित में स्थापित किया गया है। श्रीमन्, कृषक समाज का मुख्य उद्देश्य यह रखा जाय कि इस प्रकार रिसर्च वर्क करके देश तथा प्रदेश के सामने डेटा रखें कि किसान जो पूंजी तथा श्रम लगाता है उसके लिए वास्तव में उसको क्या मूल्य मिलना चाहिए और प्रति एकड़ वास्तव में उसे क्या मूल्य मिलता है और कितने प्रतिशत फी एकड़ किसान घाटे का व्यवसाय करता है। जब तक यह बात सदन में हमारे सामने नहीं आयेगी तब तक सरकार पर प्रभाव नहीं डाला जा सकेगा।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि उन के पास कागजी काम इतना अधिक बढ़ गया है कि उनको अपनी टेक्निकल जीनियस को कृषि क कार्यों में लगाने का मौका नहीं मिलता। इसलिए कागजी काम उनसे कम से कम कराया जाय।

अन्त में माननीय मंत्री जी का ध्यान आगरा डिवीजन में एटा जिले की ओर दिलाना चाहूंगा जहां कि भूमि में कुछ क्षार, लवण तथा कंकड़-पत्थर बढ़ रहे हैं। इसको रोकने की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, रिसर्च वर्क कराया जाय, उसके कारणों को ढूंढ़ा जाय और उन कारणों को दूर किया जाय। भूड़ एरिया में मूंगफली की उत्पत्ति बढ़ाने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। भूड़ का एरिया एटा, मैनपुरी तथा बदायूं इन तीन जिलों में काफी है इसलिए इस प्रोग्राम में इन तीनों जिलों को लेने की कृपा की जाय।

कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य तथा उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में, मुनाफे में एक तालमेल बैठाया जाय ताकि कृषक के साथ अन्याय न हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मंत्रिमंडल पर प्रभाव डालें कि कृषक के लिए अधिक धन की आवश्यकता है ताकि आगामी वर्षों में इस बजट को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके।

श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिन दोस्तों ने इस विवाद में हिस्सा लिया है उन्होंने कृषि विभाग में दिलचस्पी ली और जिस हद तक दिलचस्पी ली उस हद तक मैं उनका मशकूर हूं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि विरोधी दल के लोगों ने इस के लिए एक ही दिन क्यों रखा? जैसा मैंने कहा कि एक दिन इसके लिए नाकाफी है। इससे मालूम होता है कि विरोधी दल के लोगों को कृषि से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, बातें चाहे कितनी ही करें।

[श्री चरणसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था उन्होंने अपनी इब्तदाई स्पीच में और इस स्पीच में भी यह कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि मंत्री जी की और गवर्नमेंट की समझ में कृषि का महत्व आ गया है। मैं इसको मानता हूं कि गवर्नमेन्ट की भी समझ में उसका महत्व आया। लेकिन यह कि गवर्नमेंट की ही समझ में कृषि का महत्व अब तक नहीं आया यह बात मैं नहीं मानता हूं। यह बात हम लोगों की समझ में अभी आई बल्कि अपोजीशन की समझ में भी यह बात अभी आई है। सभी ने इसको समझने में देर की। जब कभी हम यह सुन लेते हैं कि दो करोड़ की कोई फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगेगी तो यह भावना हम लोगों की हो जाती है कि हमारे यहां तरक्की होगी। मुझे मालूम है, लेकिन मैं फैक्ट्री और जिले का नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक फैक्ट्री ने २०० एकड़ जमीन ली। मैंने कहा कि कितनी लेबर लगेगी, तो बताया गया कि २०० आदमी लगेंगे। क्या इससे देश का औद्योगीकरण हो जायगा ?

मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई औद्योगीकरण नहीं हो सकता है, न तिजारत बढ़ सकती है और न ट्रांसपोर्ट ही बढ़ सकता है और जितने लड़के आपके आ रहे हैं उनको इम्प्लायमेंट भी नहीं मिल सकता है जब तक कि खेत का उत्पादन खेती करने वाले व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा न हो जाय। जब तक यह नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमारी इंडस्ट्रीज जो आज लगती हैं चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, वह बन्द हो जायेंगी। यदि बन्द नहीं होंगी तो उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है यदि खेत की पैदावार नहीं बढ़ेगी। न तो फैक्टरीज को कच्चा माल मिलेगा और जो गुड्स उसमें पैदा होंगे उनको मारकेट नहीं मिलेगा। इसलिए जब खेती की पैदावार बढ़ेगी तभी यह चीज हो सकेगी। सब से पहले खेत की पैदावार बढ़नी चाहिए। इसमें आपका या मेरा कोई दोष नहीं है, बल्कि सारे देश का दोष है। हमने समझा कि ७० प्रतिशत लोग खेती पर लगे हुए हैं इसलिए उसकी तरक्की अपने आप हो जायगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जरूरी है और जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक देश की गरीबी नहीं मिट सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय तक नहीं होगा जब तक देश में खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी। खेत और कारखाने का क्या रिश्ता है यह हमारी आंखों से ओझल हो गया था, लेकिन अब यह मालूम होने लगा है कि कारखाने तभी चलेंगे जब खेती की पैदावार बढ़ जायगी। यह क्रेडिट ले लेना और नुक्ताचीनी करना बात दूसरी है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी की सूचना के लिए बता दूं कि जनसंघ ने सन् १९५२ से ही प्रयत्न किया है कि खेती को प्राथमिकता दी जाय।

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय डेढ़ घंटा ले लिया था इसलिए दो बातें मैंने नहीं कहीं जो शुरू में मुझे कहनी चाहिए थी। अब तीन बातें कहना चाहता हूं। स्वायल टेस्टिंग बहुत जरूरी है। किसी खास खेत में क्या कमी है, उसमें किस तरह की खुराक दी जाय जिससे वह कमी पूरी हो जाय और पैदावार बढ़ जाय। यह समस्या हमारे सामने थी। एक स्कीम बनाई गई जो पिछले बजट में शामिल थी और उस पर अब अमल होना शुरू हो गया है। किसानों की तादाद एक करोड़ २ लाख है, खेतों की तादाद कितने करोड़ होगी इसका हिसाब लगा सकते हैं। इतनी बड़ी समस्या है और हमारे पास साधन इतने सीमित हैं कि यह काम बहुत मुश्किल दिखाई देता है। कहां से इतने टेकनिकल परसोनेल आयें ? तो फिर अब मैंने एक छोटी-सी स्कीम चलाई है। परमात्मा करे वह धीरे-धीरे बढ़ जाय और वह धीरे-धीरे बढ़ भी जायगी। स्वायल टेस्टिंग के लिए हमारे यहां १७–१८ लेबोरेट्रीज थीं। जो कृषि के डिग्री कालेज हैं, उनके अध्यापकों से, मैनेजमेंट से मैंने इसके लिए प्रार्थना की कि यहां

लेबोरेट्रीज हैं, टीचर्स हैं आप लोग अपने यहां के आस-पास के इलाके के गांवों के किसानों के खेतों की मिट्टी की टेस्टिंग का काम शुरू करें। वह सब राजी हो गये। हमने उनके यहां के प्रोफेसरों को बुलाकर कानपुर में उन सब की ट्रेनिंग कराई और इक्विपमेंट भी दे दिये, यह भी कर दिया कि जितने सेम्पुल वह टेस्ट करेंगे, हर टेस्टिंग पर २ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इस विषय से संबंधित सारी सूचना और जानकारी प्लानिंग डिपार्टमेंट के बी० डी० ओ० के जरिये हमने किसानों तक भिजवाने का प्रयत्न किया है। मिट्टी किस तरह निकाली जाय यह बहुत जरूरी बात है और किस तरह उसका हिसाब रहेगा वह सब मैंने भिजवा दिया। तो अब जितना उसमें कार्य किया है हमने पिछले साल, वह मैं आपकी इजाजत से सदन को बताना चाहता हूं क्योंकि इस में सबके लिए दिलचस्पी की बात है। सेंट्रल स्वायल टेस्टिंग लेबोरेट्री जो कानपुर में है उसके अतिरिक्त हमने १८ गवर्नमेंट लेबोरेट्रीज इस काम के लिए और खोली हैं, जो पूरे प्रदेश भर में फैली हुई हैं। सेंट्रल स्वायल टेस्टिंग लेबोरेट्री, कानपुर ने स्वायल टेस्टिंग में बड़ी अच्छी प्रगति दिखाई है, जो इससे स्पष्ट है कि सन् ६१-६२ में १६ सेम्पुल्स टेस्ट किए गये, ६२-६३ में ३,१९५; ६३-६४ में ५,२८९ और १९६४-६५ में १४,३१३ सेम्पुल्स टेस्ट किए गये।

इसके अलावा उपरोक्त दूसरी गवर्नमेंट लेबोरेट्रीज जो हैं उनके पास ४० हजार सम्पल्स टेस्टिंग के लिए केसेज आए और उसमें से २०,००० की टेस्टिंग हुई और आशा है कि अगले वर्ष में ४०,००० सेम्पल्स टेस्ट किए जायेंगे। स्वायल टेस्टिंग के कार्य के महत्व को देखते हुए इस कार्य के लिए २५ डिग्री कालेजों को भी सुविधा दी गई है, जिनसे आशा है कि वह प्रति वर्ष साढ़े सात सौ से ८ सौ तक केसेज टेस्ट करेंगी। जनवरी, १९६५ तक इन प्राइवेट कालेजों में करीब ९,००० सेम्पल्स प्राप्त हुए थे, जिनमे से ४,००० सेम्पल्स जांच करके भेजे जा चुके हैं। मैं समझता हूं कि यहां से साल भर में २०,००० करीब सेम्पल करके भेजे जाया करेंगे। किसानों को अभी इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। मैं आपके जरिए माननीय सदस्यों से बताना चाहता हूं कि आप किसानों को अपने अपने क्षेत्र में इस विषय में बतायें कि यदि वह भूमि की खराबी को जानना चाहते हैं और जान कर उसे दूर करना चाहते हैं तो वह अपने खेत की मिट्टी टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं और वह यह भी बतायें कि वह लेबोरेट्रीज कहां-कहां हैं। मैं समझता हूं हमारे सदस्यों के पास जो पुस्तक गई है उसके द्वारा उन्हें सूचना है और यदि नहीं है तो वह सारे कायदे और लिस्ट उनके पास फिर भेजवा दूंगा। मैं इस मामले में हाउस के मेम्बरों की मदद चाहता हूं।

दूसरी बात जो है वह प्रि-सर्विस ट्रेनिंग की है। अभी तक जो कालेजों से निकलते थ वे अच्छी तरह ट्रेंड एग्रीकल्चर के मामलों में नहीं रहते थे, जिससे उनके द्वारा किया जाने वाला काम भी ठीक प्रकार का नहीं होता था। इसलिए यह तय किया गया है कि उन्हें सरकारी नौकरी में लिए जाने के पहले प्रि-सर्विस ट्रेनिंग दी जाया करे। जिन आदमियों को नौकरी में लिए जाने के लिए कमीशन रिकमेंड करेगा उन्हें १५ दिन की ट्रेनिंग सरकारी फार्मों पर दी जाया करेगी। जिससे उन्हें कृषि संबंधी नई-नई विधियों का ज्ञान कराया जा सके। एग्रीकल्चर के फील्ड स्टाफ को आधुनिक टेक्नालाजिकल नालेज कराने क लिए इसी प्रकार से रेफ्रेशर और इन-सर्विस ट्रेनिंग का भी प्रबन्ध, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कालेज, कानपुर में अफसरों और असिस्टेंट क्लास वन के लिए और गोरखपुर, चिरगांव आदि के तीन स्कूलों में ग्रुप २ और ३ के असिस्टेंटों के लिये भी किया गया है। तो वह इन-सर्विस ट्रेनिंग भी २-३ साल से चल रही है। स्कूलों की ट्रेनिंग ४५ दिन की है। यह ट्रेनिंग जून, ६३ में प्रारंभ हुई थी और अबतक उनमें से ३७९ असिस्टेंट ट्रेन्ड किये जा चुके हैं तथा ५४ अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। कानपुर की इंस्टीट्यूशन में जहां अफसरों को ट्रेनिंग दी जा रही है वहां से अब तक ८५ अफसर और १२१

[श्री चरणसिंह]

असिस्टेंट ग्रुप–१ के ट्रेंड किए जा चुके हैं। इससे भी महत्व की चीज है प्रि-सर्विस ट्रेनिंग। हमारे यहां राज्य कर्मचारी जब गवर्नमेंट की सेवा में आयें उससे पहले की ट्रेनिंग। जिन-जिन डिपार्टमेंट्स में इस तरह की ट्रेनिंग है वहां काम अच्छा होता है। हमारे यहां जो एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स हैं वह बस एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ही हैं, वह एजूकेटेड लोग हैं, एग्रीकल्चर की उनमें ट्रेनिंग नहीं है। उनको शिक्षित कहा जा सकता है पर वे प्रशिक्षित नहीं होते। जो एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट होते हैं उनको हम स्टाप गैप अरेंजमेंट में रख लेते हैं, तो या तो सीधे या पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम उनको डिग्री के आधार पर ले लेते हैं। इसीलिए वह किसानों को बहुत ज्यादा गाइड नहीं कर पाते, किसानों का उनमें ज्यादा विश्वास नहीं हो पाता। तो यह कमी थी और इसको दूर करने के लिए मैं २ साल से विचार कर रहा था कि क्या रास्ता निकाला जाय। तो प्रि-सर्विस ट्रेनिंग, जैसी फारेस्ट डिपार्टमेंट में होती है, उस तरह की देने का हमने निश्चय किया है और उस स्कीम को हमने वित्त विभाग को भेज दिया है, लेकिन अभी हमें ग्रीन लाइट वहां से नहीं मिली है, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी मिल जाय। हमारी कोशिश यह है कि अपने सूबे में हम कुछ ४ या ५ फार्म ऐसे रखें जहां उन लड़कों को ट्रेनिंग दें, हर रीजन में जहां तक हो सके अलग-अलग और वहां जिम्मेदारी सुपुर्द करने से पहले, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए कंपिटीशन से लाकर उनको वहां ट्रेनिंग दी जाय। एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स बहुत हो गये और इसलिए यह जरूरी नहीं है कि क्लास वन लड़का क्लास वन ही सब जगह हो, क्योंकि अलग-अलग स्टैन्डर्ड्स हैं। इसलिए २४–२५ कालेजों से कंपिटीशन से वे आयेंगे और एक दम जिम्मेदारी सुपुर्द नहीं की जायगी, बल्कि साल भर या मेरी राय में १५ महीने इन फार्मों पर ट्रेनिंग दी जाय। मेरा विचार यह है कि इस पर लेबरर्स न रखे जाएं नहीं तो ये लेबरर्स से ही काम करायेंगे उनको ही सारा लेबरर्स का काम वहां करना होगा। वे दफ्तर नहीं जा सकेंगे, दफ्तर के अन्दर हम उन्हें फटकने नहीं देंगे वहीं बाहर वे रहेंगे। उनके लिए हम मकान भी नहीं बनायेंगे, वे वहीं झोपड़ी डालें या जहां कहीं पास गांव में कोई जगह मिल जाय वहां रहें और खुद काम इन फार्मों पर करें। तो मंजकर घुटकर जब आयेंगे तब शायद इनका आदर किसान करने लगें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और महत्व की बात मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जमीन तो बढ़ नहीं सकती, जमीन कांस्टेंट है और आदमी बढ़ते जाते हैं तो पैदावार बढ़नी चाहिए। तो फिर जितनी जमीन है उसमें उत्पादन बढ़ाया जाय और उसके लिए जितनी जमीन है उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करके ही वह हो सकता है और उस सदुपयोग का एक तरीका है डबल क्रापिंग। अभी हमारे एक राज्य कर्मचारी जापान गये थे, वहां से बहुत-सा लिटरेचर ले आये, उसमें दो रिपोर्ट्स मुझे बहुत पसन्द आयीं। मैंने उनको पढ़ा। जापान देश में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें ७–७ फसलें होती हैं। तो यहां भी तीन या चार फसलें कर लेना तो मामूली बात है। अगर उसको छोड़ भी दें और जमीन के चप्पे-चप्पे से दो फसलें लेने लगें तो जमीन का रकबा उतना ही बढ़ जाय। आज हमारे यहां डबल क्रापिंग का एरिया बहुत कम है। २ साल के आंकड़े मैं बतलाऊं। ४ करोड़ ११ लाख कल्चरेबिल लैंड हमारे यहां है। इसमें से डबल क्रापिंग होती है १ करोड़ १४ लाख पर।

श्री बलवानसिंह---

तो क्या यह इंटेंसिव कल्टीवेशन है ?

श्री चरणसिंह---

डबल क्रापिंग तो इंटेंसिव कल्टीवेशन हुआ ही। १ करोड़ १४ लाख एकड़ डबल क्रापिंग का एरिया है। अगर इसको ४ करोड़ ११ लाख एकड़ में से घटा दिया जाय तो २ करोड़ ९७ लाख एकड़ एरिया ऐसा है जिसमें एक क्राप होती है। अब २ करोड़ ९७ लाख एकड़ में से उन फसलों को निकाल दीजिये जो कि १२, १३ महीने खड़ी रहती हैं। फसल

एक है लेकिन वह १२, १३ महीने तक खड़ी रहती है। उनमें एक अरहर है और दूसरा गन्ना है। इनके एरिया के आंकड़े दो साल पहले के हैं। ३२ लाख एकड़ में गन्ना और १५ लाख एकड़ में अरहर है। तो जिस जमीन में यह दो फसल होती हैं उनमें दो फसल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह जमीन होती है ४७ लाख एकड़। अब ४७ लाख एकड़ को २ करोड़ ९७ लाख एकड़ में से कम कर दें तो २।। करोड़ एकड़ जमीन है जिसमें कि हम एक ही क्राप लेते हैं। अगर २ क्राप्स ली जायं इस २।। करोड़ एकड़ जमीन से, तो हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ सकती है। अब विचार करना यह है कि आखिर हमारे रास्ते में क्या बाधायें हैं कि यह क्यों नहीं हो पाता है? अगर वे बाधायें दूर कर सकें और किसानों को हम समझा सकें या जितना गवर्नमट कर सकती है वह करें तो इतना रकबा बढ़ सकता है। मेरी राय में और मेरे सहयोगियों की राय में—राज्य कर्मचारियों की राय में तीन चीज ही इसके रास्ते में बाधक हैं।

एक तो इर्रीगेशन की है। इर्रीगेशन के लिये हमारे यहां १ करोड़ ३२ लाख एकड़ में इन्तजाम है। यह पहले १ करोड़ १८ लाख एकड़ था लेकिन अब १ करोड़ ३२ लाख हो गया है। जितना भी हम इर्रीगेटेड एरिया बढ़ा दें उतने ही एरिया में डबल क्रापिंग के लिये सहायता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इस बात की जरूरत है कि खरीफ की फसल ऐसी निकले कि जो जल्दी पक जाय ताकि उसी खेत को रबी की फसल बोने का समय मिल सके। इस तरह की कुछ वैराइटी निकाली हैं और वह मैं आप की इजाजत से बतलाना चाहता हूं और उनका प्रचार हमको किसानों के बीच में करना है और कुछ काश्तकारों ने पैडी के बाद रबी बोना शुरू कर दिया है। पैडी के बाद रबी का बोना पाप समझते थे लेकिन अब कुछ लोग करने लगे हैं। तो उन फसलों के लिये उन्होंने नई किस्म निकाली है जो कि खरीफ की फसल के बाद जल्दी बोई जा सकती है और जल्दी पक सकती है। मसूर, उर्द, लोबिया और पैडी की ऐसी किस्म निकाली हैं। तो वे किस्म मैं इस समय नहीं जानता इसलिये बतला नहीं सकता हूं लेकिन डिपार्टमेंट इस तरह की कोशिश कर रहा है। तो ये ऐसी फसल हैं जिनका हमको प्रचार किसानों में करना है।

इसी प्रकार से रबी के लिये भी ऐसी फसल हैं जोकि लेट बोई जाने पर भी जल्दी पक जायं। मार्च या अप्रैल में पक जायं। १५ दिसम्बर या आखिरी दिसम्बर तक उनको बो दिया जाय तो वे अप्रैल तक तैयार हो सकती हैं। तो इस तरह की वेराइटी निकाली हैं। उनमें के ६८ है, एन० पी० ८३० है, एन० पी० ७९८ है। मटर टाइप १६३ है। मसूर टाइप ३६ निकाली है। ये देर से बोई जा सकती हैं और दूसरी फसल के साथ जल्दी ही पक जायंगी।

तीसरी चीज बाधक है औजार। रबी और खरीफ की फसल के लिये इस तरह के इम्प्लीमेंट्स तैयार करने की जरूरत है जिससे रबी और खरीफ की फसल जल्दी पक कर तैयार हो सके क्योंकि यदि देर से पिछली फसल के खेत तैयार हुये तो आगे की फसल में देर लग जायगी। इसलिये इस तरह के इम्पलीमेंट्स की जरूरत थी कि जिनको इस्तेमाल करके फसल तैयार की जा सके। इसके लिये कुछ औजार तैयार किये हैं जैसे कि हैरो, हैंड-हो। ये ऐसे औजार हैं जिनसे जल्दी फसल तैयार की जा सकती है। यह हाथ से इस्तेमाल हो सकता है।

मेरा कहने का मतलब यह है कि यह तीन चीजें जिन पर हमें और आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इस सम्बन्ध में अगर मेरे मित्र कुछ सुझाव मुझे लिखकर देंगे तो वह बड़ी खुशी की बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात फर्टीलाइजर और क्रेडिट के सम्बन्ध में कही गयी। हम तो चाहते हैं कि १०० रुपया जो हम दें वह एक एकड़ रबी में जो १५ पौंड खरीफ बोयें, उसे दें। मैं नहीं जानता कोआपरेटिव विभाग में क्या आधार है, शायद २० रुपये का शयर होने पर १०० रुपये

[श्री चरणसिंह]

का क्रेडिट आम तौर से करते हैं, मैं समझता हूं कि बहुत कम किसान इस तरह से ले पाते होंगे। अगर कोई इस सम्बन्ध में दिक्कतें हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लिख कर मुझे दे दें, उस पर विचार कर लिया जायेगा।

रियासत हुसैन साहब ने गेहूं में एक बीमारी लगती है उसका जिक्र किया। वह बीमारी ५९१ में लगती है। मेरी जानकारी यह है कि पंजाब का जो यह गेहूं है उससे यह बीमारी लगती है और इसको रोकने के लिये सभी जगह उपाय किये गये, मगर कहीं सफलता नहीं मिली। इसका कहीं कोई इलाज नहीं निकल पाया। जहां-जहां भी यह गेहूं बोया जाता है कहीं इसका इलाज नहीं निकल सका है।

ट्रैक्टर की बात कही गयी। मैंने आर० टी० ओ० साहब से टेलीफोन पर भी पूछा, उन्होंने बताया कि हमारे पास जो खरीदार पर्चा लेकर आता है, हम तो केवल नम्बर ही कम्पेयर करते हैं। अब अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे या सीधे माननीय मुजफ्फर साहब को लिख कर भेज सकते हैं।

माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने वेदर की बात कही। अगर वे पहले की स्पीच देखें तो उन्हें मालूम होगा कि उन्होंने दो बार यह कहा है कि वेदर का बहाना लेते हैं। मैंने खुद माना है कि वेदर का असर कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य अपनी कोशिशों से बिल्कुल उस पर काबू पा ले। नेचर के लाज के मुताबिक ही हम उससे लड़ सकते हैं। वेदर को बिल्कुल इगनोर नहीं किया जा सकता। टु सर्टेन एक्सटेंट उसका प्रभाव जरूर रहता है, कुछ हद तक हम विजय पा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करूंगा कि सदन का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

१५ मिनट का समय बढ़ाया जाता है, जिसमें ५ मिनट अनुदान पर वोटिंग के लिए होगा और १० मिनट आप को बोलने के लिए होगा।

श्री चरणसिंह---

सीड के बारे में जो बात है, वह यह है कि गवर्नमेंट सारे किसानों को बीज दे सकेगी, यह आसान बात नहीं है। आजकल लोग मैन्योर माइंडेड होते जा रहे हैं, लेकिन जितने मैन्योर की आवश्यकता है, उतना हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उनका कहना यह है कि और स्टेट्स के मुकाबिले हमारे फाइनेन्शियल टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते हैं, पर उनकी खुशखबरी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस साल ९९ फीसदी टारगेट्स पूरे हो जाने की उम्मीद है।

गवर्नमेंट फार्म्स की बात अभी भानु प्रताप सिंह जी कह रहे थे, और आम तौर पर गवर्नमेंट फार्म्स का नुकसान दिखला कर, किसान की खेती से उसका मिलान कर रहे थे, और यह दिखा रहे थे कि फार्म्स का उत्पादन बहुत कम है, वह ग़लत है। उनके फार्म्स में भले ही इन सरकारी फार्मों से ज्यादा पैदावार होती हो, मैं इसको इनकार नहीं करता हूं। हमारे इन सरकारी फार्मों में अब २० मन फी एकड़ से ज्यादा पैदावार ५५ प्रतिशत फार्म्स से हुआ है, जब कि आम किसान का औसत १० मन प्रति एकड़ है। इस तरह से हमारे फार्म्स की पैदावार करीब-करीब दुगुनी है। केवल ६ या ७ फार्म्स ऐसे हैं, जिनको रद्दी कहा जा सकता है, बाकी सभी रद्दी नहीं हैं कहीं पर रद्दी जमीन ले ली गई है, वहां पर उत्पादन ठीक से नहीं हो रहा है। मैंने तो उनके बारे में कह दिया है कि जिन फार्म्स में इस तरीके की जमीन हैं, उन जमीनों को छोड़ दो लेकिन पैदावार फी एकड़ का जहां तक ताल्लुक है, आप उसको फेल्योर नहीं कह सकते हैं।

हमारे पास कृषक समाज के सेक्रेटरी की ओर से एक नोट खलिहानों में आगजनी के बारे में आया था और उसको हमने होम-सैक्रेटरी के पास भेजा है, और उसमें यही सुझाव था कि अगर हो सके तो ऐसे आफेन्सेज को हीनियस आफेन्सेज करार देकर, काबिल दस्तन्दाजी करार दे दिया जाय। कुछ इलाके ऐसे हैं, जिनमें दुश्मनी निकालने के लिए खलिहान जला देते हैं। कोई आदमी अपनी दुश्मनी का बदला निकालने के लिए, किसी को इस तरह से बरबाद करे, बहुत अनुचित बात है।

अभी रामसिंह जी बड़े गुस्से से कह रहे थे कि कृषि मंत्री जी की कोई बड़ाई करता है तो वे बहुत खुश होते हैं। राम सिंह जी इस समय यहां पर नहीं हैं, लेकिन मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से उनको कह देना चाहता हूं कि मेरा कोई खास इन्टरेस्ट इस विभाग से नहीं है। मैंने किसी मेम्बर से ऐसा नहीं कहा कि आप असेम्बली में ऐसा कहें और किसी ने मुझसे कहा भी तो मैंने मना कर दिया। अगर किसी खास मेम्बर से बातचीत के दौरान में मैं कोई बात कहता हूं, तो वह बात और है। चीफ मिनिस्टर साहबान ने दो बार अखबारों में कहा कि मैं एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट छोड़ना चाहता हूं। मैं अधिष्ठाता महोदय, राम सिंह जी को बता देना चाहता हूं कि मैं हरगिज यह भी नहीं चाहता हूं कि एग्रिल्चर डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट शामिल कर दीजिए, लेकिन यह बात माननीया मुख्य मंत्री जी से तस्दीक की जा सकती है कि मैं एग्रिकल्चर छोड़ना चाहता हूं या उसके साथ में और चीज लेना चाहता हूं। माननीय रामसिंह जी को और उनके हम-ख्याल लोगों को मालूम है कि मैं कौन-कौन से डिपार्टमेंट चाहता हूं। जहां तक उनका अपना सम्बन्ध था तो वे तो सीलिंग को भी एग्रीकल्चर में समझ रहे हैं। मैंने उनसे कहा भी कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। लेबर को कितने वेजेज मिलने चाहियें, सीमेन्ट नहीं मिल पाता है वगैरह-वगैरह। मैंने उनसे कहा कि मेरा कोई वास्ता नहीं। फिर अपने आप ही कहते हैं कि है क्या इस डिपार्टमेंट में। और फिर साथ-साथ यह कहते हैं कि आप दूसरे डिपार्टमेंट चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि सीलिंग का सम्बन्ध रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, लेबर का सम्बन्ध लेबर डिपार्टमेंट से है, सीमेंट बेसिक इन्डस्ट्रीज या सिविल सप्लाईज का विषय है। यह चीज तो नहीं हो सकती कि दूसरे विभागों का काम भी मैं कर लूं। हां, इतना ही हो सकता है कि मैं उन विषयों को उन विभागों को भेज दूं। वे एम० एल० ए० होकर मुझसे यह सवाल करते हैं तो आम पब्लिक क्या समझती है कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ करवा नहीं सकता, लेकिन इस तरह की बात कहना मेरी नीयत पर हमला है। मैं बड़ा खुश होता हूं, इसका मतलब मैं कहलवा रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने खुद कहा कि चरण सिंह कृषि विभाग छोड़ना चाहते हैं। एक बात माननीय सदस्य ने और कही कि डिमांस्ट्रेशन जो होते हैं वे अफसरान उन्हीं किसानों के घर करवा देते हैं जिनके यहां वे ठहरते हैं। हो सकता है किसी ने किया हो। किसानों के घर में राज्य कर्मचारी रहता नहीं। एक गांव में किसी एक व्यक्ति के घर में रहता होगा। ए० डी० ओ० डिमांस्ट्रेशन कई गांवों में करता है, तो वह सब घरों में जाकर कहां रहता होगा।

इसके अलावा, अभी श्री रामसिंह ने स्पीच दी थी। मैंने उनको खत लिखा था। उन्होंने कुछ बात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के खिलाफ कही थी। मैंने उनसे कहा था कि वे मुझे २५ या २६ तारीख से पहले इसके बारे में इशारा दे सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी ताकि मैं इसका जवाब पहिले ही दे सकूं क्योंकि २५-२६ तारीख को बजट पेश होना है इसलिये इसका जवाब उस दिन देना मुनासिब नहीं होगा। मैंने उन्हें लिखा था—"प्रिय राम सिंह—आपने अभी विधान सभा में प्रश्न में कृषि विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित वाक्य कृषि मंत्री को कहे जो यहां पर मौजूद हैं (उत्तर में वहां मौजूद नहीं हैं) मेरा व्यक्तिगत रूप से विचार है कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि जितना भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती

[श्री चरण सिंह]

जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है उतना शायद ही किसी अन्य विभाग में हो। (यों तो उनको सारे सूबे का और डिपार्टमेंट्स का मालूम है) जितनी खाद और बीज बंटने के लिये देते हैं वे सारे के सारे बीज, खाद और साधनों की चोरी होती है। खाद और बीज किसानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। डिपार्टमेंट के ही भ्रष्टाचारी कर्मचारी अपने लाभ में उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें जो जिक्र किया कि चोरी होती है, बीज बंटते नहीं। उन्होंने सवाल किया था बीज खरीदने का। उसमें जहां तक मुझे याद पड़ता है केवल ९८ या २५१ रुपये ज्यादा दिये गये, चाहे इसे गबन कहिये या अन्ड्यू प्राफिट कहिये। डिप्टी डाइरेक्टर ने इन्क्वायरी की और उन्होंने ३ आदमियों को सस्पेंड किया, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल अफसर, सीड स्टोर का इंचार्ज और एक कोई शायद इंसपेक्टर है। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल अफसर इसमें शामिल नहीं हैं। उसे वह सस्पेंड नहीं कर सकते थे और हमने भी नहीं किया है। दो कामदारों को हमने डिसमिस कर दिया जोकि दोषी लोगों के हक में कहना चाहते थे। हमारे माननीय मित्र ने कहा कि कामदारों का कुछ नहीं हो रहा है। मैं उन्हें सारे कागजात दिखा चुका हूं। वह डिप्टी डायरेक्टर पर तरह-तरह के लांछन लगाना चाहते हैं। मैंने उसकी इनक्वायरी सी० आई० डी० को दी और विजीलेंस कमीशन को भी कहा। सदन में बात जिम्मेदारी के साथ कहनी चाहिये। जनरेलाइज किया जाय, गुस्सा किया जाय, नीयत पर हमला किया जाय और जवाब सुनने के लिये मौजूद न रहें, मैं समझता हूं कि यह मेरे साथ अन्याय की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुमताज साहेब ने कहा कि एग्रीकल्चर विभाग पर किसी का विश्वास नहीं रह गया है। हो सकता है, मैं इसकी तरदीद तो नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ वह नहर का और एक बोरी की जगह २ बोरी का भी जिक्र कर गये। वह यहां बैठे हैं। उनके नोटिस में बोरी की बात आई होगी।

(इस समय ४ बज कर ४९ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

अगर वह उसी वक्त उस आदमी का नाम नोट करके मुझे दे देते, टेलीग्राम भेज देते या चिट्ठी लिख देते या जबानी कह देते तो उसे देखा जा सकता था। २ महीने के बाद ही वह देते, तो भी मैं उसे देखता। वह न करके फिर उसे जनरैलाइज करते हैं। उनकी बड़ी कृपाकटाक्ष या नजरेइनायत मुझ पर होगी अगर वह अब भी मुझे तफसील से लिख कर भेज दें। आपने शरबती आड़ू के लिये कहा। मैंने फौरन तहकीकात कराई। हमारे डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर यहां बैठे हैं। उन्होंने लिखा है कि कली के काटने में अगर किसान गलती कर जाय तो शरबती का देसी आड़ू हो जाता है, यह उनका कहना है। हो सकता है कि जो अफसर गया, उसकी रिपोर्ट गलत हो लेकिन उनका कहना यह है। बहुत कुछ केसेज ऐसे हो सकते हैं और मुमकिन है कि आपकी बात सही हो या अफसर की बात सही हो। लेकिन वह मामला इस किस्म का है कि मैं उस पर कार्यवाही नहीं कर सकता। मैं उस पर किसी को सजा भी नहीं दे सकता। तो अगर आप सारे ही विभाग पर इस प्रकार से काला ब्रश लगा दें तो मैं उसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अधिष्ठाता महोदय, बहुत-सी बातें जो मैंने नोट की, उनका उत्तर मैंने दे दिया है। हो सकता है कुछ बातें ऐसी भी रह गयीं हों जिनका उत्तर मैं न दे पाया हूं। अन्त में मैं माननीय सदन से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस अनुदान को मंजूर करे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत ८,७२,४५,२०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७--कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७--कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १७,०७,७७,५०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--उपनिवेशन के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--उपनिवेशन के अन्तर्गत ३,६८,४०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--पशुपालन और मत्स्य पालन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत ४,५६,९५,८०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और दिनांक २ मार्च, १९६५ को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर मंगलवार, २ मार्च, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
२६ फरवरी, १९६५ ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०६ पर)

क्रम-सं०	नाम ग्राम	धनराशि (रु०)	क्रम-सं०	नाम ग्राम	धनराशि (रु०)
१	केहुनिया ..	१,६४०	३७	मइलौटा ..	३०५
२	मेंगारी ..	१३५	३८	नरसिंह डांड ..	३५५
३	पिपरहिया ..	३०५	३९	बरेजी ..	१४०
४	पकड़ी बाबू ..	१३०	४०	लेलिया अफगान ..	२२०
५	वेलही ..	२३५	४१	देवसिया ..	६६०
६	धरमखोर ..	३७५	४२	बलिया उत्तर ..	४९०
७	वन्दी बाबू ..	८०	४३	देवकली ..	१६५
८	वरई पार ..	१००	४४	रम्होली ..	१४५
९	मिर्जापुर ..	७५	४५	छितूपुर ..	८५
१०	लवरछी ..	६५	४६	धकपुरा ..	१३५
११	देईडीहा ..	१८०	४७	भागलपुर .	६१०
१२	भोटांव ..	४५	४८	इसारी ..	९१०
१३	भड़सड़ा ..	२५५	४९	धरमेर ..	७०
१४	लवरछी ..	५०	५०	छितूपुर ..	८५
१५	सिसई गुलाब राय ..	१४०	५१	भागलपुर ..	१००
१६	भीदला अग्वल ..	५३५	५२	गाढ़ा ..	२३५
१७	भोहरा ..	६६०	५३	कुरमौली ..	४२०
१८	गौरा ..	११०	५४	गाढ़ा ..	९५
१९	कपरवार ..	३७०	५५	रामपुर बुजुर्ग ..	१०५
२०	समोगर ..	५१५	५६	मुड़वार ..	७०
२१	बिशुनपुरा देवार ..	७१५	५७	कुरमौली ..	१२५
२२	परसिया देवार ..	६६५	५८	गौरा ..	१५५
२३	परसिया कूर ..	३३५	५९	कुरमौली ..	९५
२४	कोटवा ..	१२५	६०	बनजरिया ..	८५
२५	नदुवा ..	१८०	६१	रामपुर खास ..	१२०
२६	नवापार ..	४८०	६२	वैदौली ..	१४५
२७	परसिया देवार ..	५०	६३	रामपुर खास ..	१८५
२८	बालूछापर ..	५०	६४	अदाव ..	३२०
२९	मेड़ा पाकड़ ..	४५	६५	बनकटा ..	१००
३०	बढ़या फुलवरिया ..	९०	६६	बलुवा ..	१००
३१	मेड़ा पाकड़ खुर्द ..	६०	६७	मुड़घड़ा ..	७०
३२	गोलउथा ..	३०	६८	रामपुर बुजुर्ग ..	६०
३३	वरडीहा बन ..	५०	६९	सोठाचक ..	४०
३४	बरडीहा अना ..	४५	७०	बलुबा ..	९०
३५	लगड़ा ..	८०	७१	रामपुर बुजुर्ग ..	६०
३६	मइल ..	६००	७२	वैदौली बुजुर्ग ..	२२५

क्रम-सं०	नाम ग्राम	धनराशि (रु०)	क्रम-सं०	नाम ग्राम	धनराशि (रु०)
७३	कुंई चबा ..	१५०	९६	बभनौली ..	१४०
७४	बनजरिया ..	९५	९७	नोनापार ..	४६५
७५	बनकटा मिश्र ..	१८०	९८	चोरडीहा ..	१२०
७६	राउतपुरा ..	१४०	९९	उकिना ..	९५
७७	भपहचक ..	१२०	१००	पटना ..	१५०
७८	भरौली ..	७९	१०१	चुरिया ..	१६०
७९	औरंगवाद्द ..	१३०	१०२	दोगारी मिश्र ..	२५०
८०	भवहचक ..	११०	१०३	मराजमय ..	४३०
८१	सोनबरसा ..	८०	१०४	भटियरा जगदीश ..	३३५
८२	नदावा ..	६०	१०५	राउतपार अमेठिया	३४५
८३	देवरिया उर्फ शामपुर	७०	१०६	पटनेजो ..	१६०
८४	निजामाबाद ..	९०	१०७	राउतपार रवेन ..	६१५
८५	गोपालपुर ..	६०	१०८	भटिभरा जगदीश ..	११०
८६	मझौली ..	३८०	१०९	दोगारी राजबल ..	११५
८७	जिगनी दीक्षित ..	१५०	११०	दोगारी मिश्र ..	१४०
८८	जिगनी मिश्र ..	२७५	१११	राउतपार अमेठिया	१२०
८९	कुरगौठा ठाकुर ..	२९०	११२	सहजौर ..	१७५
९०	गौनरिया ..	२३५	११३	सहजौर ..	२५०
९१	मठेवनउर ..	७०	११४	पांडेपुर ..	१३०
९२	बबनौली कमा ..	११५	११५	धरमपुर ..	१००
९३	साहोपार ..	२९५	११६	बरई पार पांड़े ..	२००
९४	हतवानकहुती ..	१२५			
९५	छपिया जैदेव ..	१२५	सम्पूर्ण योग ..		२५,००० रु०

ऐक्ट १२ के अन्तर्गत दी गई तकावी की सूची

क्रम-सं०	नाम ग्राम		रुपया	क्रम-सं०	नाम ग्राम		रुपया
१	वरसाथ	..	२५०	१६	रजवल	..	२००
२	धरनेर	..	२५०	१७	रजवल	..	२००
३	प्यालि	..	२५०	१८	सजांव	..	२५०
४	बेहराडावर	..	२५०	१९	करमटार शेख	..	२००
५	बुदिया मि०	..	२००	२०	धरमपुर	..	२५०
६	हतवा नफहनी	..	२००	२१	चुरिया	..	२५०
७	करदहा घनश्याम	..	२००	२२	मठिया जगदीश	..	२५०
८	कपरवार	..	२००	२३	केहुनिया	..	२००
९	खजांव	..	२५०	२४	बरौली	..	२००
१०	कपरवार	..	२००	२५	कुर्ड चबर	..	२५०
११	कपरवार	..	२००	२६	कुर्य चबर	..	२५०
१२	वाली छायर	..	२५०	२७	परसिया नरियांव	..	२५०
१३	टीकमपार	..	२००	२८	खरका तला	..	२००
१४	धरनेर	..	२५०	२९	खजांव	..	२००
१५	परोहा	..	२००	३०	केहुनियां	..	२००
					सम्पूर्ण योग	..	६,७००

Rajbhasha Vibhag

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

(अ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ कर लेखा संगठन के नान-गजटेड कर्मचारियों की संख्या—

स्थायी	.. .. ..	१००
अस्थायी	.. .. ..	८६

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या—

स्थायी	.. .. ..	३३
अस्थायी	.. .. ..	१८

(ब) ७३ दस वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं।

१४ सात वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर)

१३७२ फसली की खतौनी के अनुसार मौजा धरम्मरपुर में बंजर भूमि की सूची

	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		बी०	वि०	वि०
धरम्मरपुर (खास)	१८८	०	३	१७
	२२७	०	०	१८
		०	४	१५
कोटिया पुरवा (मजरा)	१६८	०	०	१६
	१७२/१	०	२	०
	१७२/२	०	१२	८
	१६६	०	३	४
		०	१८	११
करकटपुर पुरवा (मजरा) ..	५५१/२	१	३	५
	५५२	०	१८	४
	५५३	५	२	८
		७	३	१७
कुल योग ..		८	७	३

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर)

निम्नलिखित अधिकारी एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं :—

एस० ओ० सी०

(१) सर्वश्री सीताराम सरन (फैजाबाद) ..	इनको फैजाबाद में रोकना प्रशासकीय दृष्टि से आवश्यक था ।
(२) राम रतन श्रीवास्तव (इलाहाबाद) (३) ओम प्रकाश (खीरी)	इनकी कार्यविधि पिछले वर्ष सामान्य स्थानान्तरण के समय तीन वर्ष से कम थी ।

सी० ओ०

(१) सर्वश्री सी० पी० एन० सिंह० (बस्ती) (२) जी० एस० सिंह (बहराइच) (३) बी० एन० सिंह (गाजीपुर) (४) हर गोपाल सिंह (बुलन्दशहर)	इनको इन जिलों में रोकना प्रशासकीय दृष्टि से आवश्यक था ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३२ पर)

टाइपराइटर उप-समिति का विवरण

इस समिति की बैठक प्रयाग में १ली अप्रैल, सन् १९४९ को संध्या समय ५।। बजे डा० धीरेन्द्र वर्मा के निवास स्थान पर हुई। समिति के तीन सदस्यों--आचार्य डा० नरेन्द्र देव, डा० धीरेन्द्र वर्मा तथा श्री भगवती शरण सिंह--में से आचार्य नरेन्द्रदेव जी अनुपस्थित थे।

आई हुई टाइपराइटर सम्बन्धी योजनाओं पर अच्छी तरह विचार करने के अनन्तर निम्नलिखित निश्चय हुये :

उप-समिति के निश्चय

१--यह उप-समिति श्री अजितसिंह की टाइपराइटर योजना की परीक्षा करने के बाद यह समझती है कि इनकी योजना उपादेय होगी और इसका प्रयोग होना चाहिये। अतएव श्री अजितसिंह के टाइपराइटर की योजना स्वीकृत की जाय। किन्तु समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार--

(अ) या तो श्री अजितसिंह से पेटेंट खरीद ले

अथवा

(आ) श्री अजित सिंह से उन शर्तों के सम्बन्ध में जो वे टाइप बनाने वालों से करेंगे, विधिवत् लिखा-पढ़ी कर लें।

२--उक्त दो शर्तों (अ और आ) के पूरा होने के अनन्तर ही इनकी योजना स्वीकार्य है।

विशेष--श्री अजितसिंह जिन शर्तों पर टाइपराइटर बनाने वालों को या परिवर्तन करने वालों को अपना पेटेन्ट देने को तैयार हैं वह इसी के साथ परिशिष्ट में दिया हुआ है।

३--यह समिति उनकी शर्तों में से इस शर्त को अधिक समीचीन समझती है जो इस परिशिष्ट के साथ दिये हुये हैं।

विशेष--उपर्युक्त सुझावों और शर्तों का उद्देश्य केवल इतना ही है कि यह विशेष टाइप-राइटर सही दामों पर जनता को मिलता रहे। पेटेन्ट कर्ता, श्री अजितसिंह तथा टाइपराइटर बनाने वालों के बीच में शर्तों की कठिनाई के कारण कोई अड़चन न पड़े या मूल्य असाधारण रूप से न बढ़ जाय।

४--उप-समिति के विचार में यह आवश्यक है कि इस लिपि-सुधार समिति की ओर से श्री अजित सिंह के ४२ मुद्रियों वाले पटल के अतिरिक्त ४४ और ४६ मुद्रियों के ऐसे पटल भी स्वीकृत किये जायं जो इस समिति के निश्चयों के अनुरूप हों तथा जिनका उपयोग यदि श्री अजित सिंह और सरकार के बीच समझौता न हो सका तो जनता कर सके।

ह० नरेन्द्र देव,
ह० धीरेन्द्र वर्मा,
ह० भगवतीशरणसिंह।

उपर्युक्त टाइपराइटर उप-समिति पर आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की संस्तुति का सारांश इस प्रकार था :—

यदि कमेटी की संस्तुतियों के स्वीकृत होने के ६ महीने के अन्दर श्री अजीतसिंह का टाइपराइटर जनता को उपलब्ध हो जाता है तो उनके माडल में जो संशोधन कमेटी ने प्रस्तावित किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय और उसे प्रयोग में लाया जाय। यदि ऐसा नहीं होता तो कमेटी द्वारा ४४ और ४६ मुद्रियों वाला जो टाइपराइटर कमेटी ने प्रस्तावित किया है। उसे प्रयोग में लाया जाय और ४२ मुद्रियों वाला टाइपराइटर पोर्टेबुल टाइपराइटर के लिये स्वीकार किया जाय। निम्नांकित विशेष चिन्ह जहां तक सम्भव हो सके। हिन्दी टाइपराइटर के कुंजी पटल में सम्मिलित किये जायं।

———

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२८ एल० ए०—१९६५—८६२।